पंचम माला, खंड 58, अंक 9, शुक्रवार, 19 मार्च, 1976/29 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 9, Friday, March 19, 1976/Phalguna 29, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 म अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

(यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।)

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

970 (ai) LS—1.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, शुक्रवार, 19 मार्च, 1976/29 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 9, Friday, March 19, 1976/Phalguna 29, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES /पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161, 178, 162, 163, 165, 169 और 171 से 175	*Starred Question Nos. 161, 178, 162, 163, 165, 169, and 171 to 175	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 164, 166 से 168, 170, 176 177, 179 और 180	Starred Question Nos. 164, 166 to 168, 170, 176, 177, 179 and 180. . .	17—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 880 से 907, 909 से 978 और 980 से 997	Unstarred Questions Nos. 880 to 907, 909 to 978 and 980 to 997 . . .	23—86
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	87-88
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
80वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Eightieth Report and Minutes . .	88
सभा का कार्य	Business of the House	88-89
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1975-76 —	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1976-77—	
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement Presented	89
तमिलनाडु बजट—1976—77— प्रस्तुत किया गया—	Tamil Nadu Budget, 1976-77—Presented—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	90—96
बजट (सामान्य), 1976-77— सामान्य चर्चा—	General Budget, 1976-77—General Discussion—	
श्री पी० के० देव	Shri P.K.Deo	96—98

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M.V. Krishnappa . . .	98—99
श्री हरी किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . . .	99—101
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O.V. Alagesan	101—102
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sh.. Singh	102—103
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	103
डा० कैलास	Dr. Kailas	103—105
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrrimati Mukul Banerjee . . .	105
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	105—106
श्री सी० एम० स्टीफ़न	Shri C.M. Stephen	106—107
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	107—108
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Shri P. Anthony Reddy . .	108—109
श्री के० के० शैट्टी	Shri K. K. Shetty	109—110
श्री बिश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri . . .	110
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	110—111
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	111—112
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	112
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	
60वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Sixteeth Report—Adopted . . .	112
संविधान में परिवर्तनों के बारे में सांविधिक संकल्प—	Resolution Re. Changes in the Constitution—	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K.P.Unnikrishnan . . .	113—114
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	114—116
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . .	116
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	116—118
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	118
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	119—120
श्री ए० के० सेन	Shri A.K. Sen	121—122
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	122

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 19 मार्च, 1976/29 फाल्गुन, 1897 (शक)

Friday, March 19, 1976/Phalguna 29, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Modernisation of Textile Mills

*161. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of textile mills, out of sick textile mills taken over by Government, modernised so far; and

(b) the number out of them producing fine cloth?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Out of 103 textile mills nationalised under the provisions of Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act 1974, physical possession of 98 mills has so far been taken over by the Government. Modernisation programme has been sanctioned in respect of 87 mills. 9 mills have completed the 1st phase of modernisation, and in the remaining mills the sanctioned modernisation programmes are at various stages of implementation.

(b) 20 mills are producing fine and superfine varieties of cloth.

डा० रानेन सेन : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 161 और 178 एक ही विषय से सम्बन्धित हैं। दोनो को एक साथ लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

*178. **श्री रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 1974–75 और 1975–76 में (मार्च, 1976 तक) कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण के अन्तर्गत ली गई वस्त्र मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये हर महीने व्यापार समीक्षा की जाती है । क्षमता और उत्पादकता के अधिकाधिक उपयोग तथा कच्चे-माल, भंडार तथा सहसाधनों की खरीद में किफायत करने के सभी सम्भव तरीकों पर विचार किया जाता है । हाल ही में की गई समीक्षाओं से पता चलता है कि वित्तीय परिणामों में सुधार हुआ है जिनसे हानियों की मासिक दर में कमी हुई है ।

(ग) 1974-75 में राष्ट्रीयकृत मिलों द्वारा उठाई गई कुल हानि 34.59 करोड़ रुपये हैं । 1975-76 में (जनवरी, 1976 तक) लगभग 53.30 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है ।

Shri M. C. Daga: Planning and Development Department of the textile industry is under your charge but the administrative responsibility is of the Ministry of Industries. I fail to understand the coordination between the two. You have stated that modernisation programme has been sanctioned in respect of 87 mills. But in your reply you have not mentioned the amount of compensation paid to the each mill at the time of taking over. How much amount has been spent on modernisation ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी मामले दो मंत्रालयों के बीच बांट दिये गये हैं । वाणिज्य मंत्रालय के पास दोनों ही विभाग हैं । जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है, राष्ट्रीय निगम ने 87 मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 61.43 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है । इनमें से 21 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें पहले ही लगा कर चालू कर दी गई हैं ।

मुआवजे की अदायगी के लिये एक आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी और इस नियुक्ति के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और प्रश्न पूछिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि वह चाहें तो मैं 87 मिलों के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे पूरी जानकारी नहीं चाहिये मुझे ठीक-ठीक उत्तर दें । आपने कितनी प्रतिपूर्ति दी है । कितनी मिलें चल चुकी है, कितनी चलनी हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह तो उत्तर में बता दिया गया है । 9 ऐसी मिलें है जिनके आधुनिकीकरण का पहला चरण पूरा हो चुका है ।

डा० रानेन सेन : इन रुग्ण मिलों को सरकारी अधिकार में क्यों लिया गया ? क्या उस समय कुछ अनुमान लगाये गये थे । दूसरे क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटे का कारण मशीनों का पुरानी होना है या घाटा इसलिये हो रहा है कि ये मिलें केवल स्टेण्डर्ड कपड़ा ही बनाती हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इन मिलों को सरकारी अधिकार में लेते समय उनकी स्थिति का अनुमान लगाया गया था। उनकी परिसम्पत्ति का अनुमान लगा कर यह देखा गया कि वे रुग्ण मिलें हैं और चल नहीं सकतीं। पुरानी मशीनों का होना भी घाटे का कारण है और स्टेण्डर्ड कपड़ा बनाने से भी घाटा तो होता ही है।

श्री वसन्त साठे : राष्ट्रीय कपड़ा निगम को होने वाली भारी हानि को देखते हुये, क्या कपड़े के सरकारी क्षेत्र के संस्थानों जैसे रेलवे, कोयला खानों, इस्पात प्राधिकरण, पुलिस, रक्षा सेनाओं, अस्पतालों आदि में उपयोग के बारे में आप विचार कर रहे हैं। व्यापारी लोग बीच में गड़बड़ करते हैं, आप उत्पादकों से सम्पर्क करें। सरकार सबसे बड़ी खरीदार है। वह आपका कपड़ा खरीद कर सरकारी क्षेत्र के अन्य संस्थानों को सहायता दे सकती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय घाटा जरूर बहुत अधिक हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अप्रैल, 75 में 7.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जनवरी, 1976 में यह घाटा 3.5 करोड़ रुपये रह गया है। हम अन्य उपाय भी कर रहे हैं जैसे कपास के मूल्य नियत रखना, कपास तथा अन्य उत्पादों को भारतीय रुई निगम और महाराष्ट्र विपणन संघ से सीधे ही खरीदना। हमने आधुनिकीकरण के लिये भी प्रयास किये हैं। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि मध्यवर्गियों को निकाल कर उपभोक्ता से सीधे सम्पर्क बनाया जाये और उत्पाद सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को बेचा जाये। राष्ट्रीय कपड़ा निगम इस दिशा में प्रयत्नशील है और रक्षा सेवाओं में उत्पाद बेचने के लिये बातचीत चल रही है। बहुत से प्रदर्शनकक्ष भी शीघ्र ही खोले जायेंगे

श्रीमती रोजा देशपांडे : रुग्ण मिलों को सरकारी अधिकार में लेने से पूर्व श्रमिकों को यह वचन दिया गया था कि उन्हें उनकी बकाया राशि, मजदूरी, छुट्टी वेतन, बोनस सभी कुछ विनियमित और नियत कर दिया जायेगा। लेकिन कई मिलों के मामले में आज तक कुछ नहीं किया गया। अभी इस मामले में और कितनी देर लगेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस विषय में विलम्ब का मुख्य कारण है प्रतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति न होना। प्रतिपूर्ति आयुक्त ही इन सारे मामलों पर विचार करेगा। हमने एक व्यक्ति का चुनाव किया था लेकिन बाद में वह उपलब्ध नहीं हुआ। आशा है कि शीघ्र ही प्रतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी।

Shri Ram Singh Bhai: Whether it is a fact that even after modernisation, the cost of production in some of the mills is higher and they are running into loss as compared with the private sector.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिल लाभ कमा रही हैं।

Shri Ram Singh Bhai : I have asked about those 9 mills which have been modernised.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की मिलों के कार्यचालन में अन्तर होता है। कुछ घाटे में चलती हैं और कुछ लाभ कमा लेती हैं। यदि आप किसी विशेष मिल का उल्लेख करें तो हम उस के बराबर की मिल से तुलना कर सकेंगे। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में काफ़ी सुधार हो रहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि 61.3 करोड़ रुपया रखा गया था। उसमें से 9 मिलों का आधुनिकीकरण हुआ है और 21 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। क्या इन 9 मिलों पर 21 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ? क्या मंत्री महोदय गारंटी दे सकते हैं कि इन सभी मिलों के आधुनिकीकरण के बाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा नहीं होगा ? क्या यह ठीक है कि सरकारी अधिकार मे लिये जाने पर भी मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि आधुनिकीकरण केवल 9 मिलों का ही किया गया है। 9 मिलों को आधुनिक बनाने का कार्य प्रथम चरण में पूरा हो चुका है। वास्तव में इस धन का एक भाग अन्य मिलों पर भी व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब, और राजस्थान) द्वारा 332.10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 152 लाख मूल्य की मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम (मध्य प्रदेश) लिमिटेड द्वारा 423.84 लाख रुपये की मंजूरी दी गई और 201.7 लाख रुपये मूल्य की मशीनें मिल गयीं, राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उ० प्र०) द्वारा 419.15 लाख रुपये की मंजूरी दी गई और 106 लाख रुपये मूल्य की मशीनें मिल गयी थीं।

अध्यक्ष महोदय : आप को यह सब विवरण देने की जरूरत नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भविष्य का जहां तक प्रश्न है, आशा है कि दिल्ली, पंजाब राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के घाटे शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे। प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भर्ती करने और प्रशिक्षण के लिये एक नीति तैयार की गई है। इसीलिये घाटा कम हो रहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप कैसे कह सकते हैं कि घाटा कम हो रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वस्तु स्थिति यही है।

भारतीय रुई निगम का कार्यकरण

†162. **श्री वसन्त साठे** :
श्री सरजू पाँडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम के लाभों में, निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम मात्रा में रुई की खरीद होने के कारण, गत तीन वर्षों से वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा ही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) रुई निगम के कार्यकरण को देश को रुई सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के लिये और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	व्यवसाय	निवल लाभ (टैक्स से पहले)	निवल लाभ (टैक्स के बाद)
1972–73.	116.59	5.04	1.08
1973–74	91.61	3.12	0.58
1974–75 .	35.51	1.88	0.68

(ग) भारतीय रुई निगम को निदेश दिया गया है कि जहां कहीं रुई की कीमत समर्थन कीमत से नीचे गिर जाये वहां वह रुई खरीद ले और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिये खरीदारियां करें। इस प्रयोजन के लिये 20 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

श्री वसन्त साठे : विवरण से पता चलता है कि इस निगम का व्यवसाय 1972–73 में 116.59 करोड़ से कम होकर 1974–75 में 35.51 करोड़ हो गया है। खरीद जो वर्ष 1971–72 में 5 लाख गांठें थी वर्ष 1974–75 में मात्र 31905 गांठें रह गई। क्या यह सच है कि कृषि पर राष्ट्रीय आयोग तथा सरकारी प्रतिष्ठानों सम्बन्धी समिति ने सर्वसम्मत से सिफारिशें की थीं कि यदि भारतीय रुई निगम की जिन उद्देश्यों के लिये स्थापना की गई थी उन्हें पूरा करना है अर्थात् किसानों को लाभदायक मूल्य देना है तो कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत रुई निगम द्वारा खरीदा जाना चाहिए। क्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वसम्मत सिफारिशों पर विचार किया है? साथ ही भारतीय रुई निगम को इसके लिये निधि उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि रुई निगम द्वारा वर्ष 1974–75 में की जाने वाली बिक्री गत वर्ष से कम है। इसका कारण यह है कि भारतीय रुई निगम समर्थन मूल्य के सिद्धान्त पर कार्य करता है। क्योंकि पिछले वर्ष रुई का वास्तविक मूल्य कानून द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी ज्यादा था। अतः भारतीय रुई निगम को आवश्यकता नहीं. . . .

श्री वसन्त साठे : भारतीय रुई निगम के उद्देश्यों सम्बन्धी वक्तव्य में क्या निहित है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: पहला प्रश्न यह है कि क्या कम माल खरीदा गया, मैंने इसे स्वीकार किया है। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं भारतीय रुई निगम के उद्देश्य पढ़ रहा हूं—जब आवश्यक हो समर्थन मूल्य का लागू किया जाना ताकि रुई के उत्पादकों को अपने उत्पादन का मुनासिब मूल्य प्राप्त हो सके तथा रुई के उत्पादन में उनका उत्साह बना रहे। हमें रुई के उत्पादकों एवं वस्त्र के उपभोक्ताओं के मध्य मूल्य का उचित सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हमें इसमें तालमेल बैठाना पड़ता है। इसमें हमारे निम्न उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यो पर हम चल रहे हैं। मुझे राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा सरकारी प्रतिष्ठानों सम्बन्धी समिति

की सिफारिशो का पता है। यह वास्तव में विचारणीय विषय है। इस पर निर्णय अभी लिया जाना है।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि इसका उद्देश्य रुई के लाभदायक मूल्य का कपड़े के उपभोक्ता मूल्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब किसान को मिलने वाले रुई के मूल्य में 100 प्रतिशत कमी हुई है क्या उसकी तुलना में किसी भी कपड़े के मूल्य में कमी आई है क्या इस देश के रुई उत्पादन के इतिहास में रुई के मूल्य में तथा कपड़े के मूल्य के साथ कभी भी कोई सम्बन्ध रहा है? बिचौलियों को तथा मिल मालिकों को ही सदा लाभ पहुंचता है। 1970–71 में जब मूल्य में भारी कमी आई तब भी क्या रुई निगम रुई और कपड़े के मूल्य में तालमेल रख सका?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : रुई के मूल्य के आंकड़ों से पता चलता है कि मूल्यों में कमी आई है। परन्तु 100 प्रतिशत कमी नहीं आई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने प्रतिशत कमी आई है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बतायी नहीं जा सकती क्योंकि यह किस्म किस्म के लिये भिन्न-भिन्न है। **(व्यवधान)** मेरा कहना है कि माननीय सदस्य की जानकारी अच्छी है तथा उनका रुई उत्पादकों के साथ सम्पर्क भी है। जहां तक वारालक्ष्मी का सम्बन्ध है इसका समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार 320 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। जैसे कि उन्होंने उल्लेख किया है राष्ट्रीय कृषि आयोग सक्षम निकाय है।

श्री वसन्त साठे : उन्हें रुई के मूल्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे खेद है कि इस बारे में मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे मंत्री महोदय को अपनी बात कहने दें। अन्यथा हम विवाद में ही पड़े रहेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वारालक्ष्मी रुई का समर्थन मूल्य सरकार ने 320 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। बाजार भाव 454 रुपये है। **(व्यवधान)** एन०सी०यू०–5 का बाजार भाव 435 है जबकि इसका समर्थन मूल्य 310 रुपये है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : मैंने उनसे पूछा था कि पिछले वर्ष के वास्तविक मूल्य में कितनी कमी आई वह मुझे आयोग द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का अंतर बता रहे हैं। क्या यह भ्रामक उत्तर नहीं है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं कहना चाहूंगा कि यह भ्रामक नहीं है क्योंकि मैंने उद्धृत किया है कि रुई निगम का उद्देश्य समर्थन कार्यक्रम जारी रखना है। यह सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य है। उसमें तथा वास्तविक मूल्य में अन्तर. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

Shri Sarjoo Pandey : Shri Vasant Sathe has stated that the reduction in prices of cloth are not in proportion to the fall of prices of cotton. The cotton Corporation of India is not procuring the entire production of cotton and as a result thereof the cotton growers are in difficulties. Taking this in view what steps the government is taking so that the cotton growers may get the sufficient price. The Government has provided for small money. It is learnt that there are no buyers of cotton and its prices are falling but the prices of cloth are not falling in that proportion. The hon. Minister has not replied to the hon. member. May I know what steps the Government is taking to reduce the prices of cloth and what new steps are being taken to maintain the price of cotton.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बात सही है कि कपड़ा मिल मालिकों ने कपड़े के मूल्य उसी अनुपात से नहीं घटाये हैं जिससे रुई के मूल्य घटे हैं . . (**व्यवधान**) . . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है। इसका समाधान करने के लिए हमने एक अति उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें वस्त्र आयुक्त, रुई निगम के प्रबन्ध निदेशक और नागपुर के कुछ व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसंधान संस्थान से लिया गया है जोकि इस समस्या पर ध्यान देते हैं. . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें।

प्रो० डी० ी० चट्टोपाध्याय : इस प्रकार उच्च शक्ति प्राप्त समिति में सरकारी प्रतिष्ठानों के कुछ प्रतिनिधि और अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, सम्मिलित किये गये हैं। समिति को अप्रैल के अंत तक अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया है। रुई और कपड़े के मूल्यों में समायोजन लाया जाना अनिवार्य है। यही कार्य हम कर रहे हैं।

श्री के० गोपाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार के पास इस बात की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि कपड़े के उत्पादन मूल्य का रुई के उत्पादन मूल्य से कोई सम्बन्ध है तथा इसके लिये सरकार पूर्णतः आई०सी०एम० एफ० पर ही पूर्णतः निर्भर करती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे पास कुछ तथ्य तथा आंकड़े आई०सी०एम०एफ० तथा वस्त्र आयुक्त से उपलब्ध हुए हैं लेकिन हाल ही में हमने कम्पनी कार्य विभाग से कहा है तथा तदनुसार कम्पनी कार्य विभाग ने उद्घोषणा जारी की है जिसके अनुसार प्रत्येक कारखाने को यहां चर्चा किये जा रहे मामलों पर सभी आंकड़े त्रैमासिक रूप से भेजने को कहा गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिक कर्मचारियों के वेतन मान

*163. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिक कर्मचारियों के वर्तमान वेतन मान क्या हैं; और

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिपिक कर्मचारियो के वेतनमान क्या हैं?

राजस्व और किंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के और भारतीय रिजर्व बैंक के क्लर्कों के वर्तमान वेतनमान नीचे दिये जा रहे हैं:—

(1) **राष्ट्रीकृत बैंक**

रु० 170–10–200–13–226–14–240–15–285–20–345–25–420–30–480–35–550 (20 वर्ष)

(2) **भारतीय रिजर्व बैंक :**

रु० 210–10–240–15–330–20–410 द० रो०–25–460–30–520–35–590 (20 वर्ष)

श्री बी० आर० शुक्ल : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिकों का प्रारम्भिक वेतन 170 रुपए है जोकि अधिकतम 550 तक जाता है, जबकि रिजर्व बैंक के लिपिकों का प्रारम्भिक वेतन 210 रुपए है जोकि 590 तक जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी भर्ती की अर्हता में कोई अन्तर है और क्या उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कोई मौलिक अन्तर है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुख्यतः अर्हताएं एवं कार्य एक से हैं । परन्तु वेतनमानों में भेद का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में तो बोनस भी मिलता जिसका कि नये लगने वाले कर्मचारियों को भी अनुग्रहपूर्ण भुगतान किया जाता है जोकि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है । परन्तु महंगाई भत्ते का सूत्र लगभग वही है तथा महीने के पश्चात् मिलने वाली उपलब्धियां लगभग समान है ।

मुक्त हुए बन्धित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बनाई गई योजनाएं

*165. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में मुक्त हुए बन्धित श्रमिकों का पुनर्वास करने के लिये क्या योजनाएं बनाई तथा क्रियान्वित की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों ने मुक्त हुए बन्धक मजदूरों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं बना ली हैं तथा उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं ताकि ये लोग कृषि, डेरी कार्य, मुर्गी-पालन, कुटीर उद्योग, छोटे व्यापार आदि जैसे कुछ लाभप्रद धन्धे कर सकें । इन योजनाओं के अन्तर्गत आम-तौर पर, किसी मार्जिन अथवा सामूहिक गारन्टी के आधार पर प्रतिभूति पर जोर दिये बिना, शत प्रतिशत धन, दिया जाता है । जब कभी, ऋणकर्ता विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त करने के हकदार होते हैं तो उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है और अन्य मामलों में 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच की रियायती दर से ब्याज लिया जाता है ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक मुक्त हुए बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं,

तो क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन बन्धित श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये कोई निदेश दिये हैं और यदि हां; तो इन में से कुछ बैंक इस योजना पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिये । राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में इस बात पर बल दिया गया था । मैं मानता हूं कि इस दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंक अब उतना कार्य नहीं कर रहे जितनी जिसकी हमें उनसे आशा थी । हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में सुधार किस प्रकार किया जाये । हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही नहीं बल्कि मुख्य मंत्रियों से भी थोड़े दिन पूर्व इस सम्बन्ध में बातचीत की। ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं पर विचार करने हेतु एक समिति बनाई गई है और यह समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन देगी । उसके बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या : उत्तर में बताया गया है कि ब्याज की दो दरें हैं --एक 4 प्रतिशत और दूसरा 10 से 12 प्रतिशत । चूंकि बन्धित श्रमिक सब से अधिक निर्धन वर्ग के लोग हैं इसलिये क्या उन्हें ब्याजमुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सर्वप्रथम तो इन लोगों के पुनर्वास के लिये बैंकों से सहायता मिलनी चाहिये । जब कोई व्यक्ति दासता से मुक्त किया जाता है तो उसे कुछ सुविधायें प्रदान करनी होंगी ताकि वह अपना पुनर्वास कर सके । चार प्रतिशत ब्याज दर उन जिलों में लागू की गई हैं जहां विभेदी ब्याज दर योजना लागू है । देश के 325 जिलों में ब्याज की यह दर लागू है । दूसरे प्रकार की सहायता के लिये ब्याज की दर 10 से 12 प्रतिशत के बीच है । ब्याज मुक्त ऋण देने के बारे में मैं एकदम नहीं बता सकता ।

श्री डी० बसुमतारी : एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23,000 लोगों को बन्धित श्रम से मुक्त किया गया है। क्या उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने उत्तर में बताया है कि भेड़पालक मुर्गीपालन, खेती आदि जैसी बहुत सी योजनायें हैं । यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस बैंक ने कौनसी योजनायें अपनाई हैं और कितने लोगों को सहायता दी गई हैं तो यह जानकारी मैं उन्हें दे सकता हूं ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मनानीय मंत्री जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये ऋण सुविधायें देने के लिये 8 किलोमीटर की दूरी की सीमा है ? यदि हां तो ये लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक फैले हुए हैं इस सहायता को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे ? क्या दूरी की इस सीमा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें, सहकारी समितियां और क्षेत्रीय ग्रामीण, बैंक ग्रामीणों को ऋण देते हैं। हमारी कोशिश के बावजूद, बहुत से लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती । यह सुविधा सभी को सुलभ हो इसके लिये हम निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।

संकटग्रस्त चाय बागान

+

***169. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिए चालू सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जानकारी विधेयक में नहीं होगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हां है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब तो मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता क्योंकि विधेयक में सभी कुछ दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक पुरःस्थापित हो गया है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नहीं। हमने लोक सभा सचिवालय से इसके पुरःस्थापन के लिये समय देने के लिये कहा है । विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप तत्सम्बन्धी मुख्य बातें बता सकते हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं उस समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें बता सकता हूं जिनके आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया है। विधेयक में क्या है, यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन समिति की सिफारिशों में क्या है यह मैं संक्षेप में बता सकता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका हमें पता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन चाय बागानों के वास्तविक प्रबन्ध को केन्द्र के नियंत्रण में लाने या उन राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाने पर विचार कर रही है जिनके क्षेत्राधिकार में ये स्थित हैं ? एक खबर यह भी है कि इन चाय बागानों को इनके संकटमुक्त होने के बाद, इनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया जायेगा। इन दोनों बातों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन बागानों के संकटमुक्त होने पर इनके वास्तविक मालिकों को इन्हें सौंपने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

यदि राज्य सरकारों ने ऐसे निगम स्थापित किये जो इन बागानों की भली भांति देखभाल कर सके तो हम इनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे। किन्तु यदि ऐसे निगम स्थापित नहीं किये गये तो हम इनका प्रबन्ध किसी अन्य सरकारी निगमों और यदि आवश्यक हुआ तो गैर-सरकारी निगमों को भी सौंप देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विधेयक के आने से पहले ही हम देखते हैं कि सरकार बहुत से ऐसे चाय बागानों को खास तौर पर उन चाय बागानों को जो जोन 3 में स्थित हैं, काफी वित्तीय सहायता दे रही है । गत तीन वर्षों में इन चाय बागानों गैर-सरकारी बागानों को कितनी धनराशि किस खाते में और किस प्रयोजन के लिये दी गई है? क्या सरकार के पास यह जानने को भी कोई व्यवस्था है कि इन चाय बागानों के मालिक इस धनराशि को किस प्रकार खर्च कर रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रश्न संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध तथा उनके प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कितनी धनराशि किस प्रयोजन के लिये दी गई है ? इसके लिये अलग नोटिस देना होगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय ने बताया है कि इन चाय बागानों को नियंत्रण एक विधेयक के माध्यम से चालू सत्र में ही सरकारी नियंत्रण में ले लिया जायेगा । क्या सरकार ने इसके लिये समुचित व्यवस्था कर ली है ? पहले ही कुछ ऐसे संकटग्रस्त एकक हैं जिनके प्रबन्ध ने महत्वपूर्ण मशीनरी और संयंत्र वापस लेने शुरू कर दिये हैं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे वस्तुओं के नष्ट किये जाने की सम्भावनाओं को रोका जा सके ? क्या इन बागानों के कर्मचारियों को भी विधेयक के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जायेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बन्द चाय बागानों की शेष सम्पत्ति की चोरी, दुरुपयोग आदि न हो, इसके लिये उपयुक्त कदम उठाये गये हैं । जब इन बागानों को चालू किया जायेगा तो इनके कर्मचारियों को नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि या तो राज्य सरकार एक निगम बनाकर इन बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी या केन्द्रीय सरकार उन्हें अपने हाथ में ले सकती है या एक गैर-सरकारी चाय बागान निगम उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकता है, तो क्या यह सच है कि कुछ चाय बागानों के मालिक एक निगम बना कर सरकार पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इन बागानों को आधुनिक बनाकर उन मालिकों को भी इन्हें सौंप दे । क्या ऐसा कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसी कोई बात नहीं है । सरकार पर दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं है और न ही सरकार ऐसे दबाव में आने वाली है। मेरे सहयोगी

ने अभी बताया कि हमने 100 से अधिक मिलों को अपने हाथ में लिया है। यदि हम कपड़ा उद्योग में ऐसा दबाव नहीं मानते तो हम और किसी उद्योग में भी नहीं मान सकते। किन्तु अब बात यह है कि एक गैर-सरकारी कम्पनी बन गई है। वह न लाभ न हानि आधार पर उत्तरदायित्व संभालने के लिये तैयार है। यह एक विकल्प हमारे सामने है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

व्यापार मेले

*171. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में किन-किन देशों में व्यापार-मेलों का आयोजन किया गया ;

(ख) उन मेलों में भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि अर्जित की गई अथवा कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त किये गये ; और

(ग) क्या सरकार का देश में निकट भविष्य में कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मेला आयोजित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975–76 के के दौरान, प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय और व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद् ने निम्नलिखित 17 देशों में भारतीय व्यापार प्रदर्शनियों का तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने का आयोजन किया : बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, दुबाई, फ्रांस, जर्मनी का संघीय गणराज्य, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, ईरान, इराक, इटली, लीबिया, पोलैंड, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, युगोस्लाविया तथा जाम्बिया।

(ख) भाग लेने वाली फर्मों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इन प्रदर्शनियों तथा मेलों में लगभग 25.9 करोड़ रुपये की राशि के आर्डर प्राप्त किये गये।

(ग) देश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी : चूंकि मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर हां में दिया गया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय के भीतर हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जा सकेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चूंकि यह विषय अभी विचाराधीन है इसलिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

श्री राम सहाय पांडे : अनेक देशों में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में हम भाग लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश की कौनसी देशी वस्तु अथवा किसी और चीज ने विदेशियों को सर्वाधिक आकर्षित किया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभी वस्तुओं ने।

श्री राम सहाय पांडे : ऐसी विशिष्ट वस्तु कौनसी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बहुमूल्य इंजीनियरी के सामान से लेकर हस्तशिल्प तक सभी चीजों ने विदेशियों को आकर्षित किया है।

पुरी समुद्र तट का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

+

*172. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी समुद्र-तट का मैरीन ड्राइव के माध्यम से पुरी-कोणार्क को जोड़ते हुए एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ख). सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के प्रयत्न फिलहाल उन समुद्रतटीय क्षेत्रों का विकास करने पर केंद्रित हैं जिन पर कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है, जैसे कोवालम, गोवा तथा महाबलीपुरम।

इन स्थानों पर समुद्रतटीय पर्यटन की फलप्रदता का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही, पर्यटन विभाग समुद्रतटीय विहारस्थलों के रूप में विकास करने के लिए नए क्षेत्रों को खोलने पर विचार करेगा।

Shri Anadi Charan Das : Sir, the Minister's reply is not encouraging. Orissa is already a backward State and you want it to remain in that position. When his department is engaged in developing Kovalam, Goa and Mahabalipuram as tourist resorts, what is the difficulty in initiating work for the development of Orissa which has places like Konark, Puri and Bhuwaneshwar ? Why he is so miser ?

Shri Surendra Pal Singh : Sir, we have no intention to keep Orissa backward. But the difficulty is of resources. We will definitely take up the scheme when our resources permit.

Shri Anadi Charan Das: Have you constructed any road between Konark and Puri ? If so, the amount spent thereon ?

Mr. Speaker : This does not pertain to him.

श्री बी० वी० नायक : महोदय, हमें ज्ञात है कि वित्तीय साधनों की कमी है। लेकिन यदि आपके विभाग के पास पैसा नहीं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पर्यटन स्थल का सारा ढांचा आप तैयार कर दें और तब वहां कई होटल खोल दिये जाएं। अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता ली जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको ढंग बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम इस पर विचार कर सकते हैं। यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मंत्री जी ने कहा है कि कोवलम और गोवा को पर्यटक स्थल बनाने पर काम हो रहा है इसलिए पुरी-कोणार्क का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सकता। मंत्री महोदय बताएं कि कोवलम-गोआ के बारे में प्रस्ताव कब किया गया था? इन्हें विकसित किये जाने का प्रस्ताव तो हाल ही की बात है। पुरी-कोणार्क के सम्बन्ध में तो बहुत पहले प्रस्ताव किया गया था। पूर्वी भारत बल्कि समूचे भारत में यह सर्वोत्तम स्थान है। यहां हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती रही हैं कि इन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाए। यदि यह बात ठीक है तो क्या इस वर्ष अथवा अगले वर्ष केन्द्र द्वारा या राज्य सरकार को सहयोग देकर इन परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : लगता है कुछ भ्रान्ति हो रही है। वास्तव में दो परियोजनाएं हैं। एक तो है पुरी में तटीय स्थलों का विकास और दूसरी है कोणार्क-भुवनेश्वर के विकास के बारे में। जहां तक तटीय स्थलों के सम्बन्ध हैं, मैंने कहा है कि इस परियोजना को अभी हाथ में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसी प्रकार की तीन अन्य योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन तीन योजनाओं की सफलता को हम परखना चाहते हैं। इसके बाद ही चौथी योजना के सम्बन्ध में कार्य शुरू किया जायेगा। जहां तक भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी के विकास का सम्बन्ध है, वहां कार्य चल रहा है। केन्द्र सरकार वहां के लिए एक मास्टर प्लान बना रही है। उस क्षेत्र के विकास के मामले में हम उड़ीसा सरकार से पूर्ण रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

भारत और इराक के बीच व्यापार

+
***173. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक के बीच व्यापार के भावी स्वरूप के बारे में हाल में इराक के विदेश व्यापार मंत्री के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). फरवरी, 1976 में इराक के विदेश व्यापार मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार का पुनर्विलोकन किया गया। इस पर सहमति हुई कि विशेष रूप से अपरम्परागत मदों के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है और इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। तथापि, इस यात्रा के दौरान किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मंत्री जी बताएंगे कि एक भारत-ईराक का एक संयुक्त आयोग बनाये जाने का प्रस्ताव है और क्या यह आयोग अन्य देशों में उद्योग स्थापित करेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारत-ईराक संयुक्त आयोग तो पहले से ही है। इस महीने के अन्तिम सप्ताह में उसकी बैठक होगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आप कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार की काफी सम्भावनाएं हैं तो आपसी समझौता क्यों नहीं हो पाया ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह तो एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि एक समझौता तो पहले ही चल रहा है। इस महीने के अन्त में संयुक्त आयोग की बैठक के बाद एक समझौते पर और हस्ताक्षर किये जायेंगे।

श्री राम सहाय पांडे : माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी समझौता नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी वार्ता हुई है। इस वार्ता से पूर्व इराक को किन चीजों का निर्यात किया जाता था ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुख्य रूप से हम इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात करते हैं और कुछ तेल वहां से आयात किया जाता है। इस समय प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट निगम, राज्य व्यापार निगम, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, इलैक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रोद्योगिकी विकास निगम तथा दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के शिष्टमंडल इराक की यात्रा पर हैं। इन संगठनों के नामों से ही सदस्य महोदय अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इराकी मित्रों को किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है।

कालीकट हवाई अड्डा

*174. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के योजना परिव्यय में कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कालीकट में एक विमानक्षेत्र के निर्माण की परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल की गई थी। किन्तु विमान ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से हुई परिचालन लागत की बढ़ोतरी तथा अपने विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण इंडिया एयरलाइन्स को अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ा और कारपोरेशन ने अपने आपको पंचवर्षीय योजना में कालीकट के लिये परिचालन करने में असमर्थ पाया। अतः परियोजना को स्थगित कर देना पड़ा तथा वर्ष 1976–77 के वार्षिक योजना परिव्यय में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। फिर भी संसाधनों के उपलब्ध होने की स्थिति में इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने का विचार है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : उत्तर से स्पष्ट है कि वर्ष 1976–77 के लिए योजना परिव्यय में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि कालीकट में हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय साधनों की स्थिति ठीक होते ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन: कालीकट हवाई अड्डे पर कितना खर्च होगा और कालीकट को किन-किन राज्यों से मिलाया जायेगा ? इससे कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : नागर विमानन विभाग द्वारा किया गया व्यय और राज्य सरकार द्वारा भूमि खरीदने और जमीन को घेरने आदि पर कुल 26 लाख व्यय किया गया है। लेकिन इस समय सम्पूर्ण योजना स्थगित कर दी गई है। जब इंडियन एयर लाइन्स कालीकट से सेवा चालू करने की स्थिति में होगा तब इस परियोजना पर पुनः काम चालू किया जायेगा।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : मुझे पता चला है कि सफारी एयरवेज कालीकट से कोचीन तक विरला हवाई पट्टी से डकोटा सेवा आरम्भ करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि डकोटा सेवा लोकप्रिय न हो सकेगी और तब सरकार कहेगी कि कालीकट हवाई सेवा लोकप्रिय नहीं हो पायी। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आंकड़े चाहे कुछ हों, कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अवश्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कुछ निजि विमान वाहक जैसे सफारी एयरवेज तथा एक या दो अन्य एयरवेज एजेंसियों ने कालीकट से सेवा आरम्भ करने में कुछ रुचि दिखलाई है। इस प्रयोजनार्थ हम चिलारिया के स्थान पर हवाई पट्टी में सुधार कर उसे विकसित करने की सोच रहे हैं। यह प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

चीनी, रूई और आलू का निर्यात

\+
*175. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में चीनी, रूई और आलू के निर्यात का कीर्तिमान स्थापित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य कृषि उत्पादों तथा साधित खाद्य-पदार्थ के निर्यात को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख). 1975–76 के पूरे वर्ष के लिए निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार ऐसी संभावना है कि चीनी, रुई तथा आलू के निर्यात रिकार्ड स्तर तक पहुंच जायेंगे।

(ग) सरकार का यह प्रयास है कि कृषि उत्पादों तथा साधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को यथा संभव अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये जोकि उत्पादन, निर्यात के लिए उपलब्धता, वस्तुओं की कीमतों तथा अन्य उपादानों पर निर्भर करेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान चीनी निर्यात की स्थिति का उनके मंत्रालय ने क्या अनुमान लगाया है और हमारी चीनी के प्रमुख ग्राहक कौन-कौन से देश हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस वर्ष 10.37 लाख टन चीनी का निर्यात किये जाने की आशा है जिस से लगभग 422.29 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। कई देश जैसे ईरान और मिस्र हमारी चीनी खरीदते हैं, तथा कुछ ऐसे ग्राहक भी हैं जो चीनी लेकर अन्य देशो में बेचते हैं। ऐशिया और योरूप के बहुत से देशों में हमारी चीनी के लिए अच्छा बाजार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय चाय के उत्पादन की लागत

*164. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादों की तुलना में भारत में चाय के उत्पादन की लागत अधिक है ; और

(ख) क्या चाय के मूल्य में वृद्धि होने के कारण भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चाय मण्डी में अपनी प्रमुख स्थिति खो बैठने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) विभिन्न देशों में चाय के उत्पादन की लागत से सम्बन्धित ठीक-ठीक आंकड़े तुलना के लिये उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1974 में पूरे विश्व में चाय की कीमतें काफी बढ़ीं जिसमें भारतीय चाय की कीमत का बढ़ाना भी शामिल है। इससें विश्व चाय निर्यात में भारत के भाग पर, जो कि 30 प्रतिशत है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत को अमरीकी सहायता बन्द किया जाना

*166. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को सहायता देना बंद करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सरकार ने समाचारपत्रों में छपे ऐसे समाचार देखें हैं कि अमेरिका की सरकार का इस वर्ष भारत को फ़िर से सहायता देना शुरू करने का विचार नहीं है। 1972 से लेकर भारत को अमरीका से कोई द्विपक्षीय विकास सहायता नहीं मिली है और न ही भारत ने कोई सहायता मांगी है। हमारी नीति यह नहीं है कि अमेरिका या किसी अन्य देश से मिलने वाली सहायता के आधार पर उन देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित किए जाए अपितु हमारी

नीति आत्मनिर्भरता की है। अन्य देशों को सहायता देने अथवा न देने के बारे में निर्णय करना अमेरिका की सरकार का काम है।

ऋण वितरण करने की देखरेख के लिये गैर-सरकारी सलाहकार समिति का गठन

*167. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में दुर्बल वर्गों के लोगों में ऋणों के वितरण की देख रेख करने के उद्देश्य से एक गैर-सरकारी सलाहकार समिति का गठन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मार्गदर्शी सिद्धांत और उसका गठन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को दिये जाने वाले ऋण की देख रेख के वास्ते गैर-सरकारी परामर्शदात्री समितियों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। फ़िर भी 'संसद् की प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिश के अनुसरण में' 'लीड बैंक योजना' के अधीन स्थापित जिला परामर्शदात्री समितियों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने का प्रश्न सरकार और रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। यह निश्चय किया गया है कि जिन राज्यों में कुछ जिला परामर्शदात्री समितियों में गैर सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया जा चुका है, उनके अलावा, अन्य राज्यों में, हर राज्य में एक जिले के हिसाब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशिष्ट दक्षता रखने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को जिला परामर्शदात्री समितियों में प्रायोगिक रूप से शामिल किया जाये।

Export of Mica by MITCO

*168. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether any efforts are being made by Mica Trading Corporation towards removing stagnation in mica trade and increasing export thereof; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) Yes, Sir.

(b) The broad outlines are as follows:

(1) the minimum floor prices for export of mica have been revised to boost production/export of mica;

(2) Mica Trading Corporation has opened new units for purchase and processing of mica, so as to ensure supply of quality mica;

(3) the Corporation continues to make regular purchases of mica;

(4) The Corporation gives preference to the weaker sections in the matter of purchase of mica; and

(5) Mica Advisory Committee has been constituted by Government for making suggestions for:

(*i*) improving the production and export of mica; and

(*ii*) development of processed and fabricated mica, promotion of mica based industries and export of mica products.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की बैठक

***170. श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक मुख्यतया 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के लिये कार्यक्रम तैयार करने और ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने हेतु फ़रवरी में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकले और क्या कार्यक्रम तैयार किया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक 24 फ़रवरी, 1976 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, विशेष तौर से, ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की ऋण प्रसार से सम्बन्धित उपायों के अनुसरण में, सरकार द्वारा किये गये प्रशासनिक एवं वैधानिक उपायों के लाभान्वितों को सहायता देने के उद्देश्यों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक किये गये और आगे किये जाने वाले उपायों की समीक्षा की।

इस बैठक में की गई समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, सरकारी क्षेत्र के बैंको ने, कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य उपेक्षित क्षेत्रों की सहायता की अपनी चालू योजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के साथ-साथ भूमिहीन मजदूरों के लिये (विशेष रूप से उनके लिये जो बंधुआ मज़दूरी से मुक्त हुए हैं और जिन्हें अतिरिक्त भूमि दी गई है), तथा ग्रामीण कारीगरों और हाथ से कपड़ा बुनने वालों के लिये बैंक सुविधा की योजनायें बनाने का प्रयास किया है। प्रशासनिक प्राधिकरणों और विभिन्न स्तरों पर बैंकों के बीच घनिष्ठ संपर्क की स्थापना, कार्यक्रम से लाभान्वितों की शीघ्र पहचान राज्य सरकारों और वाणिज्यिक बैंकों दोनों ही के द्वारा उत्पादन अग्रिमों के बारे में इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशिष्ट योजनाओं का निर्माण, क्षेत्री ग्रामीण बैंकों की स्थापना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अधिक ऋण की सुविधा के लिये बिल्कुल नीचे के स्तर पर सहकारी ढांचे को मजबूत बनाना आदि जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर राज्य सरकारी तथा बैंकों, दोनो ही के द्वारा अब खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि बैंक 20 सूत्री आर्थिक कार्याक्रम के कार्यन्वयन में अपनी भूमिका को समुचित रूप से निभा सकें।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में विमान सेवाएं चलाने का निर्धारित समय

***176. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति की घोषणा के बाद भी इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपनी विमान सेवाएं निर्धारित समय पर चलाने में काफ़ी हद तक असफ़ल रहा है ; और

(ख) निर्धारित समय का पालन और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। वर्ष 1975 के पहले छः महीनों के दौरान 67.82 प्रतिशत की तुलना में, जुलाई से दिसम्बर, 1975

तक की छः महीने की अवधि के दौरान "नियत समय पर हुई उड़ानों" का प्रतिशत 68.15 था जिनमें खराब मौसम के कारण देर से की गयी तथा रद्द की गयी उड़ानों सहित समस्त उड़ानें सम्मिलित हैं।

(ख) कारपोरेशन द्वारा अपनी "नियत समय पर उड़ानों" में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथापि, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के पहलू को दृष्टि में रखते हुए इंडियन एयरलाइन्स को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होती है कि इसे अपने परिचालनों में, विशेषतः खराब मौसम आदि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो इसके नियंत्रण से बहार हो, कोई अनावश्यक खतरा न उठाना पड़े।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास

***177 श्री विश्व नारायण शास्त्री :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये गत तीन वर्षों में क्या उपाय किये गये और क्या सहायता दी गई?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशियों के जाने पर लगे प्रतिबंधों के कारण, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि दूसरे क्षेत्रों में। तथापि साधनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए राज्य के कुछ चुने हुए केन्द्रों पर केन्द्रीय सैक्टर में पर्यटन योजनाओं को हाथ में लिया गया। इन में गोहाटी में एक पर्यटक बंगले का निर्माण, दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल, दार्जिलिंग में परिवहन की व्यवस्था तथा वर्तमान पर्यटक बंगले का विस्तार और काजीरंगा तथा जलदापाड़ा में फ़ारेस्ट लाजों का निर्माण सम्मिलित था। पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटन साहित्य में इस क्षेत्र में पर्यटक रुचि के चुने हुए स्थानों को भी सम्मिलित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सैक्टर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हाथ में ली गयी विविध योजनाओं तथा उन पर किये गये व्यय को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सैक्टर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हाथ में ली जाने वाली पर्यटन योजनाओं को दिखाने वाला विवरण।

		(लाख रुपयों में) किया गया व्यय		
क्रम सं०	योजना का नाम	1972-73	1973-74	1974-75
	आसाम			
1	गोहाटी में पर्यटक बंगला	2.00	1.75	2.20
2	काजीरंगा में वन लॉज	2.60	2.93	2.93
	पश्चिम बंगाल			
1	दार्जीलिंग में पर्यटक लांज का विस्तार	..	2.61	2.00
2	जलदापारा में विश्राम गृह का निर्माण	0.85	1.15	2.16
3	दार्जीलिंग में युवा होस्टल	0.20	2.08	1.50
4	दार्जीलिंग क्षेत्र में पर्यटकों के लिए दो जीपों की व्यवस्था	0.82	..	..
	योग	6.47	10.52	10.79

देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

*179. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में अब तक कितने क्षेत्रीं ग्रामीण बैंक खोले गये हैं, और

(ख) जिन क्षेत्रों में अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खुले हैं, वहां कब तक उनके खुलने की सम्भावना है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) अब तक उन्नीस जिलों के लिए ग्यारह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित करने के वास्ते अध्ययन किया जा रहा है कि जिनमें कृषि के विकास की अच्छी सम्भावना तो है किन्तु उनमें वाणिज्य बैंकों की सेवायें अपर्याप्त हैं तथा सहकारी समितियां अपेक्षा कमजोर हैं। चालू वित्तीय वर्ष में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायगी।

तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिये उपाय

*180. **श्री एन० आर० दामाणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में की गई सख्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप तस्करी की गतिविधियों में कितनी कमी हुई है ;

(ख) किन क्षेत्रों में अब भी ऐसी गतिविधियां होने की गुंजाइश है और अधिक सतर्कता बरतने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) तस्करी का प्रलोभन समाप्त करने के लिये कौन से अन्य उपाय विचाराधीन हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) सभी बातों से यही प्रकट होता है कि सरकार के तस्करी विरोधी अभियान के परिणामस्वरूप तस्कर व्यापार बहुत कम हो गया है। हालांकि माल पकड़ने की घटनाओं में कमी नहीं हुई है अथवा उन्हें और बढ़ा दिया गया है फिर भी प्रति माह पकड़े गये माल का मूल्य गिर गया है और अवैध बाजारों में तस्करी के माल का मूल्य आम तौर पर बढ़ गया है जो इस बात का संकेत है कि देश में अवैध माल के आयात में उल्लेखनीय कमी हुई है। इसी प्रकार नियमित बैंकों के माध्यम से देश में भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा, जिसमें निर्यातों और विदेशी सहायता के प्रति भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है, स्पष्ट रूप से बढ़ी है जो अवैध कार्यों के लिये विदेशी मुद्रा की मांग में कमी होने का संकेत है। गुप्त सूचना रिपोर्टों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि भारत की ओर तस्करी की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं।

(ख) और (ग) सदन पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है।

विवरण

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों को सुगमता से पार किये जा सकने योग्य स्थल घोषित किया गया है उन्हें अभी भी तस्करी क्रियाकलापों के लिए सुगमता से पार किए जा सकने योग्य स्थल माना जा रहा है। तस्करी के विरुद्ध और अधिक सतर्कता बरतने के लिए किए गये उपायों में से कुछ इस प्रकार है :—

(क) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 को समय समय पर सुदृढ़ बना दिया गया और अनेक व्यक्तियों को निवारक नजरबंद किया गया है।

(ख) सीमाशुल्क निवारक तंत्र को अधिक कर्मचारी, नार्वे से आयात की गई तीव्र गति वाली यंत्रीकृत नौकाएं और अधिक गाड़ियां हथियार तथा गोला बारूद और सुगमता से पार किए जा सकने योग्य स्थलों पर बेतार संचार व्यवस्था उपलब्ध करके सुदृढ़ किया गया है। तस्कर व्यापारियों से पकड़े गये जलयानो को भी हस्तगत करके काम में लाया जा रहा है।

(ग) तस्करी की वस्तुओं के जाने माने विपणन केन्द्रों में बार-बार छापे मारे गये हैं और तलाशी लेने तथा माल पकडने की कार्यवाही तेज कर दी गयी है।

(घ) समुद्र की व्यापक और नियमित गश्त तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों, माल उतारने के संदिग्ध स्थलों तथा साथ ही पूरक मार्गों की व्यापक रूप से गश्त लगाने की व्यवस्था की गई है।

(ङ) गुप्त सूचना तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि गुप्त सूचना रिपोर्टों को और अच्छे ढंग से इकट्ठा किया जा सके और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

(च) ऐसे बहुत से व्यक्तियों के पारपत्र रद्द कर दिये गये हैं जो तस्कर व्यापार मे अन्तर्ग्रस्त थे।

(छ) तस्कर व्यापारी तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति राज्यसात्करण) अधिनियम, 1976 के अधीन तस्कर व्यापारियों की सम्पत्तियां जब्त करने के संबंध में कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

(ज) सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनामों की रकमों में वृद्धि की गई है ताकि उन्हें तस्करी के बारे में और अधिक सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(झ) असबाब नियमों तथा सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित माल से संबंधित उपबंधों को और अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है।

(ञ) सीमाशुल्क प्राधिकारी इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि मजिस्ट्रेटों द्वारा जमानतें अस्वीकार कर दी जायं और साथ ही जमानत स्वीकार करने तथा कम दण्ड देने के विरुद्ध अपीलें भी दायर की जा रही हैं।

(ट) विदेशी माल के लिए उत्कट चाह रखने की जनता की आदत छुड़ाने की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं ताकि तस्करी के माल की मांग कम हो जाये। तस्करी क्रिया-कलापों के कुपरिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक वृत्त चित्र तैयार किया जा रहा है। मारे गये छापों, गिरफ्तारी आदि के परिणामों का भी प्रचार किया गया है ताकि जनता पर उसका असर पड़ सके।

(ठ) विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय, आयकर विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय के बीच तथा राज्य सरकारों के साथ जो अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है।

(ड) प्रशासनिक उपाय भी किए गये हैं, जैसे अवांछित तत्वों का स्थानान्तरण, समयपूर्व सेवा निवृत्ति, अनुशासनिक कार्यवाही, आदि द्वारा छंटनी करना और साथ ही ईमानदार और कुशल कार्यकताओं को प्रोत्साहित करना।

सरकार जिन और उपायों पर विचार कर रही है उनमें से कुछ उपायों में ये भी शामिल हैं :—

(1) आर्थिक अपराधों के मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाना और सरसरी तौर पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था,

(2) सीमाशुल्क अधिनियम और अन्य समवर्ती अधिनियमों में संशोधन करना ताकि कानूनी ढाचे को सुदृढ़ किया जा सके ;

(3) गुप्त सूचना और जांच पड़ताल तंत्र में और आगे सुधार लाना ;

(4) तस्करी विरोधी कार्य के अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षकों के और पदों का सर्जन ; और

(5) अधिक जलयानों तथा मोटरगाड़ियों को इस कार्य में लगाना।

चूंकि तस्करी विरोधी अभियान एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए विभिन्न उपायों की बारबार समीक्षा की जाती है।

ब्याज दरों की अधिकतम सीमा

880. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा लगाने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बेंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर वसूले जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर 16.5 प्रतिशत निर्धारित की है जो 15 मार्च, 1976 से लागू की गई है तथा उसमें अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय पर कर के रूप में की गयी वसूली शामिल है। यह सीमा हुंडी वित्त के भुगतान की दर पर भी लागू होती है।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आने वाली वस्तुओं के वास्ते दिये गये अग्रिमों को ब्याज की अधिकतम दर के प्रवर्तन से छूट है इसमें अनियमित खातों पर लागू होने वाली दण्डात्मक दरें भी नहीं आती हैं।

ब्याज की अधिकतम दर उन बैंकों पर लागू नहीं होती है जिनके मांग और समय दायित्व 25 करोड़ रुपये से कम है। जिन बैंकों के मांग तथा समय दायित्व 25 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये के बीच हैं, उन्हे 16.5 प्रतिशत की अधितम दर से ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिशत अधिक लेने की अनुमति है

16.5 प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम दर भारत में कारोबार करने वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू होती है चाहे उनकी जमा की मात्रा कितनी भी क्यों न हो।

Prices of Tobacco, Mineral Oil and Electric Appliances

881. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether price index of tobacco, coal, mineral oil, electric appliances and transport equipment has considerably increased during 1975-76 as compared to that of 1974-75; and

(b) if so, the steps taken to check this increase?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) The table below shows that, except in the case of coal, the price rise in 1975-76 has, on an average, been much less than in 1974-75. Even in the case of coal, the price rise in 1975-76 was less than in 1974-75:—

	Percentage Variation in Wholesale Price Index (April—February Average)	
	1974-75 over 1973-74	1975-76 over 1974-75
Tobacco	+22·6	+4·5
Coal	+28·4	+26·0
Mineral Oils	+75·0	+5·2
Electrical Machinery	+31·1	+10·2
Transport Equipment	+30·8	+6·5

(b) The All Commodities Index declined, on an average by 2·9 per cent during 1975-76 (April—February) in contrast to an increase of 14·3 per cent in 1974-75 (April—February). Thus, the Government's anti-inflationary measures have proved effective in curbing the rise in prices. However, increases in prices of individual commodities can take place because of cost escalation. For example, in the case of coal, the administered prices had to be raised in July, 1975 because of a wage agreement in the industry which became effective in January, 1975.

दीघा का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

882. **श्री समर गुह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बाहर पश्चिम बंगाल में केवल दीघा ही एक ऐसा समुद्री विहारस्थल है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए सुगम है ;

(ख) क्या दीघा में वर्ष 1975 में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या दीघा में सुविधाओं की कमी ही पर्यटकों के लिए कम आकर्षण के रूप में इस केन्द्र के अधिक विकास के बाधक हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या दीघा को केन्द्रीय पर्यटन मानचित्र में लाने और इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत में पर्यटन महत्व के स्थानों की बड़ी भारी विविधता है जिनमें समुद्रतटीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। पर्यटन विभाग पर्यटकों के आंकड़े स्थानवार आधार पर नहीं रखता। अतः केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास ऐसे यात्रियों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिन्होंने 1975 के दौरान दीघा की यात्रा की।

(ग) से (ङ) सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए, पर्यटन विभाग को पर्यटक केन्द्रों/क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित करने में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ा है। पर्यटन विभाग फ़िलहाल उन समुद्र तटीय क्षेत्रों का विकास करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिन पर कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है, जैसे कोवलम, गोवा और हाबलीपुरम : इन स्थानों पर समुद्रतटीय पर्यटन की फ़लोत्पादकता का मूल्यांकन करने के पश्चात ही पर्यटन विभाग समुद्र तटीय विहार स्थलों के रूप में विकास के लिए नए क्षेत्रों के खोलने पर विचार करेगा।

जीवन बीमा निगम की यूनिट सम्बन्धी पालिसियाँ

883. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की यूनिट सबंधित पालिसयां साधारण पालिसियों से अधिक लाभकारी हैं और फ़िर भी दूसरी की अपेक्षा पहली में कुल कारोबार बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने यूनिट संबंधित पालिसयों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यूनिट सम्बद्ध बीमा पालिसी एक एकल पालिसी है जो भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा भारत के यूनिट ट्रस्ट को जारी की जाती है जिसके अन्तर्गत वे सभी यूनिट धारक आ जाते हैं जो ट्रस्ट की यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना के अधीन अंशदान करते होते हैं। यह पालिसी 10 वर्ष के भीतर मत्यु हो जाने की दशा में ही

सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी तुलना भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किए जाने वाले व्यक्तियों गत बीमाओं से नहीं की जा सकती, जिसकी शर्तें तथा लाभ भिन्न हैं।

(ग) यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना का प्रचार भारत का यूनिट ट्रस्ट करता है। इस में विवरणिकाओं तथा प्रेस विज्ञापनों का जारी किया जाना शामिल है।

लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि

884. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 (दिसम्बर, 1975 तक) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में लघु बचत योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र ने लघु बचत योजना के अन्तर्गत कितनी वास्तविक राशि एकत्रित की ; और

(ग) क्या इन लक्ष्यों से अधिक राशि एकत्र करने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन दिया गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं तथा उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : हालांकि भारत सरकार ने अल्प बचतों के कुल संग्रह के बारे में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं लेकिन राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं।

(ग) जिन राज्यों के सकल संग्रह और निवल संग्रह के बीच का अनुपात अखिल भारतीय अनुपात से अधिक हो उन्हें प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसी प्रकार, जिन राज्यों में व्यक्तिगत संग्रहों की राशि इन संग्रहों के लक्ष्य से बढ़ जाती है, उन्हें अतिरिक्त उधार दिए जाते हैं।

Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh

885. **Shri Bhagirath Bhanwar** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the names of tourist centres in Madhya Pradesh and the nature of efforts being made to develop them;

(b) whether there is any new scheme for providing facilities to the tourists at Mandav, Khajuraho, Ajanta and Ellora; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) (a) The development of tourist centres is determined on the basis of their existing or potential popularity with international tourists. With this end in view, facilities for international tourists have already been created at Khajuraho, Sanchi, Bhopal and Kanha National Park. A statement showing expenditure incurred during 1974-75 and anticipated expenditure during 1975-76 is enclosed.

(b) and (c) Due so limited resources and cut in outlays, the Department of Tourism is concentrating in developing facilities only at Khajurao and Bhopal in Madhya Pradesh the Central Department of Tourism proposes to set up a camping site at Khajuraho during 1976-77. ITDC proposes to construct a 100 bedded motel at Bhopal at an estimated cost of Rs. 50 lakhs during the Fifth Plan period.

No new schemes are proposed to be taken in up the Central Sector at Ajanta, Ellora and Mandev.

Statement

Sl. No.	Name of the scheme	Actual exp. 1974-75	Antici-pated exp. 1975-76
		Rs.	Rs.
1	Water supply at Khajuraho	2,40,000	75,000
2	Water supply at Sanchi	70,000	..
3	Water supply at Kanha-Kisli	60,000	..
4	Youth Hostel at Bhopal	30,000	74,000
	Total	4,00,000	1,49,000

Branches of Nationalised Banks in Bihar

886. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of branches of nationalised banks in Bihar and the amount of loan given by them to the farmers of lower income-group, District-wise upto December, 1975 ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): The number of offices of public sector banks including nationalised banks functioning in Bihar State as on the 31st December, 1975 is 873.

2. The present system of data reporting does not provide for classification of bank advances into specific categories such as "loans to farmers of lower income group". However, the total agricultural advances granted by the public sector banks and outstanding at the end of December, 1974 district-wise in the State of Bihar as are as under:—

(Rs. in lakhs)

District	Advances out-standing as on December, 1974
Aurangabad	3·46
Begusarai	15·12
Bhagalpur	44·76
Bhojpur	35·25
Darbhanga	65·37
Dhanbad	4·18
East Champaran	86·19

(Rs. in lakhs)

District	Advances out-standing as on December 1974
Gaya	39·36
Giridih	0·31
Gopalganj	7·37
Hazaribagh	6·87
Katihar	21·03
Madhubani	5·38
Monghyr	53·53
Mozaffarpur	114·83
Nalanda	80·09
Nawadah	14·52
Palamau	12·36
Patna	273·95
Purnea	205·98
Ranchi	61·22
Rohtas	78·35
Saharasa	77·17
Samastipur	26·85
Santhal Parganas	23·88
Saran	79·26
Singhbhum	9·97
Sitamarhi	32·93
Siwan	34·95
Vaishali	50·28
West Champaran	142·31
Total	1707·18

कच्ची रुई के मूल्यों में तथा उसके भाड़े में समानता लाना

887. **श्री मधु दंडवते :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची रुई के मूल्यों तथा उसके परिवहन के भाड़े में समानता लाने का प्रश्न विस्तृत अध्ययन के लिए योजना आयोग को सौंपा गया था ;

(ख) क्या इस बारे में आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें दे दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Tourist Centres in danger due to Industrial Develonment

888. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whethes several tourist centres are facing danger because of rapid industrial development in the country;

(b) the names of the main centres among them;

(c) whether the Ministry of Industry has been given a report to this effect by his Ministry; and

(d) the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). Apprehensions have been expressed about the possible effects of pollutants from the oil refineries and other heavy industries on the historical monuments of tourist interest. The Department of Tourism is aware of the problem and has taken up the matter with the concerned authorities. The places about which apprehension of likely affect in the near future by atmospheric pollution from the proposed oil refinery at Mathura are the historical monuments in and around Agra.

(c) and (d). The Ministry of Petroleum have intimated that so far as Mathura refinery is concerned the Government has appointed a Committee of Experts to advise the project authorities on the measures to be taken for keeping the pollution to the absolute minimum and to take appropriate anti-pollution measures. The Committee is keeping the Government informed of its deliberations from time to time.

Cities in Madhya Pradesh to be linked by Air during Fifth Plan

889. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the names of the cities in Madhya Pradesh which are to be linked by air during the Fifth Five Year Plan;

(b) the names of the cities in the State where construction of airstrips and other works relating to flights have been undertaken and the expenditure proposed to be incurred by the Central Government and the State Government thereon, separately; and

(c) the names of the States and major cities of other States with which Madhya Pradesh will be linked by air services during the Fifth Five Year Plan and the estimated amount of earnings therefrom as also the number of flights to be undertaken from Madhya Pradesh to other States ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (c). Indian Airlines are presently operating air services to Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Raipur in Madhya Pradesh. The Corporation have no plans to airlink any more cities in Madhya Pradesh during the Fifth Plan period.

(b) Development works of aerodromes at Bhopal and Khajuraho in Madhya Pradesh are in progress at present at an overall expenditure of Rs. 86·61 lakhs. Certain works have recently been completed at Jabalpur and Khajuraho at a cost of approximately Rs. 24 lakhs. All expenditure connected with these projects is being borne by the Central Government.

Export of Powerloom cloth from Burhanpur, Madhya Pradesh

890. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Burhanpur is the centre of production of powerloom cloth and it is exported from there;

(b) the value of this cloth exported during 1974-75; and

(c) whether Government propose to draw any export promotion scheme therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Burhanpur is a centre of production of powerloom cloth and part of this production is exported.

(b) Total exports of powerloom cloth from the country during 1974-75 are estimated to be worth Rs. 3·10 crores.

(c) Export Promotion Schemes for mill-made cloth also apply to powerloom cloth.

महाराष्ट्र में नासिक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को दिये गये कृषि ऋण

891. **श्री जेड० एम० काहनडोल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं को, अर्थात् देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आफ़ बड़ौदा, बैंक आफ़ महाराष्ट्र तथा स्टेट बैंक आफ़ इंडिया को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई ; और

(ग) इन में से कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). यथासंभव सूचना इकटठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

मछली का निर्यात

892. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 में (अब तक) कर्नाटक तट से प्रत्येक पत्तन से कितने-कितने मूल्य की कितनी-कितनी मछली का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): कर्नाटक में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए मंगलौर ही केवल एक पत्तन है। अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 की अवधि के दौरान इस पत्तन से 788 लाख रुपए मूल्य के 3945 मी० टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया।

आन्ध्र प्रदेश में रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण

893. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया तथा छः अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम, आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, सिंडीकेट बैंक और आंध्र बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाये गए एक संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल' ने आंध्र प्रदेश की औद्योगिक संभावना का सर्वेक्षण किया था।

कच्चे माल, मूलभूत सुविधाओं और मंडी की सम्भावना आदि को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया गया था ताकि ऐसी परियोजनाओं को तय किया जा सके जिन्हें अगले 5 से 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जा सकता है। 'राज्य अंतः संस्थागत दल' ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय स्टेट बैंक, आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम और राज्य उद्योग निदेशालय के प्रतिनिधियों की एक छंटाई समिति का गठन, किया था जिसे यह काम सौंपा गया था कि छंटाई करे तथा कार्यान्वयन के लिए उचित प्राथमिकताओं का सुझाव दें। छंटाई, समिति ने 130 परियोजनाओं को चुना है। जिनमें से 89 ऐसी परियोजनायें हैं जिन्हें सर्वेक्षण दल ने निर्धारित किया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही 'राज्य अन्तः संस्थागत दल' द्वारा की जा रही है।

तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग का विकास

894. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). तमिलनाडु में, अन्य राज्यों की तरह हथकरघा उद्योग का ज्यादा तेजी से विकास करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के एक अंश के लिए राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजना से धन जुटायेंगी। इसके अतिरिक्त विशेष योजनाओं के लिए भारत सरकार धन देगी और संस्थाओं

से भी धन लिया जाएगा। तमिलनाडु के लिए दो विशेष योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं--कारुर क्षेत्र में 1000 हथकरघों की एक निर्यात अभिमुख उत्पादन योजना और इरोडे तथा कांचीपुरम गहन क्षेत्रों में 5000-5000 हथकरघों की विकास परियोजना।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

895. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटी सिचाई योजनाओं में किसानों के पूंजीनिवेश के 3-वर्षीय कार्यक्रम में धन लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के साथ 8 जून, 1973 को 380 लाख अमरीकी डालर की राशि के उत्तर प्रदेश कृषि ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) इस योजना के अधीन फ़ैजाबाद जिले में वितरण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या सारी राशि को 7 जून, 1976 तक, जबकि उक्त करार की 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो जायेगी ; वितरित कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों को शीघ्रता से इस राशि का वितरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की राशि को पूरा उपयोग किस प्रकार से सुनिश्चित करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) फ़ैजाबाद जिले के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परियोजना के अन्तर्गत आने वाले 14 जिलों में फ़ैजाबाद जिला भी शामिल है।

(ग) और (घ) : इस करार की समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1976 है। आशा है तब तक ऋण की राशि के वितरण का काम पूरा हो जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों की स्थापना

896. **श्री धामनकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की बदलती हुई यातायात प्रवृति का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और परिवहन तथा अवास की बढ़ती हुई लागत को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) टू-स्टार अथवा थ्री-स्टार होटलों की स्थापना के लिए उचित रूप से सस्ते होंगे और कारोबार करने वाले यात्रियों अथवा अधिक आय वाले पर्यटकों को छोड़कर व्यवसायी यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या के पहुंच के अन्दर होंगे, भारत पर्यटन विकास निगम ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड परिवहन, उतरने के विमान क्षेत्रों/बन्दरगाहों, आयु वर्ग, सेक्स आदि की विभिन्न विधाओं को नियमित रूप से रखता है। जारी किए गए मासिक,

त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक बुलेटिनों में पर्यटक यातायात के ढांचे में पिछले वर्ष की की तुलना में हुए परिवर्तनों को प्रकाशित किया जाता है। इनके अतिरिक्त, "पर्यटक आंकड़े" नाम का वार्षिक प्रकाशन पिछले पांच वर्षों के लिए आंकड़ों का प्रवृत्ति विश्लेषण देता है।

निम्न और मध्यम आय वर्गों के पर्यटकों की परिवहन तथा आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से, भारत पर्यटन विकास निगम अपने प्रयत्नों को पर्यटक कोचों के अपने बेड़े में अभिवृद्धि करने तथा मध्यम वर्गीय व्यय के आवास का विकास करने पर केन्द्रित कर रहा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, 2–3 स्टार वर्ग के होटलों/मोटलों का निर्माण करने पर बल दिया गया है जोकि निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के पर्यटकों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

Evasion of Taxes

897. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether business with unaccounted money and duplicate accounts is carried on and taxes are evaded in the country;

(b) if so, how Government propose to check it; and

(c) the number of persons arrested for carrying such business after the proclamation of emergency on 26th June, 1975?

The Minister of State in charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a), (b) and (c). Instances are found, particularly as a result of search and seizure operations, of business with unaccounted money and duplicate accounts. The process of eliminating and unearthing of unaccounted money is a continuous one. Necessary steps, both preventive and punitive as may be called for in this regard, are taken by the Government from time to time.

There is no provision, as such, in the Direct Tax Laws for the arrest of persons carrying on business with unaccounted money and duplicate accounts. However, the recently enacted Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 has provided for more stringent punishments for tax offences relating to concealment of income/wealth.

होटलों के मैनेजरों तथा सहायक मनेजरों को रहने के लिये मकान दिया जाना

898. **श्री शशि भूषण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के होटलों के मैनेजरों तथा सहायक मैनेजरों को रहने के लिए दिए जा रहे मकानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय कर रही है ;

(ग) वे कितनी बार विदेशों में जा सकते हैं ; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के होटलों के मैनेजरों तथा सहायक मैनेजरों ने विदेशी सरकार, विदेशी एजेंसियों के निमंत्रण पर अथवा भारत सरकार के कहने पर, जो विदेशों की यात्रायें की थी, उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि एक सरकारी उद्यम है, द्वारा अधिकृत एवं परिचालित होटलों के प्रबन्धकों तथा सहायक प्रबन्धकों को प्रदान किए गए आवास (सूटों) का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—10473/76]।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबन्धकों एवं सहायक प्रबन्धकों को विदेश जाने की कितनी बार अनुमति दी जाये इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। ये दौरे लोक सेवा की अनिवार्य आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।

(घ) वर्ष 1974-75 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबन्धकों एवं सहायक प्रबन्धकों को, विदेशी सरकारों अथवा विदेशी एजेंसियों के निमंत्रण पर, या जब भारत पर्यटन विकास निगम ने उन्हें भेजा हो, विदेश यात्राओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० —10473/76]।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित लाभ

899. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को अब तक के वर्षों में सबसे अधिक लाभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार लाभ होने के कारण कौन से तत्व सहायक हैं ;

(ग) क्या उन्हें और युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश है ; और

(घ) क्या आगामी वर्ष के दौरान लाभ की दर को बनाये रखना सम्भव होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्ष 1975-76 के प्रथम 10 महीनों के वित्तीय प्राक्कलनों की प्रवृत्तियों को देखते हुए कारपोरेशन को 3 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा है। अब तक कारपोरेशन को सर्वाधिक लाभ वर्ष 1969-70 में 2.28 करोड़ रुपये का हुआ था।

(ख) इस सन्तोषजनक परिणाम के विभिन्न कारणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(1) शिफ्ट प्रणाली को युक्ति-संगत बनाना और अपव्ययी कार्य प्रणालियों को समाप्त करना ;

(2) जोरदार मितव्ययिता उपायों को लागू करना ;

(3) स्टाफ द्वारा अधिक उत्पादकता और कार्यकुशलता ;

(4) समयोपरि भत्ते की अदायगी में कमी ; और

(5) कुछ अलाभप्रद विमान सेवाओं में कमी करना।

(ग) और (घ). कारपोरेशन का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि इसकी उत्पादता एवं कार्यकुशलता में सुधार हो और इस प्रकार अच्छे वित्तीय परिणाम प्राप्त हों ।

Functioning of Banks in Bihar

900. Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of banks functioning in Bihar prior to bank nationalisation and the total capital and reserves thereof;

(b) the extent to which their number and capital and reserves increased after the nationalisation of banks and what is their present capital and reserves; and

(c) comparative figures of the bank deposits *vis-a-vis* the amount of loan given to the people before and after the nationalisation of banks ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) On the eve of bank nationalisation *i.e.* July 19, 1969, 17 commercial banks had 274 offices in Bihar. On 31-12-1975, the number of commercial banks increased to 21 and their branches to 2819 in that State. The total capital and reserves of the commercial banks operating in Bihar increased from Rs. 80,50 lakhs as at the end of December, 1968 to Rs. 140,79 lakhs as at the end of December, 1974.

(c) The figures of deposits, advances and investments of the commercial banks in the State, as at the end of June, 1969 and March, 1975 were as follows:

As at the end of	Deposits	Advances	Investments*
	(Amount in lakhs of rupees)		
June, 1969	169,36	52,27	15,42
March, 1975	549,76	245,99	82,00

*Investments include those in securities of State Government and State Level Bodies and in shares and debentures of Joint Stock Companies.

जापानी समुद्री उत्पाद के एक शिष्टमंडल की भारत यात्रा

901. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आठ सदस्यीय जापानी समुद्री उत्पाद सम्बन्धी एक शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था ;

(ग) क्या भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की बैठक को सम्बोधित करते हुए इस शिष्टमंडल के नेता ने जापान में भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए एक अच्छी मण्डी विद्यमान होने का संकेत दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । फरवरी, 1976 में मद्रास में हुए द्वितीय समुद्री खाद्य व्यापार मेलों में भाग लेने के लिये ।

(ग) तथा (घ). मद्रास में हुए द्वितीय समुद्री खाद्य व्यापार मेले में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित दो व्यापार सम्मेलनों में जापानी शिष्टमंडल ने भाग लिया । उन्होंने जापान में समुद्री उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के सम्बन्ध में निर्यातकों के साथ सम्मेलन में तथा साथ ही दूसरे स्थानों पर बातचीत की । समुद्री उत्पादों के लिए जापानी बाजार का लाभ उठाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दक्षिण कोरियायी सरकार के साथ व्यापारिक समझौता

902. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरियाई सरकार के साथ किसी व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, 1 अगस्त, 1974 में ।

(ख) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें दोनों ओर से निर्यात तथा आयात के लिये उपलब्ध वस्तुएं दर्शायी गई हैं । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 10474/76] ।

दक्षिण पूर्व एशिया को इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

903. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं के लिये कोई निर्यात बाजार है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे माल के लिये वहां बाजार तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को इंजीनियरी माल के निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और 1971-72 के 32.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 92.80 करोड़ रुपये तक जा पहुंचे हैं ।

(ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत के निर्यातों पर नजर रखने के लिए सिंगापुर तथा मनीला में अपने विदेश कार्यालय स्थापित किये हैं । वहां नियुक्त विदेश अधिकारी अपने संवर्धन प्रयत्नों के सिलसिले में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले देशों का बराबर दौरा करते रहते हैं । अन्य उपायों में ये शामिल हैं : विदेशी खरीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, बढ़िया इंजीनियरी माल की सप्लाई के सम्बन्ध में भारत की क्षमता की ख्याति बढ़ाना, सम्भाव्यतापूर्ण पूछताछों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही करना, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि ।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

904. **श्री पी० गंगादेव : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के बारे में वर्ष 1976-77 में नकद सहायता देने सम्बन्धी किसी नई नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह नीति देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूई मूल्यों के बीच के अन्तर पर आधारित होगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या वर्ष 1975-76 की तुलना में वर्ष 1976-77 के दौरान हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में कोई वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). सरकार हथकरघा सूती वस्त्रों के निर्यातों पर प्रत्यक्ष रूप में कोई नकद सहायता नहीं देती है । तथापि, भारतीय सूती मिल संघ एक निर्यात प्रोत्साहन योजना चलाता है जिसके अन्तर्गत हथकरघा निर्यात भी आ जाते हैं । 1976-77 के लिए इस योजना के लिए सरकार के अंशदान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी हां । वर्ष 1976-77 के लिए हथकरघा सूती वस्त्रों के 121 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं जबकि 1975-76 के लिए 97.50 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ।

पर्यटन केन्द्र के रूप में वाईनाड का विकास

905. **श्री बरके जार्ज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान केरल में स्थित वाईनाड को प्रमुख पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अभी तक केन्द्रीय क्षेत्र में केरल स्थित वाईनाड को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, केरल सरकार ने अपनी पांचवीं पंच वर्षीय योजना में वाईनाड में सुविधाओं के विकास के लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

अन्तर्देशीय विमान सेवायें

906. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्देशीय विमान सेवायें बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सब से बड़े राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का इसमें विशेष हक है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लखनऊ से छोटे विमानों द्वारा 'होपिंग सर्विस आरम्भ करके उन नगरों सहित जिनमें अभी विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं महत्वपूर्ण नगरों को इससे जोड़ने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइंस द्वारा, जोकि देश में अन्तर्देशीय विमान सेवाओं का परिचालन करती है इन सेवाओं में वृद्धि के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जाती है । इस समय उत्तर प्रदेश के कई नगरों में विमान सेवा की व्यवस्था है । इस राज्य की और अधिक स्थानों को विमान सेवा से जोड़े जाने की मांग पर कारपोरेशन द्वारा अपने विमान-बेड़े की स्थिति तथा साथ ही साथ विमान सेवा परिचालन की लागतों को, जोकि विमानन ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण काफी बढ़ गई है , ध्यान में रखते हुए उचित रूप से विचार किया जायेगा।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम का कार्यकरण

907. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम के निदेशक बोर्ड ने निगम और इसके सहायक एककों के कार्यकरण पर विचार करने के लिए एक-सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है जिसे यह अधिकार भी होगा कि वह सहायक एककों द्वारा आई० आर० सी० आई० के ऋणों और उनके उपयोग के ब्यौरों का पता लगाने के लिए अपनी परामर्शदात्री फर्म नियुक्त करें ;

(ख) क्या इस प्रकार की समीक्षा समिति की नियुक्ति सरकार की पूर्व सहमति से की गई थी ; और

(ग) इस समीक्षा समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). रुग्ण/बन्द पड़े औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन/पुर्ननिर्माण में सहायता प्रदान करने की दिशा में भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम लिमिटेड को और प्रभावी साधन बनाने के उद्देश्य से, इस निगम के निदेशक बोर्ड ने निगम के कार्यचालन की समीक्षा के लिए एक ऐसा स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जो इस निगम के काम काज की जांच करे और इसमें सुधार के उपाय सुझायें । तदनुसार इसने एकएक-सदस्यीय समिति की स्थापना की जिसे परामर्शदाताओं की सहायता भी प्राप्त है । सरकार को इस निर्णय का पता है ।

(ग) इस निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा समिति के निर्देश-निबन्धन (टर्म्स आफ रेफरेंस) निम्नलिखित हैं :—

(1) भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम के कार्यचालन की समीक्षा करना तथा यह मूल्यांकन करना कि इस निगम के रुग्ण औद्योगिक एककों के पुर्ननिर्माण के उस आदेश को पूरा करने में कहां तक सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए इसका गठन किया गया था ।

(2) अब तक अनुपालित सिद्धांत और प्रक्रियायें कहां तक संतोषजनक रहीं हैं, तथा क्या ये संतोषजनक रूप से क्रियान्वित की गई हैं, इसका मूल्यांकन करना ।

(3) पुर्नानर्माण के लिए जो नीति अपनाई गई और इसके कार्यान्वयन में जो कार्रवाई की गई उसकी खामियों का पता लगाना और यह निगम अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से कर सके, इसके वास्ते नीति और कार्यचालन तकनीकों में सुधार के उपायों की सिफारिश करना ।

(4) निगम के संगठनात्मक ढांचे की क्षमता का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय तकनीकी प्रबंध और विपणन के क्षेत्रों में इसकी आन्तरिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने सहित इसके गठन में उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करना ।

(5) निगम रा किए जाने वाले मूल्यांकनों की समीक्षा करने के उद्देश्य से, इसकी सहायता पाने वाले कम से कम कुछ एककों के कार्यचालन का अध्ययन करना ।

(6) वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बाहर के तकनीकी और प्रबंध अभिकरणों और विशेषज्ञों के साथ घनिष्ठ तथा और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करना ।

(7) निगम के का चालन के उन अन्य पहलुओं का अध्ययन करना जिन्हें यह समिति इसके कार्यचालन के मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक समझे ।

Vending Contracts awarded at Palam Airport

909. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether vending contracts for several items were awarded at Palam Airport, Domestic and International wings, in 1975; and

(b) if so, the names of the items for which contracts were awarded and the amount Government received from each ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)' (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the requisite information is enclosed. [Placed in the library. *See* No. L.T.—10475/76].

राज्यों दारा ओवरड्राफ्ट निकालना

910. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) वर्ष 1975–76 के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितना ओवरड्राफ्ट निकाला है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने किसी राज्य को अधिक राशि निकालने के बारे में चेतावनी ी है ; और

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1975–76 के दौरान इस स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) से (ग). 1 मई, 1972 से शुरू की गई ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट को बजट-साधन नहीं माना जा सकता और यदि किसी राज्य द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट का लगातार सात कार्यदिवसों तक भुगतान न किया जाए, तो उस राज्य को की जाने वाली अदायगियों को रोका जा सकता है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी दैनिक रोकड़-बाकी की स्थिति की सूचना देता रहता है और यदि कोई राज्य सरकार अपने खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकाल लेती है तो रिजर्व बैंक उसे ओवरड्राफ्ट की रकम चुकता करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह देता है।

1975–76 के वर्ष में (8 मार्च, 1976 तक) आन्ध्र प्रदेश, असम और मेघालय को छोड़ कर शेष सभी राज्यों ने कभी न कभी अपने खाते की रकम से अधिक रकम निकाली थी। लेकिन अधिकतर मामलों में, राज्य सरकारों ने 7 दिनों के अन्दर-अन्दर अपने खातों में रकम जमा करा दी थी।

ओवरड्राफ्ट से राज्य सरकारों की रोकड़-बाकी की दैनिक स्थिति का पता चलता है और इसलिए उनका उल्लेख किसी तारीख विशेष के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है, पूरे वर्ष भर के लिए नहीं। राज्य सरकारों की समायोजित रोकड़-बाकी की 31 मार्च, 1976 की स्थिति का पता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही लगेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 1975-76 में स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियाँ निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

911. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में 9 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक आपातस्थिति की घोषणा से पूर्व तथा बाद जिन व्यक्तियों को नजरबंद अथवा गिरफ्तार किया गया था उनमें से कितने अभी बंदी हैं तथा कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या जिन 296 व्यक्तियों को नजरबंद किया जाना था, उन्हें इस बीच नजरबंद किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1975 के दौरान (1–1–75 से 31–12–75 तक) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अधीन नजरबंद किए गए 1207 व्यक्तियों में से, 6–3–76 की स्थिति के अनुसार, 1108 व्यक्ति अभी भी नजरबंद थे, 98 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। रिहा किए व्यक्तियों का ब्यौरा और उसके कारण नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) संबंधित सलाहकार बोर्ड की राय के आधार पर	70
(ii) रिट याचिकाओं संबंधी कार्यवाही में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर	17
(iii) नजरबंदी की अवधि समाप्त होने पर	2
(iv) मृत्यु	1

(v) राज्य सरकारों द्वारा अन्य आधारों पर नजरबंदी आदेशों का रद्द किया जाना

(ख) 1-1-1976 की स्थिति के अनुसार, जिन 296 व्यक्तियों को अभी भी नजरबंद किया जाना था, उनमें से 6-3-1976 तक 46 व्यक्ति नजरबंद किए जा चुके हैं। शेष 250 व्यक्ति गिरफ्तार होने से बच रहे हैं।

Scavenging Staff and Watchmen in Nationalised Banks

912. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the Hindi daily "Janyug" dated 12th February, 1976 that the scavenging staff and watchmen in the nationalised banks are still kept on contract basis; and

(b) the scheme of Government for abolishing this practice ?

The Minister of State Incharge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Government have seen the report. The public sector banks have reported that normally they employ regular staff on full-time/part-time basis for sweeping and cleaning and for watch and ward work. However. some of the banks have reported that for cleaning some of their offices/buildings. particularly in multi-storeyed buildings, which call for specialised jobs, such work is given on contract.

(b) The Central Advisory Contract Labour Board established under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. 1970 is alreay seized of the matter.

कानकार्ड विमान सेवा को भारत के ऊपर उड़ान करने की अनुमति देना

913. **सरदार महेन्द्रसिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन की सरकारों में कानकार्ड विमान सेवा को भारत के ऊपर उड़ान करने की अनुमति देने के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां। इस मामले को भारत स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त ने भारत सरकार के साथ उठाया था।

(ख) भारत सरकार कानकार्ड विमान द्वारा भारत के ऊपर से होकर सुपरसानिक उड़ानें करने पर सहमत नहीं हुई है।

तमिलनाडु में कपड़ा मिलों का बन्द होना

914. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में नौ कपड़ा मिल श्रमिक असंतोष के कारण बंद हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिक असंतोष के क्या कारण हैं ;

(ग) मिलों के बंद होने के कारण कुल कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या न मिलों में कार्मिक संघों की समन्वय समिति ने यह मांग की है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों को शीघ्र अपने अधिकार में ले ले ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बताया जाता है कि इस समय तमिलनाडु में श्रमिक अशांति के कारण कोई कपड़ा मिल बन्द नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के मामलों पर पुनर्विचार

915. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन व्यक्तियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए क्या व्यवस्था की है जिन्हें आन्तरिक सुरक्षा कानून/विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तरा किया गया था ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन नजरबंद व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा करने के लिये विशिष्ट व्यवस्था इसी अधिनियम की धारा 9 (3) और 12क (3) के अधीन की गयी है । उसी अधिनियम की धारा 9 (3) के अधीन आने वाले मामलों की संबंधित सरकार द्वारा उन व्यक्तियों से परामर्श करके समीक्षा की जाती है, जो उस सरकार द्वारा इस बारे में नामांकित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये योग्यता प्राप्त है । धारा 12क (3) के अधीन कैदियों के मामलो की स्वयं संबंधित सरकार द्वारा 4 माह से अनधिक के अन्तराल में समीक्षा की जाती है । राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा उसके अधिकारियों के आदेशों के अधीन नजरबंद व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से, नजरबन्ददी के आदेशों के विरुद्ध किये गये अभ्यावेदनों पर राज्य और केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक ग्रुप द्वारा विचार किया जाता है । केन्द्रीय सरकार अथवा उसके अधिकारी के आदेशों के अधीन नजरबंद किये गये व्यक्तियों से अथवा उसकी ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों पर नजरबंद करने वाले अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति एक वर्ष अथवा उससे अधिक के लिये नजरबंद हैं, उन सभी के मामलों की सामान्य तौर पर समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है ।

आयकर के भुगतान का रिकार्ड

916. **श्री इराज्मु द सेकरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश मामलों में करदाताओं का आयकर भुगतान का रिकार्ड अद्यतन नहीं है तथा विभाग करदाताओं को नोटिस जारी करके, जिन्हें टाला जा सकता है, उनके द्वारा स्वयं ब्यौरा देने का अनुरोध कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) निर्धारितियों द्वारा की गई आयकर की अदागियों के रिकार्ड, साधारणतया ठीक तरह से रखे जाते हैं ।

फिर भी, कुछ मामलों में, जिनमें अदायगी चालान आयकर कार्यालय में तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं, सत्यापन के लिये कर निर्धारितियों से अपनी चालान की प्रतियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिन जिन मामलों में अदायगी पहले ही की जा चुकी है उन में वसूली की कार्यवाही आरम्भ नहीं की जाये और उससे होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

(ख) कर दाताओं को परेशानी से बचाने के लिए, रिकार्डों के उचित रख रखाव और सभी कर अदायगियों के समायोजन को सुनिश्चित करने के बाबत अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

फटे पुराने नोट बदलने के मामले

917. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1976 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फटे पुराने नोट बदलने के कितने मामले विचाराधीन थे; और

(ख) सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 29 फरवरी, 1976 को, फटे–पुराने नोट बदलने के 41, 495 मामले विचाराधीन थे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, विचाराधीन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कई उपाय किए हैं। दावा अनुभागों (क्लेम सेक्शन) के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है और अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गौहाटी तथा जयपुर में, रिजर्व बैंक के उप कार्यालयों में दावा अनुभाग खोलने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र में बैंकों के नाम हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे अपनी सभी शाखाओं में ऐसी सुविधाओं का प्रबन्ध करें, जिससे वहां मामली कटे फटे नोटों के अलावा उन नोटों को भी बदला जा सके, जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन जिन्हें एक ही नोट के दो हिस्सों के रूप में आसानी से पहचाना जा सकता हो। सभी बैंकों, डाक व तार विभाग के कार्यलयों तथा रेलवे को कहा गया है कि वे देय रकमों की अदायगी में रूप में मामूली कटे फटे अथवा बुरी तरह से मैले नोट भी ले लिया करें। जन साधारण को पेश आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए कम नोटों वाले मामलों को निपटाने में प्राथमिकता दी जाती है।

पर्यटक आकर्षण के स्थानों में भिखारी

918. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पर्यटन आकर्षण के स्थानों में घूमने वाले भिखारियों की समस्या की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पर्यटकों के लिये आकर्षण के स्थानों पर भिखारियों की समस्या का उन्मूलन करना संबन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन विभाग समय समय पर राज्य सरकारों को स्मरण कराता रहा है एवं उन से आग्रह पूर्वक अनुरोध करता रहा है कि समस्त राज्य सरकारों को

भेजे गए प्रधान मंत्री के 9 अगस्त 1971 के पत्र में निहित अनुदेशों को दृष्टि में रखते हुए अपने अपने राज्यों में विशेषतः पर्यटन महत्व के स्थानों के आस पास से इस समस्या के उन्मूलन के लिए तत्काल एवं प्रभावी उपाय करें।

राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होने अपने अपने संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं कि वे पर्यटकों के लिये आकर्षण के स्थानों को भिखारियों आदि से मुक्त रखने के लिए अपने अपने राज्यों में पर्यटक महत्व के स्थानों पर पुलिस कांस्टेबल तैनात करें।

यद्यपि भीख मांगना एक सामाजिक तथा आर्थिक समस्या है और पर्यटक महत्व के स्थानों को भिखारियों से मुक्त रखना राज्य प्राधिकारियों का एक सामान्य कर्तव्य है, तथापित पर्यटन विभाग सभी संबंधितों को इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये प्रेरित करने के अपने प्रयत्न जारी रखेगा।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

919. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में छोटी सिंचाई योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता की कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को विश्व बैंक की सहायता का वितरण करने के लिये निर्धारित तारीख क्या थी और 28 फरवरी, 1976 तक वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई ;

(ग) निर्धारित तारीख तक सहायता की राशि वितरित न किये जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(घ) वितरण का लक्ष्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और इस संबंध में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) शायद माननीय सदस्य का संकेत उत्तर प्रदेश कृषि ऋण करार की ओर है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 8 जून 1973 को किया गया था। इस करार में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 14 जिलों में, जिनमें फैजाबाद जिला भी शामिल है, किसानों द्वारा छोटे सिंचाई कार्यों में पूंजी लगाने के 3 वर्षीय कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए 380 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण की व्यवस्था की गई है। ऋण करार में फैजाबाद जिले के लिए खास तौर पर कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख), (ग) और (घ) इस परियोजना के समाप्त होने की तारीख 31 दिसम्बर, 1976 है। आशा है कि ऋण की राशि उस तारीख तक वितरित कर दी जाएगी। फैजाबाद जिले में भूमि विकास बैंक द्वारा 29 फरवरी, 1976 तक 1.79 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी।

पटसन-मिलों के लिए निर्यात राज-सहायता

920. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात राज सहायता से पटसन मिलों को कोई लाभ नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हमारे निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं उनके फलस्वरूप पटसन मिलों को भी लाभ हुआ है।

Indians having accounts in Foreign Countries

921. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have launched a campaign to locate bank accounts in foreign countries of persons living in India permanently;

(b) the number of show-cause notices issued to such persons in various States during the last one year; and

(c) the amount remitted from abroad to banks in Delhi. U.P., Haryana and Rajasthan during the last one year ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Under the Foreign Exchange Regulation Act. 1973. Banks accounts in foreign countries can be maintained by persons resident in India. Only with the permission of the Reserve Bank of India. The Enforcement Directorate of the Department of Personnel & A.R., who have the responsibility to detect cases of violation of Foreign Exchange Regulation Act and proceed against the offenders, are continuously engaged in the task of detecting such unauthorised bank Accounts abroad and proceeding against the holders of such accounts.

(b) The information is being collected by the Enforcement Directorate and will be laid on the Table of the House.

(c) The figures for each State are not compiled separately. However, the figures noted below relate to the States which fall within the jurisdiction of the Reserve Bank of India branches at New Delhi and Kanpur. viz. Delhi. U.P., Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Madhya Pradesh.

(Rupees in crores)

Year	RBI. New Delhi	RBI. Kanpur	Total
1974	104·86	5·52	110·38
1975	200·91	7·70	208·61

2. The figures represent total inward remittances inclusive of all types of non-commercial as well as commercial remittances excepting proceeds of exports.

3. The figures for 1975 are provisional as some returns received from the Banks are being scrutinised by the Reserve Bank of India.

Exports to and imports from USSR, USA and UK

922. **Dr. Laxminarayan Pandeya** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the names of the commodities mainly exported to U.S.S.R., U.S.A. and U.K. as also the commodities imported from them during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

U.S.A. U.S.S.R. and U.K.

ITEMS EXPORTED (1972-73, 1973-74 *and* 1974-75)

Handloom Products, Agriculture and Allied Products. viz. Vegetable Oil (non-essential). Tobacco, Spices, sugar, Fruits and vegetables. Essential oil, perfume and flavour materials, and plantations, ores and minerals and scrap. Textile fabrics and manufactures (excluding Coir and Jute). Leather Items. hides and skins, Engineering goods, handicrafts. Wool and other animal hair (except human hair), Machinery (non-electric), Works of art, collector's pieces and antiques and other manufactures.

Items Imported. (1972-73. 1973-74 *and* 1974-75)

Wheat. Cereals unmilled, Vegetable oil (non-essential), Ores and minerals, manufactures of metals, machinery other than electric, Electrical machinery apparatus and appliances, Transport equipments, Fertitilizers manufactured Rubber manufactures including crude rubber, Paper and Paper board, pulp and waste paper, Pearls, precious and semi-precious stones, (unworked or worked) Iron and steel, Chemicals elements & compounds, Medicinal and Pharmaceutical products, Scientific, medical, optical, measuring and controlling instruments & apparatus, Photographic & Cinematographic supplies. Clay construction materials' Dyeing, tanning and colouring materials. Explosives & Pyrotechnic products, Souabeen oil, Musical instruments and accessories thereof.

Export of leather goods

923. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state : (a) Whether the export of leather goods has considerably increased during the last two years;

(b) if so, the names of the countries importing these goods and the percentage by which its export has increased ; and

(c) the measures taken or proposed to be taken to step up the export of leather goods and to make this industry commercially well organised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The major countries importing leather goods from India are Japan , USA and West Germany.

The export of leather goods increased from Rs. 6·17 crores in 1973-74 to Rs. 12·83 crores during 1975-76 , registering thereby an increase of about 107%

(c) **Incentives/Promotional Steps taken by the Government.**

The following are the measures taken or proposed to be taken to step up the export of leather goods and to make this industry commercially well organised :—

(i) Import replenishment is permissible under the import policy for Registered Exporters against the leather exports.

(ii) Air freight subsidy is available to the leather goods exporters against the shipments by air.

(iii) Compensatory support has been allowed for the following :—

(a) Leather Shoes and garments.
(b) Leather chappals and Sandals
(c) Leather shoe uppers, shoe linings and leather manufactures.

(iv) Duty drawback is allowed at various rates to leather and leather manufactures including footwear.

(v) In pursuance of the government policy to encourage more exports of finished leather and leather goods, the exports of semi-finished hides and skins have been brought under quota restrictions w.e.f. 1st August, 1973.

(vi) All manufacturers of Semi-finished leather can install capacity without fresh licence to manufacture finished leather to the full extent of their licensed capaciy of Semi-finished leather.

(vii) List of chemicals, dyes and leather machinery has been extended to cover quite a large range of items/ products to be imported by registered exporters against their REP licences without having to go DGTD everytime.

(viii) Import replenishment percentage for import of machinery and dyes has been increased over the existing percentage.

(ix) STC has been authorised to establish 5 Common Facility Centres, Design Cell, a Sole plant Leather etc. at a total expenditure of Rs. 158 lakhs at various States.

(x) Leather Development Corporation under the control of Ministry of Industry & Civil Supplies is being established to look after the development programmes of the Leather Industry.

(xi) Finished leather and leather goods including footwear has been included in the list of qualifying industries eligible for investment allowance.

Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh and Rajasthan

924. **Dr. Laxminarayan Pandeya : Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Wheather a demand has been made for developing certain important historical sites in in Madhya Pradesh and Rajasthan as tourist centres ; and if so, the names of those sites ;

(b) whether these States have also made a demand for developing further certain existing tourist centres of historical importance ; and if so, their names; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) No proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh.

The State Government of Rajasthan suggested the integrated development of Bharatpur and Deeg. The Government of Rajasthan were therefore requested to prepare a comprehensive scheme which is awaited. Meanwhile, the Department of Tourism has incurred an expenditure of Rs. 3·69 lakhs on the improvement and landscaping of a part of the approaches from the railway station to the Bird sanctuary and the Fort at Bharatpur and also sanctioned an amount of Rs. 4·94 lakhs for improvement of the road from Jaigarh Fort to Nahargarh Fort near Jaipur.

A proposal to expand the existing Tourist Bungalow at Jaisalmer was also made by the Government of Rajasthan which will be examined subject to additional funds being made available.

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

925. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने सम्बन्धी आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितनी रियायतें भेजी गई हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश 4 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश का स्थान अब आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, (1976 का सं० 12) ने ले लिया है। संशोधित अधिनियम

आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक को आयातित माल के दुरुपयोग और आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत करने से संबंधित आर्थिक अपराधों के बारे में प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है।

(ख) वर्ष 1975-76 में आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों ने 28 मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शिकायतें भेजी हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित केवल एक ही मामला है।

बैंक कर्मचारियों के कार्य के घंटे

926. **श्री वसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंको के चीफ एक्जीक्यूटिवों ने बैंक कर्मचारियों के कार्य के समय को $6\frac{1}{2}$ घंटों से बढ़ाकर 8 घंटे करने पर विचार-विमर्श किया है ;

(ख) क्या इस मामले में बैंक कर्मचारियों के साथ परामर्श करके कोई अंतिम निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कचर्मारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्य के समय हेतु कोई युक्तिसंगत नीति बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 24 फरवरी, 1976 को हुई सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में बैंक के कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने का एक सुझाव दिया गया था।

(ख) कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार और बैंकों में कार्यालय कर्मचारियों के प्रभावकारी काम के घंटे शनिवार को छोड़कर प्रति दिन $6\frac{1}{2}$ घंटे हैं किन्तु बैंकों में शनिवार आधा कार्य दिवस है और सरकार ने महीने के दूसरे शनिवार को छोड़कर सभी शनिवार पूरा कार्य दिवस होते हैं।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का प्रश्न है सरकार के पास उनके कर्मचारियों के काम के घंटों के बारे में नई नीति तैयार करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

927. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 5 रुपए का भुगतान करने पर एक सरकारी कर्मचारी 5000 रुपए की पालिसी ले सकता है और यदि वह सेवा निवृत होता है तो उसे वास्तविक धनराशि ब्याज के बिना वापिस कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ;

(ग) क्या अधिकांश कर्मचारियों की उक्त योजना में रुचि है जबकि उनके जे० सी० एम० के प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत मत विभिन्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को कर्मचारियों का मत जानने के लिए परिचालित करने और उस पर निर्णय लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना की सिफारिश की थी, जिसके अंतर्गत सेवा में रहते हुए 5 रु० प्रति माह अंशदान करने पर, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 5,000 रु० की सुरक्षा की तथा अधिवार्षिता अथवा किसी कारण से पद छोड़नेकी स्थिति में उनके द्वारा अंशदान की गयी वास्तविक रकम को ब्याज के बिना वापस लौटाने की व्यवस्था थी। कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों ने संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में, इस योजना का इस आधार पर समर्थन नहीं किया कि योजना में सेवा के दौरान केवल मृत्यु का ही जोखिम शामिल है तथा इसमें सेवा-निवृत्ति होने पर किसी अतिरिक्त लाभ को व्यवस्था नहीं की गयी है। तद्नुसार एक बेहतर योजना तैयार की गयी तथा उसे कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के विचार के लिए परिचालित किया गया। उन्होंने संशोधित योजना को स्वीकार कर लिया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत चालित करघों में रंगीन साड़ियों का उत्पादन निषिद्ध करने का निर्णय

928. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री जेड० एम० काहनडोल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत चालित करघों में रंगीन साड़ियों का उत्पादन निषिद्ध करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे महाराष्ट्र के बहुत से विद्युत चालित करघे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे तथा जो प्रभावित हुए हैं उन्होंने इस मामले में सरकार से अपील की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। 1966 से विद्युत चालित करघों पर रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है।

(ख) तथा (ग) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह रोक लगाने से महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में विद्युतचालित करघों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ेगा और रोक के संबंध में पुनर्विचार करने की भी मांग की गई है। सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और रोक को जारी रखने तथा उसे सख्ती से लागू करने का विनिश्चय किया है।

चीनी का निर्यात

929. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1975 तक चीनी के निर्यात के आंकड़े क्या हैं और 31

मार्च, 1976 तक और कितना अधिक निर्यात किए जाने की सम्भावना है और गत् दो वर्षों की निर्यात की तुलना में उक्त आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि में यूनिट मूल्य वसूली के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) लेवी चीनी के लिए आन्तरिक मूल्यों की तुलना में उक्त आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

(मात्रा लाख मे० टन में)
मूल्य करोड़ रु० में

अवधि	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य प्राप्ति (रु० प्रति मे० टन)	औसत आन्तरिक लेवी कीमत (प्रति मे० टन)
1-4-1975 से				
31-12-1975	7.14	301.97	4226	2287
1975-76 (संभावित)	12.00	460.00	4072	2287
1974-75	6.95	340.56	4900	2242
1973-74	2.48	41.89	1700	1596

चाँदी का निर्यात

930. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान चांदी के निर्यात संबंधी आंकड़े क्या हैं और उसकी मात्रा और मूल्य कितना है ;

(ख) यह किन-किन देशों को निर्यात की गई ; और

(ग) उक्त निर्यात का इस धातु की भारत से की जाने वाली तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) 1-4-75 और 29-2-76 के बीच भारत से 1,92,15,22,644 रुपए मूल्य की चांदी का निर्यात किया गया था जिसका वजन 16,06,899 किलोग्राम था।

(ख) ये निर्यात मुख्यत : इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली, डुबाई और संयुक्त अरब गणराज्य को किए गए थे।

(ग) गुप्त सूचना रिपोर्टों और अन्य संकेतों से यह पुष्टि होती है कि चांदी का अवैध रूप से लाया-लेजाया जाना प्रभावी तौर पर रोक दिया गया है। चांदी के सरकारी निर्यात के अलावा, चांदी के अप्राधिकृत निर्यात् को रोकने में तस्करी-विरोधी अभियान का भी योगदान रहा है।

पेंशनभोगियों की उपलब्धियों में वृद्धि

931. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पेंशन-भोगियों की पेंशन तथा मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पेंशनभोगियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). पेंशन में वृद्धि :—

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :—

(i) पेंशन का हिसाब सेवा-निवृत्ति से पूर्व 36 महीने की औसत परिलब्धियों के 30/80 के बजाय 33/80 के आधार पर लगाया जाता है।

(ii) पेंशन की अधिकतम मात्रा 675 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास कर दी गयी है।

(iii) मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की अधिकतम रकम को 24,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रु० कर दिया गया है।

(v) अधिकतम परिवार पेंशन को 150 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति मास तथा न्यूनतम को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति मास कर दिया गया है।

उपर्युक्त निर्णयों को 1-1-1973 से प्रभावी किया गया था सिवाय इसके कि अब 1-3-76 से पेंशन के लिए परिलब्धियों का हिसाब 10 महीने की औसत के आधार पर लगाया जाता है।

पेंशन भोगियों को राहत :

तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 महीने के औसत में 16 अंकों की वृद्धि हो तो पेंशनभोगियों को पेंशन की 5 प्रतिशत दर पर राहत दी जाये लेकिन यह राहत

कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये हो तथा यह राहत तब से पहली बार उस समय दी जाये जब सूचकांक औसत 216 पर पहुंच जाए। इस आधार पर राहत की तीन किश्तों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है जिसमें 248 तक का सूचकांक औसत आ जाता है। ये स्वीकृतियां क्रमश: 1-8-73, 1-1-74 और 1-4-74 से दी गयी हैं। उपर्युक्त राहतों के अलावा जो पेंशन भोगी 1-1-73 से पहले सेवा-निवृत्त हुए हैं उनको 1-1-73 से 15 से 35 रुपये तक प्रतिमाह तदर्थ राहत की मंजूरी भी दी गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 1 अक्तूबर, 1975 से पेंशन की 10 प्रतिशत तदर्थ राहत की स्वीकृति की घोषणा की है जो प्रतिमाह कम से कम 10 रुपये और अधिक से अधिक 50 रुपये है।

पेंशन भोगियों को पहले ही से स्वीकृत राहतों तथा बजट भाषण में उनके लिए घोषित अतिरिक्त तदर्थ राहत परिवार पेंशन भोगियों को भी दी जायेगी।

पर्यटकों का आगमन

932. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री प्रियरंजन दास मुंशी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 और 1975 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक, देश-वार, भारत आये ; और

(ख) उनके आगमन के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क). एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10476/76]

(ख) वर्तमान मूल्यों के आधार पर पर्यटन से अनुमानतः वर्ष 1974 में 93.2 करोड़ रुपये तथा 1975 में 104.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

933. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : हिमाचल प्रदेश राज्य में अभी तक किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है।

Tourist Centres in Madhya Pradesh Linked by Air

934. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Avaiation** be pleased to state :

(a) the number of tourist centres in Madhya Pradesh linked by air routes and whether proposals to link the rest of the tourist centres by air are under consideration ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Indian Airlines are presently operating to the following tourist centres in Madhya Pradesh.

1. Bhopal

2. Indore

3. Gwalior

4. Khajuraho

The Corporation have no plans to airlink any more tourist centres in the State during the Fifth Plan period.

Plan to introduce New Air Services

935. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be Pleased to state : (a) whether Government have chalked out any plan to introduce new air service in the country in view of the fact that the Department has wiped out the loss and its so, outlines thereof ; and

(b) whether new air services are proposed to be introduced on international air routes also and if so, to which countries and from what places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Due to steep increase in the price of aviaton fuel and the decision of Indian Airlines to phase out Dakotas and viscounts from their fleat, the Corporation discontinued some time back air services to 17 cities, as being highly uneconomical. Since then, it has been possible for Indian Airlines to resume air services to porbandar and Raipur. The Corporation also propose to restme air services to Keshod as part of their Summer Schedule 1976. Apart from these, Indian Airlines have no hearo at present to start any other new air service for the present.

(b) Yes ; Sir.

(1) Air India have commenced or will be commencing shortly the following new international air services during 1976.

(i) Effective Ist February, 1976 :

One flight from Bombay to Dubai *via* Delhi and three additional Gulf terminators.

(ii) Effective 1st April, 1976 :

(a) Extension of 2 Moscow services to London.

(b) Extension of one of the Kuwait terminators to Bhaghdad.

(c) Additionally, there will be some changes in the route pattern of the Corporations existing services.

(2) Indian Airlines have also recently introduced a twice Weekly service between Trivandrum and Male (Maldives).

स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत खरीदे गए बांड

936. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत खरीदे गए बांडों के बारे में 23 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1976 तक स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत कुल कितने मूल्य के बान्ड खरीदे गए और इस सम्बन्ध में सरकार के अनुमान से यह राशि कितनी कम आई ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति ऐसे है जिहोंने आवेदन पत्र देने के बाद भी बाण्ड नहीं खरीदे हैं और इसमें कितनी राशि अन्तर्गस्त है ;

(ग) क्या बांडो के बदले मिली राशि पर ब्याज प्रति वर्ष अदा किया जाएगा अथवा भुगतान का समय पूरा हो जाने पर किया जायेगा : और

(घ) क्या कोई व्यक्ति ब्याज की राशि को भी बाण्डों में लगा सकता है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अपनी इच्छा से अपनी आमदनी व सम्पत्ति की सूचना देने की स्कीम के अन्तर्गत जारी किए गए 1985 में परिपक्व होने वाले $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्डों में 15 जनवरी, 1976 तक 15.89 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी ; सबसे हाल की सूचना के अनुसार 11 मार्च 1976 को इन बांडों में 38.76 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी । स्कीम लागू करते समय जितनी पूंजी प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं अधिक पूंजी प्राप्त हुई है ।

(ख) 1985 में परिपक्व होने वाले $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्डों में अपनी इच्छा से प्रकट की गई आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूंजी लगाई जानी थी । इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार इस स्कीम के अन्तर्गत की गई 2,54,528 घोषणाओं में से 2.38,257 जमाकर्ताओं ने 11 मार्च, 1976 तक इन बाण्डों में वास्तव में पूंजी लगाई है । अपनी इच्छा से प्रकट की गई आय की घोषणाओं के सम्बन्ध में लगाई जाने वाली पूंजी की रकम 34.47 करोड़ रुपए बनती है । सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं के कारण लगाई जाने वाली पूंजी के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह सूचना निर्धारण वर्षों के अन्तिम वर्ष पर आधारित है जिस के लिए सम्पत्ति की घोषणा की गई है । फिर भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं के बारे में लगाई गई पूंजी सहित 11 मार्च 1976 तक इन बाण्डों में कुल 38.76 करोड़ की रुपए पूंजी लगाई गई ।

स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली रियातें और छूटें केवल उन्हीं घोषणा कर्ताओं को दी जाएंगी, जो बाण्डों में पूंजी लगाने सहित निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हो ।

(ग) 1985 में परिपक्व होने वाले $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्डों पर ब्याज हर छमाही अर्थात प्रतिवर्ष 20 अप्रैल और 20 अक्तूबर को दिया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं । ब्याज की रकम को फिर से $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्डों, 1985 में लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

Development of Tourism in Madhya Pradesh

937. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned to Madhya Pradesh for development of tourism during the Fifth Five Year plan ;

(b) whether keeping in view the vast area and many cities of historical importance in Madhya Pradesh, this amount is not adequate and if so, whether Government propose to increase this amount.

(c) whether Government propose to develop some new tourist centres in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan and if so, the names of those cities and whether any outlines have also been prepared to develop them as tourist centres ; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The planning Commission had approved an outlay of Rs. 140 lakhs for tourism schemes in the draft Fifth Five Year Plan in the State sector. In addition, the Department of Tourism has created facilities at Khajuraho, Sanchi, Bhopal and Kanha National Park. ITDC Proposes to construct a 100-bed motel at Bhopal during the Fifth plan period at an estimated cost of Rs. 50 lakhs.

(b) to (d) : Due to constraint on resources, the Department of Tourism proposes to concentrate its efforts on developing facilities at Khajuraho, Sanchi and Bhopal. In View of limited resources, it is not possible to increase the plan outlays both in the Central as well as in the State Sectors.

Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh

938. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the action taken by Government to develop tourist centres in the Central Sector in Madhya Pradesh during 1974-75 and 1975-76 ;

(b) the amount allocated by the Central Government to the State Government during 1975-76 for the purpose ; and

(c) whether Government propose to develop the tourist places in Burhanpur ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra pal Singh) : (a) Development of tourist centres is determined on the basis of existing or potential popularity with international tourists. With this endin view, facilities for international tourists have already been proveded at Khajuraho, Sanchi, Bhopal and Kanha National Park. A statement showing the expenditure incurred in the Central sector during 1974-75 and anticipated expenditure during 1975-76 on tourism schemes in Madhya Pradesh is enclosed.

(b) The Practice of giving subsidy to the State Governments for tourism schemes has since been discontinued. However, planning Comission has approved an outlay of Rs. 12 lakhs for tourism schemes in the State Sector.

(c) The State Government Proposes to construct a tourist Rest House at Burhanpur during the Fifth Plan period. A provision of Rs. 2 lakhs exists in the Fifth Five Year Plan of the State Government.

Statement

Sl. No.	Name of the Scheme	Actual 1974—75	Anticipated 1975—76
		Rs.	Rs.
1	Water supply at Khajuraho	2,40,000	75,000
2	Water supply at Sanchi	70,000	—
3	Water Supply at Kanha-Kisli	60,000	—
4	Youth Hostel at Bhopal	30,000	74,000
		4,00,000	1,49,000

Export of Powerloom Cloth

939. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(*a*) the total export of powerloom cloth during 1975-76 ; and

(*b*) whether possibilities of finding its new markets in West Asia and Latin America have been explored ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (*a*) Exports of Powerloom cloth during 1975-76 (upto Decemeer, 1975) are estimated to be worth Rs. 1·30 crores.

(*b*) Exploration of new markets for our cotton textiles including powerloom cloth in overseas markets including West Asia and Latin America is a continuous process.

Searches launched on Bank Lockers in Madhya Pradesh

940. **Shri G. C. Dixit** : **Will the Minister of Finance** be pleased to state (*a*) the names of the persons whose bank lockers were searched in Madhya Pradesh during 1975 :

(b) the value of ornaments and gold recovered in each case ; and

(c) the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) : Requisite information in respect of the searches of bank lockers conducted by Income Tax authorities in Madhya Pradesh during 1975 is furnished in Annexure I attached hereto [Placed in the Library See No. L.T. -10477/76]

Information in respect of the searches of bank lockers conducted by the Gold Control authorities in Madhya Pradesh during 1975 is furnished in Annexure II attached hereto [Placed in the Library, See No. LT 10477/76]

Foreign Exchange Enforcement authorities have not conducted any searches of bank lockers in Madhya Pradesh during 1975.

Information on part (*a*) (*b*) and (*c*) of the question under Customs Act is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loans advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh for implementation of 20-Point Economic Programme

941. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state the amount of loan advanced by the nationalised banks to the poor rural people in Madhya Pradesh for the implementation of Prime Minister's 20-Point Economic Programme during the year 1975-76 ?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee)

The specific data in the manner asked for is not available. However, in pursuance of implementation of the 20-Point Economic Programme, all public sector banks have formulated various credit schemes to provide financial assistance to economically weaker sections covered in the programme, on a very liberal and concessional terms. They include schemes of assistance to (i) landless labourers and other weaker sections who are allotted land by Government for cultivation or for taking up other subsidiary occupations, (ii) landless labourers, small farmers and artisans to take care of the credit gap created by the moratorium on recovery of debt from such people and progressive implementations of the programme of liquidation of rural indebtedness, (ii) released bonded labourers to take up viable productive ventures for their rehabilitation, (iv) handloom weavers and artisans and (v) educated unemployed to set up small business, like fair price shops for distribution of essential commodities. Moreover, these banks have also taken measures to step up assistance provided under the existing schemes like DIR Scheme, SFDA/MFAL agencies, Farmers' Service Societies, etc.

राज्य सहकारी विगपन संघ द्वारा रुई का निर्यात

942. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ (महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव

मार्केटिंग फैडरेशन) को पिछले वर्ष में स्टाक की क्षतिग्रस्त सैकिंड ग्रेड की रूई की 35,000 गांठों के निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ; और

(ग) प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). जिस रूई को निर्यात करने का विचार था उसके विस्तृत ब्यौरे अभी तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

आवर्ती जमा राशि पर आयकर

943. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में 10 वर्षीय संचयी सावधि-जमा राशि आयकर से मुक्त है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में उसी अवधि की आवर्ती जमा राशि पर आयकर लगता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी आवर्ती जमारशि पर यह छूट देने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) नियमावली, 1959 के अन्तर्गत दस वर्षीय खाते में, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कर लगने योग्य आय में से जमा कराई गई रकमें, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ग के अधीन, जमाकर्ता की कुल आय की संगणना में घटौती करने योग्य होती है ।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के आवर्ती खातों में जमा कराई गई रकमें, आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अधीन घटौती योग्य नहीं होतीं ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की आवर्ती जमा रकमों पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अधीन कर-रियायत देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों में हथकरघा विकास के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन

944. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हथकरघा क्षेत्र में 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्वित से हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्यों में हथकरघा विकास के प्रभारी मंत्रियों का उच्चस्तरीय सम्मेलन बुलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) यह सम्मेलन 18 फरवरी, 1976 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था तथा उसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के हथकरघा विकास के प्रभारी मंत्री शामिल हुए थे। सम्मेलन में विशेष रूप से निम्नलिखित सन्दर्भ में हथकरघा विकास के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था :—

(1) विकास कार्यक्रमों के लिए सुदृढ़ अवस्थापना निर्धारित करना;

(2) हथकरघा क्षेत्र के हक में आरक्षण आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करना;

(3) अन्तर्विष्ट साधनों की नियमित तथा पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करना;

(4) निष्क्रिय संस्थाओं का फिर से चालू करना तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार;

(5) हथकरघा उत्पादों का विपणन;

(6) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नई विकास स्कीमें;

(7) निर्यात बढ़ाने के उपाय; तथा

(8) कार्यक्रम की समीक्षा तथा मानीटरिंग के लिए व्यवस्था।

सम्मेलन ने शुरू किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं। पहले ही, तेरह गहन विकास परियोजनाएं—40,000 अथवा अधिक हथकरघों वाले प्रत्येक राज्य में एक-एक तथा भारत के विभिन्न भागों में 20 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए सिद्धान्ततः स्वीकार की जा चुकी हैं।

विश्व बैंक की अमरीकी सहायता में कटौती का प्रभाव

945. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने विश्व बैंक को अपने अनुदान में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इससे हमारी अर्थव्यवस्था और विकास परियोजनाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन जब नेरोबी में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (जो विश्व बैंक की आसान शर्तों पर उधार देने वाली संस्था है) का 4.5 अरब अमरीकी डालर का चौथा पुनर्भरण करना स्वीकार किया गया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1.5 अरब डालर या कुल राशि के एक-तिहाई भाग के बराबर अंशदान देने का वचन दिया था जबकि इसकी तुलना में 2.4 अरब डालर के तीसरे पुनर्भरण में उसका अंशदान 96 करोड़ डालर अथवा कुल राशि का 40 प्रतिशत था। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस आफ रिप्रेसेंटेटिव्स की

विनियोग समिति ने चौथे पुनर्भरण के लिए 3.75 --3.75 करोड़ डालर की चार वार्षिक किस्तों में से पहली किस्त की मंजूरी पर विचार करते समय 5.5 करोड़ डालर की कमी करने का फैसला किया है । अन्तिम फैसला सीनेट में विचार-विमर्श होने के बाद ही होगा ।

(ग) भारत की अर्थ-व्यवस्था और विकास परियोजनाओं पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को सहायता देने हेतु बनाई गई योजनाएं

946. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्गों को सहायता देने के लिये 1 अप्रैल, 1975 से 1 मार्च, 1976 तक की योजनायें बनाई हैं तथा क्रियान्वित की हैं ; और

(ख) प्रत्येक बैंक ने उपरोक्त वर्ग के लोगों को, अलग-अलग, कुल कितना धन ऋण के रूप में दिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने की बहुत सी योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं । उन व्यक्तियों को जिनके पास सिंचित भूमि है अथवा जिन्हें नई भूमि आवंटित की गई है, बैंको ने कृषि के लिये तथा भूमि और सिंचाई में सुधार के लिये भी ऋण प्रदान करने का प्रयास किया है । बैंकों ने दूध देने वाले पशुओं, बैलगाड़ियों या कृषि तथा उससे सम्बन्धित उद्यमों में काम आने वाले अन्य आदानो (इनपुट्स) की खरीद के लिए भी ऋण सहायता प्रदान की है । 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र के बैंक, चालू योजनाओं तथा साथ ही साथ इस कार्यक्रम के भाग के रूप में खास तौर से बनाई गई योजनाओं के वास्ते ग्रामीण निर्धन व्यक्तियो को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की ओर भी अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं ।

(ख) आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में ऋण कर्ताओं की जाति के अनुसार ऋणों के वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा वित्त पोषित खातों की संख्या और विभेदी ब्याज-दर योजना के अन्तर्गत ऋणों की बकाया राशि के विषय में बैंकवार सूचना अनुबन्ध में दी जा रही है ।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों की संख्या और बकाया राशि की सितम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति

	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
क. भारतीय स्टेट बैंक .	144299	641.32
ख. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	36001	128.22
ग. राष्ट्रीयकृत बैंक :		
1. सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	14537	63.48
2. बैंक आफ इंडिया	14896	73.98
3. पंजाब नेशनल बैंक	20954	145.39
4. बैंक आफ बड़ौदा .	12676	86.35
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	12403	59.86
6. केनरा बैंक . .	37314	125.46
7. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12881	43.70
8. देना बैंक . .	6374	22.51
9. सिंडीकेट बैंक .	30302	34.81
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	29086	143.39
11. इलाहाबाद बैंक	1570	6.07
12. इंडियन बैंक	7378	29.80
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	6561	28.88
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	4685	19.19
जोड़ (क+ख+ग) . . .	391917	1752.41

बैंकिंग सेवा आयोग

947. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बैंकिंग सेवा आयोग का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). अभी तक 'बैंककारी सेवा आयोग' की स्थापना नहीं हुई है ।

बैंकों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के व्यक्तियों का सेवा में आना

948. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 21 जनवरी, 1976 के इस समाचार की जानकारी है कि गैर-सरकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य भर्ती हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के व्यक्तियों के बैंको में सेवा में आने को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार ने 21 फरवरी, 1976 के साप्ताहिक 'करंट' में एक लेख देखा है जिसमें इस मामले का उल्लेख है।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और प्रतिबन्धित संगठनों के कार्य-कलापों में शामिल पाये जाने वालों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है ।

Advancing of Agricultural loan by RBI and other Banks

949. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount advanced by the Reserve Bank of India as well as by other banks, separately to various States upto 31st January 1976 by way of agricultural loan ; and

(b) the States which have not made use of this loan as per the target set therefor ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukheerjee) : (a) & (b). The Reserve Bank of India and commercial banks do not provide agricultural loans through the State Governments. The Reserve Bank of India provides short term accommodation to the State Cooperative Banks for financing seasonal agricultural operations and medium term loans for approved agricultural purposes which in turn go to the farmers through the central cooperative banks and primary agricultural cooperative credit societies. State-wise details of short-term credit limits sanctioned by the Reserve Bank of India to various State Cooperative Banks for 1975-76 (July 75 to 31st January, 76) and extent of utilisation of these limits are in annexure-I. (Placed in the Library *See* No. L.T. 10478/76]. Details showing medium terms loans sanctioned to State Cooperative Banks for 1975 (available for calender year) and drawals there against are in annexure-II. [Placed in the Library *See* No. L.T. 10478/76].

State-wise details of total agricultural advances to farmers outstanding as at the end of June, 1975 are indicated in annexure-III. [Placed in the Library *See* No. L. T. 10478/76].

No targets are fixed for lending by commercial banks.

Purchase of Mica by MITCO

950. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Mica Trading Corporation gives preference to small traders in the matter of purchase of mica;

(b) if so, the value of mica purchased by MITCO from small mica traders during the last six months ;

(c) whether MITCO has also laid down any policy for purchase of mica ; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir. It gives preference to weaker section of the mica trade in the matter of purchase of mica.

(b) About Rs. 1·25 crores.

(c) Yes, Sir.

(d) The purchase policy of Mica Trading Corporation is laid down in their Trade Circular of 28th July, 1975, a copy of which is enclosed.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10479/76]

वन्य जीव पर्यटन के लिये चंडका वन क्षेत्रों का विकास

951. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भुवनेश्वर से कुछ मील दूर चंडका वन क्षेत्रों में बहुत से हाथी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन हाथियों का संरक्षण करके इस क्षेत्र को वन्य जीवन पर्यटन के लिये विकसित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। हमें इस बात की जानकारी है कि चंडका वन में यदाकदा हाथी पाये जाते हैं।

(ख) सरकार का इस क्षेत्र विशेष का वन्य जीव पर्यटन के लिए विकास करने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम की निर्यात विकास राशि

952. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा बनाई गई निर्यात विकास राशि का उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). निर्यात विकास निधि से सहायता देने के लिए क्रियाविधि, मापदंड आदि के सम्बन्ध में ब्योरों को 1975 के अन्त में अन्तिम रूप दिया गया था। सहायता के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन पर इस योजना के अनुसरण में कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्यात प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये दी गई सहायता

953. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में निर्यात प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये क्या सहायता दी गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : चूंकि, निर्यात ऋण एक उच्च प्राथमिकता वाली मद है अतः सरकारी क्षेत्र के बैंक निर्यात का वित्त पोषण करने के वास्ते उदार मात्रा में और रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। निर्यात-ऋण के सम्बन्ध में, उपर्युक्त बैंकों के बकाया ऋण की दिसम्बर, 1973, 1974 और 1975 के अन्त की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

	निर्यात ऋण के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋण (करोड़ रुपये)
दिसम्बर, 1973 के अंत में . .	550
दिसम्बर, 1974 के अन्त में	610
दिसम्बर, 1975 के अंत में . .	698

ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज-दर की शर्त निर्यात-ऋण पर लागू नहीं होती है। बैंक (जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं) जहाज पर लदान-पूर्व ऋण, जहाज पर लदान के बाद ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि और अधिकतम दरों के भीतर आस्थगित अदायगी की शर्तों पर किये गये निर्यात के लिए ऋण पर रियायती दर से ब्याज वसूल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि जहां लदान-पूर्व ऋण अथवा लदान के बाद का ऋण, ब्याज की उच्चतम रियायती दरों के लिए निर्धारित अवधि अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उस पर निर्यात ऋण के प्राथमिकता वाले स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत और यथासंभव कम ब्याज-दर वसूल की जाये।

निर्यात कार्य में लगे एककों अथवा निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में सम्बद्ध एककों को कार्य साधन पूंजीगत ऋण देने के अलावा बैंक ऐसे उद्योगों को अल्पकालीन ऋण देने पर भी अतिरिक्त ध्यान दे रहे हैं, जिनके उत्पादन का काफ़ी बड़ा भाग निर्यात के लिए है अथवा जहां निर्यात की नई संभावनायें शीघ्र उत्पन्न की जा सकती हैं।

1 फरवरी, 1976 से शुल्क वापसी जमा बैंक योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत शुल्क वापसी की राशि के बराबर तक ऋण देने हैं। इन शुल्क वापसी की राशियों को सीमा शुल्क अधिकारी अस्थायी तौर पर प्रमाणित करते हैं। इन ऋणों के लिये भारत का रिजर्व बैंक बैंकों को 90 दिन की अवधि के लिये धन बिना ब्याज लिये देता है और ये बैंक आगे निर्यातकों को ऋण 90 दिन की अवधि तक के लिये बिना ब्याज लिये देते हैं।

बैंकों को, उन मामलों में जहां ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है, 50 लाख रुपये से कम मूल्य के स्थगित भुगतान ठेकों के सम्बन्ध में बोली बांड और निष्पति गारंटी देने की अनुमति भी दी गई है।

अगस्त, 1975 से, परियोजना के लिये नियुक्त तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों के तथा आवश्यक सामग्री को खरीद और गारंटी की सुविधाओं के व्यय के लिये परामर्शदात्री सेवाओं का निर्यात करने वाली फर्मों को जहाज में माल के लदान से पहले ऋण देने की सुविधायें भी प्रदान की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में "आपरेशन क्रेडिट फ्लड"

954. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में "आपरेशन क्रेडिट फ्लड" चलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) क्या इसमें ग्रामीणों को गैर उत्पादक उद्देश्यों के लिए भी ऋण मिल सकेगा ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपने कारोबार के सम्बन्धित क्षेत्र के छोटे/सीमांतक किसानों, कृषिक मजदूरों, ग्रामीण शिल्पियों आदि के सभी उत्पादक उद्यमों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उन्हें अपने ग्राहकों की शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं के आकस्मिक व्यय के लिए, सीमित मात्रा में, उपभोग ऋण की व्यवस्था करने के भी अनुदेश दिये गये हैं।

ऋणों पर प्रतिबन्ध

955. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष से अधिक समय से लागू "ऋणों पर प्रतिबन्ध" जिसे चालू व्यस्त काल से पूर्व फिर लागू किया गया है, का कोई प्रभाव नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों खाद्य तथा गैर-खाद्य वर्गों में व्यस्त काल के दौरान बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया था ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). चयनात्मकता पर जोर देने वाली ऋण-नियंत्रण नीति से मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने में तथा मूल्यों में स्थिरता लाने में बड़ी सहायता मिली है। चालू व्यस्त मौसम के दौरान, औद्योगिक उत्पादन को बढावा देने के उद्देश्य से चयनात्मक आधार पर उदारता बरतते हुए इस नीति के व्यापक ढांचे को कायम रखा जा रहा है।

(ग) चालू व्यस्त मौसम के दौरान 2 फरवरी, 1976 तक कुल बैंक ऋण में 1174 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें से 599 करोड़ रुपये की वृद्धि सरकारी अन्न-वसूली के लिए दिये गये ऋण में हुई। 1974–75 के व्यस्त मौसम की इसी अवधि के दौरान कुल बैंक ऋण में 690 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जिसमें से लगभग 189 करोड़ रुपये की वृद्धि सरकारी अन्न-वसूली के लिए दिये गये ऋण में हुई थी।

अमरीका के साथ आयात-निर्यात व्यापार

956. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ आयात-निर्यात व्यापार की नवीनतम प्रवृत्ति क्या है;

(ख) क्या अमरीका के साथ निर्यात व्यापार में कमी हो रही है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 में संयुक्त राज्य अमरीका को किये गये निर्यात हमारे निर्यातों का 11.4 प्रतिशत और वहां से किये गये आयात हमारे आयातों का 16.3 प्रतिशत ठहरते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे निर्यातों की मुख्य मदें पटसन माल, सूती वस्त्र, काजू की गिरियां, चीनी, मछली तथा मोती, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न हैं जबकि अमरीका से किए गए आयातों की मुख्य मदों में गेहूं उर्वरक, मशीनरी (बिजली तथा गैर-बिजली की) और परिवहन उपस्कर शामिल हैं।

(ख) जी नहीं। 1974–75 में अमरीका को हमारे कुल निर्यात लगभग 375.79 करोड़ रु० के हुए थे जबकि 1973–74 में 345.92 करोड़ रु० तथा 1972–73 में 275.74 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(ग) हालांकि 1971–72 से अमरीका को हमारे निर्यात निरन्तर बढ़ रहे हैं फ़िर भी उस देश को हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं जैसे विशेषीकृत व्यापार मेलों में भाग लेना, बिक्री व अध्ययन दल/प्रतिनिधिमंडल भेजना, बाजार सर्वेक्षण करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं दारा लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों को दी गई सहायता

957. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने बड़ी संख्या में लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को सहायता देने की नीति को उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान कितने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को ऐसी सहायता दी गई थी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की स्वीकृत नीति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, वाणिज्यिक बैंकों ने छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे उद्यमियों की सहायता करने के लिये योजनाओं का निर्माण किया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कारीगरों और तकनीकी उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने की विशेष योजनायें भी बनाई हैं। इन योजनाओं के अधीन, बैंक जमानत' मार्जिन, व्याज-दर, अदायगी के क्रम आदि के सम्बन्ध में विशेष उदारता बरतते हैं। उपयुक्त मामलों में और, यदि मांगी गई सहायता की राशि कम हो तो, बैंक बिना किसी मार्जिन के वित्तीय सहायता देने पर विचार करते हैं और सामान्य (क्लीन) उधार भी प्रदान करते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के अधीन, चुने हुए क्षेत्रों में स्थापित निर्माण और विधायन उद्योगों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देते हैं, जो वर्तमान और भावी उद्यमियों को नये उद्योग स्थापित करने और वर्तमान एककों के विस्तार करने के लिये परामर्श और अन्य सेवाओं की समन्वित सहायता (पैकेज डील) प्रदान करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश जारी किये हैं कि वे आवश्यकता पर आधारित सहायता का रवैया अपनायें और छोटे ऋण कर्ताओं को ऋण स्वीकार करते समय उनकी आवश्यकताओं की समग्रता पर विचार कर लें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंकों को छोटे और मध्यम उद्योगों के वित्त पोषण के लिये रियायती व्याज-दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है। पंजीकृत बंधक के स्थान पर साम्या बंधक की स्वीकृति, परामर्श सेवा का प्रबन्ध और उपयुक्त मामलों में निम्न मार्जिन के निर्धारण जैसे उपायों ने छोटे और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाई है।

(ग) उपलब्ध आंकड़े अनुबंध में दिये जा रहे हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10480/76]

रुपयों में भुगतान समझौते

958. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों के साथ अभी भी रुपये में भुगतान समझौते चल रहे हैं ;

(ख) क्या वे सामान्य रूप से लागू होते हैं अथवा किन्हीं विशेष वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर ही लागू होते हैं ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1975 के अन्त में ऐसे प्रत्येक देश के साथ भुगतान शेष की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) *मिस्र का अरब गणराज्य।

**सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, पोलैण्ड बलगारिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा उत्तर कोरिया :

(ख) *यह व्यापार करार प्रत्येक देश से निर्यात के लिये उसमें उल्लिखित विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में है। तथापि, व्यापार करार में उल्लिखित स्तरों के अलावा इन मदों के व्यापार की और साथ ही उन मदों के व्यापार की भी अनुमति है जिनका उसमें उल्लेख नहीं है और ऐसे मामलों में भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में होगा।

**सभी व्यापार विनियमों के अनुसार सामान्य।

(ग) मिस्र के अरब गणराज्य और सूडान के साथ भारत के भुगतान सन्तुलन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत-सूडान व्यापार के प्रबन्ध के अन्तर्गत, भारत के पक्ष में, 31–12–1975 को शेष तकनीकी ऋण 7,475,000 पौंड था जब कि भारत-मिस्र का अरब गणराज्य व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत कोई भी राशि शेष न थी।

यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि युगोस्लाविया के पक्ष में 15.7 करोड़ रुपये का अधिशेष उन वस्तुओं की विशेष सूची के अनुसार भारत से माल का निर्यात करके समाप्त किया जाएगा जो परस्पर सहमति से स्वीकार की जाएगी। इस सूची में लगभग 50 प्रतिशत गैर-परम्परागत वस्तुएं होंगी।

बैंकों की शाखायें खोलना

959. **श्री धामनकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में कितनी शाखाएं खोली गई और ग्रामीण जन-संख्या की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में धन देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण देने का ग्रामीण जनसंख्या की साहूकारों पर निर्भरता की चुनौती का सामना करने में क्या प्रभाव पड़ा है और "वर्ग बैंकिंग" व्यवस्था किस हद तक "जनबैंकिंग" व्यवस्था में बदल पायी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्य बैंको ने 1973, 1974 और 1975 में क्रमश: 706, 624 और 791 शाखायें ग्रामीण केन्द्रों में (10,000 से कम जनसंख्या वाले केन्द्रों में) खोली हैं।

केवल ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित शाखायें ही नहीं किन्तु अर्धशहरी केन्द्रों की भी तथा कुछ मामलो में शहरी केन्द्रों की शाखायें भी आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सुविधायें प्रदान करती हैं, इसलिये पृथक् रूप से यह हिसाब लगाना सम्भव नहीं है कि ग्रामीण क्षत्रों की प्रति बैंक-कार्यालय जनसंख्या कितनी है। किन्तु सारे देश में जो प्रति-बैंक-कार्यालय जनसंख्या 1973 में 33,000 थी वह घटकर 1974 में 30,000 और 1975 में 27,000 तक ले आयी है।

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय से सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि, छोट पैमाने के तथा कुटीरउद्योगों, छोटे सड़क तथा जल परिवहन संचालकों, खुदरा व्यापार और छोटे व्यावसायिक, शिल्पियों और दस्तकारों आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करने का प्रयास करते रहे हैं। उनके द्वारा किये गये किसानो के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की जो रकम जून, 1969 में 40 करोड़ रुपये थी वह बढ़कर सितम्बर, 1975 में 576 करोड़ रुपये हो गई। कृषि के क्षेत्र में इन बैंको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित ऋणकर्ताओं की संख्या इसी अवधि में 1.6 लाख से बढ़ कर 24 लाख हो गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में, जिसमें और बातों के साथ साथ ग्रामीण कर्जदारी को समाप्त करना भी शामिल है, सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार की प्रशासनिक और वैधानिक कार्यवाही से लाभान्वितों की सहायता के लिये, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिये विशेष योजनायें बना रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक का विकसित तथा बिना बैंक वाले क्षेत्रो में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी प्रायोजन कर रहे हैं ताकि छोटे और सीमान्त किसानों और / ग्रामीण शिल्पियों की ऋण-आवश्यकतायें अधिकाधिक मात्रा में पूरी की जा सकें।

पेंशन भोगियों को राहत देने का फार्मूला

960. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने पेंशन भोगियों को राहत देने के बारे में किसी फार्मूला की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पेंशन भोगियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कितनी राहत दी गई है ; और

(ग) क्या पेंशन भोगियों को अभी तक पूरी राहत की मंजूरी नहीं दी गई है यदि हां, तो कब तक मंजूरी दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग). तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने के औसत में 16 अंको की वृद्धि हो तो पेंशन भागियों को राहत दी जाये और यह राहत सबसे पहली बार उस समय दी जाए जब सूचकांक औसत 216 पर पहुंच जाए। इस आधार पर राहत तीन किस्तों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है जिसमें 248 तक का सूचकांक आ जाता है । वित्त मंत्री ने, उपलब्ध साधन स्रोतों को ध्यान में रखते हुये अपने बजट भाषण में 1 अक्तूबर, 1975 से पेंशन के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त तदर्थ राहत की भी घोषणा की है, जो प्रति माह कम से कम 10 रुपये और अधिक से अधिक 50 रुपये है ।

अमरीकी दल के साथ विचार-विमर्श

961. **श्री शशि भूषण**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्टर अर्विले एल० फ्रीमैन के नेतृत्व में आया अमरीकी दल दोहरे कराधान से बचने तथा कर की दरो में कमी करने के बारें में भारत और अमरीका के बीच एक संधि करना चाहता था ;

(ख) क्या यह अमरीकी दल हमारे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कुछ परिवर्तन कराना भी चाहता था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अमरीकी दल द्वारा उठाये गये मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) भारत अमरीकी संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक के सम्बन्ध में श्री अर्विले एल० फ्रीमैन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दल फरवरी, 1976 में भारत आया था उसने सुझाव दिया था कि दोनों सरकारों को दोहरे कराधान से बचने के सम्बन्ध में करार करना चाहिये ।

(ख) जी, नहीं । दल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के बारे में केवल कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और यह इच्छा प्रकट की थी कि इस अधिनियम का उदारतापूर्वक पालन किया जाए

(ग) दोहरे कराधान से बचने के एक करार के बारे में दोनों सरकारों के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है । अमरीकी दल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नोट कर लिया गया है ।

लन्दन में होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेना

962. **श्री शशि भूषण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार केन्द्र में, विकासशील देशों की आगामी अक्तूबर मास में किसी समय लन्दन में होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) उक्त प्रदर्शनी में भारत द्वारा भाग लेने सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रदर्शनी के आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे जो वित्तीय सहायता आदि दे रहे हैं उसके कुछ ब्यौरे स्पष्ट करें ।

Compulsory Deposit Scheme for Central Government Employees

963. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether 50 per cent dearness allowance of the Central Government employees is being deducted and deposited in the Compulsory Deposit Scheme;

(b) whether as per orders of the Central Government, the term of the said scheme is going to expire in coming June or July; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether Government propose to pay full amount of dearness allowance to the employees after discontinuing this Scheme from coming June or July and pay in cash the 50 per cent amount already deducted in cash ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes,

(b) Yes, on 6th July, 1976, as per the existing provisions of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974. However, as indicated in the Budget Speech of the Finance Minister, it is proposed to extend the period of compulsory deposit of additional dearness allowance by a year.

(c) No. Additional Dearness Allowance Deposits made till July, 1976 will be repaid in five equal annual instalments, the first instalment commencing from July, 1976 in the manner provided in the Act.

Cultural Convention of Eastern States

964. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether any cultural convention of the Eastern States of the country was held at Bhubaneswar on the 12th February, 1976;

(b) if so, whether while speaking at the concluding function of the convention, he appealed that the State Governments should, in consultation with the Ministry of Tourism, formulate a policy for the co-ordinated development of internal tourism;

(c) whether Central Government propose to extend any help to the State Governments in this regard; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). According to the broad division of responsibilities as outlined in the draft Fifth Plan document on Tourism it is envisaged that the Centre should invest in projects and programmes which are intended primarily to stimulate international tourism, while the State Governments should concentrate their resources on the development of facilities for domestic tourism. A provision of Rs. 35·89 crores exists for the development of tourism schemes in the State Sector. The provision in the State Sector is for providing facilities primarily for domestic tourists and pilgrims. In order to avoid over-lapping, the Department of Tourism ensures co-ordination at the time of discussions held to finalise Plan documents, Annual Plans etc.

वर्ष 1976–77 के लिये निर्यात-लक्ष्य

965. **श्री सरजू पांडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976–77 के लिये 5000 करोड़ रुपये के अत्यन्त महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य निश्चित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग). 1976–77 के लिये निर्यात लक्ष्य तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निर्यात लक्ष्य निर्धारित करते समय आन्तरिक तथा बा ्य विभिन्न उपादानों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा। उस वर्ष के लिये निर्धारित किये गये निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी किये जायेंगे।

हथकरघा उद्योग का विकास

966. श्री सरजू पांडे :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कोई राज्य-वार लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा के लिये कितनी राशि नियत की गई है तथा तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). हालांकि हथकरघा उद्योग के विकास के सम्बन्ध में कोई राज्यवार लक्ष्य तैयार नहीं किये गये हैं, फिर भी सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके निम्नलिखित के लिये कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(1) सहकारी क्षेत्र में मौजूदा 30 प्रतिशत एककों की संख्या बढ़ा कर 60 प्रतिशत करना ;

(2) हथकरघों का आधुनिकीकरण ;

(3) हथकरघा उद्योग का तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीकीय आधार सुदृढ़ करना ;

(4) उचित कीमतों पर निविष्ट साधनों की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(5) बेहतर ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(6) अधिक बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था करना ; और

(7) गहन विकास तथा निर्यात उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना करना ।

ये कार्यक्रम या तो विचाराधीन हैं या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। फिलहाल प्रत्येक राज्य के लिये 40000 से अधिक हथकरघों की एक-एक गहन विकास परियोजना अर्थात् कुल मिलाकर ऐसी 13 परियोजनायें तथा भारत के विभिन्न भागों में 20 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं क्रियान्विति के लिये सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जा चुकी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा उन राज्यो में से हैं जहां एक-एक गहन विकास परियोजना और निर्यात उत्पादन परियोजना होगी ।

कोणार्क का एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

967. श्री डी० के० पंडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क को, इस क्षेत्र की वृहत योजना के अधीन, एक अन्तराष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये कौनसा सावधिक कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) वहां पर्यटन संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) स्मारकों के परिरक्षण और सुरक्षा के लिये यदि कोई अतिरिक्त कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). जहां कोणार्क के स्मारक के संरक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का है, पर्यटन विभाग का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य स्मारक के आस पास के अव्यवस्थित विकास से नष्ट न होने पाये जिस से कि वहां का पर्यावरण विकृत हो जाये । इसे सुनिश्चित करने के लिये विभाग ने निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर व ग्राम आयोजना संगठन से एक मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) तैयार करने का अनुरोध किया है जो कि इस स्मारक के आस पास विकास कार्यों को हाथ में लेने/अनुमित प्रदान करने के लिये एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है । मास्टर प्लान तैयार की जा रही है और जैसे ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, विकास कार्यक्रम को क्रियाविन्त करने का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार को परामर्श से संबंधित प्राधिकारियों पर सौंप दिया जायेगा ।

पूर्ववर्ती योजनावधियों में, पर्यटन विभाग ने कोणार्क में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया था, जिसका परिचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एक यात्री लॉज के रूप में किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त राज्य सरकार एक पर्यटक बंगले का परिचालन कर रही है ।

पर्यटन का एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकास

968. श्री डी० के० पंडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भारत का समेकित प्रतिबिम्ब प्रदर्शित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर अपेक्षित प्रबंधकीय प्रतिभा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, इस संबंध में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन पहले ही एक विकासशील राष्ट्रीय उद्योग है । इस ने 1975 में विदेशी मुद्रा में 184

करोड़ रुपये अर्जित किये तथा पर्यटन से हमारी विदेशी मुद्रा की आय निरंतर क्रमशः बढ़ रही है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, पर्यटन ने 1972–73 में 9,33,766 व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया।

पर्यटन देश का सब से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दसवां उद्योग है।

(ख) पर्यटन एक अत्यधिक विशिष्ट एवं तकनीकी उद्योग है जिस के विभिन्न पहलू हैं जैसे, खान-पान तकनीक विज्ञान, होटल प्रबंध, संचालन, प्रचार प्रोत्साहन, यात्रा अधिकरण व्यवसाय, विमानन, सड़क तथा रेल परिवहन आदि। पर्यटन उद्योग के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्रतिभावान प्रबंधकों की व्यवस्था करने के लिये एक एकीकृत अखिल भारत सेवा संवर्ग का सृजन आसान करना नहीं है।

पर्यटन विभाग ने केन्द्रीय तथा राज्यीय दोनों ही वर्गों के अधिकारियों को पर्यटन प्रोत्साहन के विषय में प्रशिक्षण देने के बारे में विशेष दक्षता प्राप्त की है। राज्यीय तथा केन्द्रीय अधिकारियों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये नई दिल्ली में तथा बम्बई, कलकता और मद्रास से अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

निकट भविष्य में एक केन्द्रीय पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान चालू करने का भी प्रस्ताव है जो सरकारी तथा निजी क्षेत्रों दोनों ही में पर्यटन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

जीवन बीमा निगम को बिहार से हुई आय

969. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से दिसम्बर, 1975 तक जीवन बीमा निगम को प्रिमियम के रूप में कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) बिहार राज्य के पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन के लिये उक्त अवधि में निगम द्वारा आबंटित राशि का जिलावर ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम को अपने बिहार स्थित प्रभागों के जरिये 1–4–75 से 31–12–1975 तक प्रीमियम के रूप में कुल 11.80 करोड़ रु० की आय हुई।

(ख) इस अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम ने बिहार सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों तथा बंध पत्रों इत्यादि (इस्यूज) में किये गये अंशदान के रूप में और बिहार सरकार को तथा उस राज्य में राज्य स्तरीय अन्य संविधिक निगमों तथा अभिकरणों को दिये गये ऋणों के रूप में 833 लाख रु० का निवेश किया। वे ही धन के जिला वार आबंटन के बारे में निर्णय करते हैं और उस में जीवन बीमा निगम कुछ नहीं कह सकता है।

इस के अतिरिक्त सिंहभूम तथा जमशेदपुर जिलों में स्थित गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को क्रमशः 80 लाख रु० तथा 300 लाख रु० के ऋण दिये गये।

Development of Tourism in Bihar

970. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred in 1975-76 on the development of tourist centres like Bodhgaya, Nalanda and Rajgir for the development of tourism in Bihar; and

(b) the amount to be allocated for the development of said centres in the ensuing year?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) No expenditure has been incurred on the development of tourist facilities at Bodhgaya, Rajgir and Nalanda during 1975-76 as firstly, the land required at Bodhgaya has yet to be acquired by the State Government and transferred to the Department of Tourism; and secondly, the master plans of Rajgir and Nalanda are under finalisation and only on their completion will the development of requisite facilities at these places be taken up.

(b) A provision of Rs. 16·50 lakhs has been suggested in the budget proposals for 1976-77 for the Cultural Tourism Programme of the Department of Tourism under which the development of facilities at selected Buddhist centres and other archaeological centres of tourist interest is proposed to be taken up.

जिला स्तर पर मंत्रणा परिषदों/सलाहकार निकायों की नियुक्ति

971. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्वित में बैंकों को सामान्यत: शामिल करने तथा विशेष रुप से ऋण मंजूर कराने के लिये जिस से कि नियोजन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तथा अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने वाले बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके, अन्य लोगों के अलावा संसद सदस्यों तथा जिलों के विधान सभा सदस्यों को लेकर जिला-स्तर पर मंत्रणा परिषदों/सलाहकार निकायों की नियुक्ति करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रुप-रेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : सरकारी क्षेत्र के बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम के कायान्वियन में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनका अधिकांश योगदान उन उपायों के लाभांवितों के वास्ते पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करने के रुप में है, जिन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम में बताये गये विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने किया है। वे, बैरोजगार युवको के स्वंय नियोजन के उद्रयमों में अपनी विद्यमान योजनाओं के माध्यम से और साथ ही राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रमों के कायान्वियन के लिये वित्तीय सहायता देकर भी सहायता कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन उन के मंडलो, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। लीड बैंक योजना के अधीन स्थापित की गई जिला सलाहकार समितियों से भी आशा की जाती है कि वे और बातों के साथ साथ 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिये सहायता देने में बैंकों के कार्य की समीक्षा करें। यद्यपि जिला स्तर की सलाहकार परिषदों दाता परामर्श निकायों का पृथक रुप से गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं किन्तु फ़िर भी संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा जिला सलाहकार समितियों में गैर सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार गैर सरकारी को इन

समितियों में शामिल करने का प्रश्न सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। यह निर्णय किया गया है कि जिन कुछ राज्यों में कुछ जिला सलाहकार समितियों में गैर सरकारी व्यक्ति शामिल किये जा चुके हैं उन्हें चालू रखने के अलावा अन्य राज्यों में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष-ज्ञान रखने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों को, प्रत्येक राज्य के एक जिले की जिला सलाहकार समिति के हिसाब से, प्रयोगात्मक रुप से शामिल किया जाये।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा ऊटी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

972. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ऊटी पर्यटकों के लिये बहुत बड़ा आकर्षण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थान का एक पर्यटक केन्द्र के रुप में विकास करने के लिये उस को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार को पर्यटकों के लिये एक आकर्षक स्थल के रुप में ऊटी के महत्व की जानकारी है। परन्तु मुख्यतः साधनों की तंगी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण, फ़िलहाल ऊटी में केन्द्रीय क्षेत्र में किन्हीं योजनाओं को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में विदेशी बैंक

973. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंक हमारे देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशी बैंकों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में, विदेशी बैंकों के राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लगे होने की कोई घटना नहीं आई है। विदेशी बैंक देश सामान्य कानूनों के ढ़ांचे के भीतर ही कार्य करते हैं। इन बैंकों की भारतीय शाखाओं का कार्यचालन खासतौर से बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये विदेशों/परामर्शों द्वारा प्रशासित देता है। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इन बैंकों द्वारा इन संविधियों/निदेशों के उपबन्धों का कोई गंभीर उल्लघंन इस के ध्यान में नही आया है। 25-4-1975 की उत्तरित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 7535 के उत्तर की ओर भी ध्यान आर्कषित किया जाता है।

विदेशों को विमानों के लिये क्रयादेश

974. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नागर विमानन विभाग कितने तथा किस प्रकार के विमानों का उपयोग कर रहा है ;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान सरकार ने कितने नये विमानों के लिये विदेशों को क्रयादेश दिये हैं और उनकी विशिष्टतायें क्या हैं ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने तथा किस प्रकार के विमानों का उपयोग बन्द किया गया और उन्हें अन्य देशों को बेच दिया गया ; और

(घ) इससे सरकार को, विदेशी मुद्रा सहित कितना लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नागर विमानन विभाग द्वारा इस समय दो डी० सी०–3 विमानों का उपयोग किया जा रहा है जिन पर उनका ही स्वामित्व है ।

(ख) नागर विमानन विभाग द्वारा कोई नहीं ।

(ग) जहां तक नागर विमानन विभाग का सम्बन्ध है, कोई नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

975. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) साधारण बीमा कम्पनियों का अप्रैल, 1976 से जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ करने का विचार है ।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :—

(1) इस योजना का उद्देश्य मृत्यु, एक अथवा दो अंगों की क्षति एक अथवा दोनो आंखो की क्षति और दुर्घटना के परिणामतः स्थायी रूप से पूर्णतः पंगु हो जाने पर सुरक्षा उपलब्ध करना है ।

(2) बीमाकृत रकम 10,000 रुपये हैं । लेकिन एक अंग की क्षति अथवा एक आंख अथवा अन्य प्रकार की स्थायी विकलांगता के लिये, बीमाकृत रकम का केवल 50 प्रतिशत देय है ।

(3) प्रीमियम 12 रुपये प्रतिवर्ष है ।

(4) दुर्घटना के कारण हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिवर्ष 200 रुपये तक पूर्ति की जा सकेगी ।

(5) किसी भी एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही बीमा किया जा सकता है ।

(6) इस योजना के अन्तर्गत 16 से 60 वर्ष की आयु वाले आते हैं ।

पर्यटन स्थलों का विकास

976. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये देश में अधिक पर्यटन-स्थलों का विकास करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो 1976 में विकसित किये जाने वाले स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । वर्ष 1976–77 में इन पर बल देने का कार्य जारी रहेगा : पर्यटन के आधारभूत उपादानों (आवास तथा परिवहन सुविधाओं) का निर्माण, भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटकों को और अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिये चुने हुये क्षेत्रों का पर्वतीय तथा समुद्र तटीय बिहार-स्थलों के रूप में, विकास, पुरातत्विक तथा ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन का विकास तथा अन्य जीव पर्यटन का विकास । इस प्रयोजन के लिये, 1976–77 के दौरान हाथ में ली जाने वाली विभिन्न पर्यटन स्कीमों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 667.64 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

हथकरघा उद्योग की उन्नति के लिये योजना

977. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को हथकरघा उद्योग की उन्नति की योजना से अवगत कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस योजना का अनुमोदन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारें बताई गई पद्धति के अनुसार हथकरघा उद्योग को नया जीवन देने तथा उसका विकास करने की योजनायें शुरू करने के लिये सहमत हो गई हैं ।

'स्टेपल यार्न' के मूल्यों में वृद्धि

978. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्टेपल यार्न के मल्यों में वृद्धि की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा और विद्युत् चालित करघा बुनकरों से स्टेपल यार्न के मूल्यों को स्थिर रखने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हैंडलूम तथा पावरलूम बुनकरों की ओर से स्टेपल फाइबर स्पन यार्न की ऊंची कीमतों के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। जो पूछताछें की गई हैं उनसे पता चलता है कि पिछले 4-5 महीनों के दौरान स्टेपर फाइबर स्पन यार्न की कीमत में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण है स्टेपल फाइबर की ही कीमत में वृद्धि और बाजार में यार्न की मांग का बढ़ाना। स्टेपल फाइबर स्पन यार्न की कीमतों को नियंत्रित करने के लिये सरकार के पास कोई कानूनी उपाय नहीं हैं।

कोचीन पत्तन क्षेत्र को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाया जाना

980. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन पत्तन क्षेत्र को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). केरल की राज्य सरकार ने कोचीन में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने का सुझाव दिया था। सुझाव पर विचार करके यह फैसला किया गया था कि परियोजना की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जाना चाहिये। केरल सरकार को तदनुसार सलाह दी गई थी। इस बीच, सरकार देश में और अधिक मुक्त व्यापा जौन बनाने की समग्र धारणा और व्यावहार्यता पर भी विचार कर रही है।

घटिया वस्तुओं का निर्यात

981. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन चैम्बर्स आफ कामर्स के इम्पोर्ट अपरचूनिटीज आफिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भारतीय निर्यातकर्ताओं से यह अनुरोध किया है कि वे अपने उत्पादों के मूल्य-पक्ष की तुलना में किस्म पक्ष की ओर अधिक ध्यान दें ;

(ख) क्या भारतीय निर्यात कर्ताओं की उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि की प्रायः उपेक्षा करने की आदत है ; और

(ग) यदि हां, तो घटिया वस्तुयें निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). इम्पोर्ट अपारच्यूनिटीज़ आफ लन्दन चैम्बर्स आफ कामर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भारत का दौरा किया था और जितने भी मंचो से उन्होंने भाषण दिये उन सभी में आधारभूत बात यह थी कि भारत जैसे विकासशील देशों के विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को कीमत से अधिक महत्व क्वालिटी को देना

चाहिये और निर्यात की माल पर लागू क्वालिटी नियंत्रण उपायों को स्वदेशी मांग से सम्बन्धित माल पर भी लागू करना चाहिये। उन्होने खास तौर से भारतीय माल की घटिया क्वालिटी का जिक्र नहीं किया।

भारत सरकार ने भारत से निर्यात किये जाने वाले माल की क्वालिटी को सुधारने के लिये कई उपाय किये हैं। ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा निरीक्षण के क्षेत्र में देश की विभिन्न एजेन्सियों के विशेष ज्ञान, अनुभव तथा तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी को निर्यात निरीक्षण परिषद् के समग्र तालमेल के अधीन एक साथ पूल किया गया है ताकि निर्यात पूर्व निरीक्षण अत्यधिक कुशल तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। हमारे अधिकांश प्रमुख निर्यात योग्य उत्पाद वर्तमान निर्यातपूर्व निरीक्षण पद्धति के अन्तर्गत आ जाते हैं।

घटिया माल की सप्लाई से सम्बन्धित विनिष्ट शिकायतों पर सरकार गौर करती है और उपर्युक्त कार्यवाही की जाती है।

31 दिसम्बर, 1975 के बाद लेखाबाह्य धन की घोषणा

982. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1975 के बाद स्वेच्छा से लेखा बाह्य धन सम्बन्धी कुछ घोषणायें फरवरी, 1976 के अन्त तक की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की घोषणा की गई थी और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) हाल ही में समाप्त हुई, स्वेच्छया प्रकटन योजना के अधीन आय/धन का प्रकटीकरण, केवल 31 दिसम्बर, 1975 को मध्य रात्रि तक किये जा सकते थे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273–ए/धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 18–बी के अन्तर्गत, 1 जनवरी, 1976 से फरवरी, 1976 के अन्त तक किये गये स्वेच्छया प्रकटीकरणों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे देश भर के आयकर आयुक्तों से एकत्रित करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह इकट्ठी करके पेश की दी जायेगी।

भारत और पुर्तगाल के बीच समझौता

983. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पुर्तगाल ने एक महत्वपूण समझौता किया है जिसके अन्तर्गत पुर्तगाल भारतीय काफी, चीनी, लोहे, तम्बाकू, चावल, चमड़े और कमाई हुई खालों का आयात करेगा तथा उर्वरक, कोक तथा रासायनिक उत्पादों का निर्यात करेगा ; और

(ख) क्या उस देश को हमारा निर्यात और वहां से आयात पहली बार होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) पुर्तगाल तथा भारत के बीच 1–8–1967 से कोई व्यापार सम्बन्ध नहीं है। हाल में, पुर्तगाल सरकार के अनुरोध पर एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी, 1976 में उस देश का दौरा किया और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के बारे में पुर्तगाल सरकार के साथ विचार विमर्श किये। व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के बारे में करार के मसौदे पर पुर्तगाल सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और ऐसी आशा है कि आने वाले महीनों में उसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

भारत-पुर्तगाल वार्ताओं के फलस्वरूप पुर्तगाल को निर्यात करने तथा वहां से आयात करने के लिये निम्नोक्त मदों का पता लगाया गया है :—

पुर्तगाल को निर्यात करने के लिए पता लगाई गई मदें।

1. काफी
2. चीनी
3. तम्बाकू
4. मसाले
5. चाय
6. पशु खाल
7. जानवरों का चारा
8. मूंगफली हाथ से चुनी व छंटी हुई
9. समुद्री खाद्य पदार्थ विशेषत: श्रिम्प तथा सार्डीन
10. बिस्कुट
11. काजू गिरी
12. साधित खाद्य पदार्थ
13. आम
14. कमर धागा तथा उससे बनी वस्तुयें
15. पटसन से बना सामान
16. कच्ची रुई
17. सिले सिलाये परिधान विशेषत: हथकरघा परिधान
18. प्राकृतिक रेशम के वस्त्र तथा परिधान
19. बिजली के साधित तथा इलैक्ट्रानिक्स संघटक
20. मोटर के हिस्से पुर्जे
21. इंजीनियरी की वस्तुएं
22. लोहे तथा इस्पात की प्राइमरी वस्तुएं जैसे स्लैब, शीट्स प्लेट्स, पाइप्स।

23. रासायनिक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ

24. तैयार तथा अर्ध तैयार चमड़ा

25. रत्न तथा आभूषण

26. लोह अयस्क

27. बिटुमन

पुर्तगाल से आयात करने के लिए पता लगाई गई मदें।

1. कार्क लकड़ी तथा कार्क वेस्ट

2. टंगसन अयस्क

3. यूरिया

4. टारटैरिक एसिड तथा इनपिसिलीन थाइहाइड्रेट जैसे कतिपय रासायनिक पदार्थ

5. मशीनरी सम्बन्धी कतिपय वस्तुएं

6. जहाज

बेटला नेशनल पार्क

984. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने पर्यटक बेटरा नेशनल पार्क देखने गये ;

(ख) वहां पर उपलब्ध आवास स्थान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या शरद और शीत ऋतुओं में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुये वर्तमान आवास व्यवस्था का विस्तार करने की मांग की जाती रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेशियों तथा भारतीयों को मिलाकर कुल 16,600 यात्रियों ने 1975 के दौरान बेटरा नेशनल पार्क की यात्रा की ।

(ख) पर्यटक लाज, पर्यटक कुटीर, जनता लाज तथा वन विश्राम गृह में कुल मिलाकर 34 शय्याओं का आवास-स्थान उपलब्ध है ।

(ग) बिहार के मुख्य वन संरक्षक (चीफ फारेस्ट कंजर्वेटर) के अनुसार, पतझड़ तथा शरद् ऋतुओं के दौरान वर्तमान आवास-स्थान में वृद्धि की आवश्यकता की मांग है ।

Lapsing of Life Insurance Policies

985. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether lakhs of Life Insurance policies have been treated as lapsed in 1975 due to non payment of premiums;

(b) if so, the number thereof; and

(c) whether Government propose to adopt a new policy to revive those policies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b) During the year ended 31st March, 1975 the number of net lapses (*i.e.* lapses less revivals) amounted to 4·93 lakhs policies, which did not acquire any paid up value.

(c) Apart from taking usual steps aimed at preventing lapses, as far as possible, the LIC has recently streamlined the procedure for revival of lapsed policies. Policies which have lapsed without acquiring any surrender value can be revived under the Special Revival Scheme. Where the policy-holder is not in a position to pay the arrears of premiums in one lump sum (and the policy cannot be revived under the Special Revival Scheme), revival can be effected under the Instalment Revival Scheme. During the special drives a policy which had remained lapsed for a period of six months to one year could be revived on the strength of a declaration by the policyholder himself.

Rent and Rates of Foodstuffs charged by Five Star Hotels

986. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether rent of rooms and rates of foodstuffs differ from one Five Star hotel to another in the same city being run under the private and public sectors in the country and if so, the reasons therefor; and

(b) whether Government have considered some measures to bring these rates at par and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir. The rent of rooms in a hotel depends on the quality and the range of facilities and amenities provided not only in the rooms but also in the hotel as a whole. Likewise, the rates of food stuff are also dependent on the type of cuisine in each restaurant and other facilities such as entertainment etc.

As a consequence, the rent of rooms and rates of foodstuffs in hotels, irrespective of whether they are in the public or private sector differ from hotel to hotel, even though they belong to the five star category and are located in the same city.

(b) As a particular star category of hotels, covers a wide range of facilities, amenities and cuisine a uniform rate structure in the same star category of hotels is not feasible. Nevertheless there is a system of approving room tariff for hotels which have been approved by the Department of Tourism from the point of view of their suitability for foreign tourists.

आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

987. **श्री हरि सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की कोई नई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन संबंधी पांचवीं योजना के प्रलेख के प्रारूप में उत्तरदायित्व के मोटे बटवारे के अनुसार केन्द्रीय सरकार उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च करेगी जिनका मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा के उपार्जन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की अभिवृद्धि करना है बाकि राज्य सरकारें अपने प्रयत्न अंतर्देशीय पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास पर केन्द्रित करेंगी। राज्य क्षेत्र में पर्यटन संबंधी विकास योजनाओं के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 35.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था विद्यमान है। राज्य क्षेत्र में की गई व्यवस्था का उद्देश्य मूलत: देशीय पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान

करना है। पुनरावृत्ति स्वरूप परस्पर व्यापी कार्यवाहियों से बचने की दृष्टि से पर्यटन विभाग वार्षिक योजनाओं आदि को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित किये गये विचार-विमर्श के समय परस्पर उचित समन्वय की व्यवस्था करता है।

पर्यटन विभागों में महिलाओं की भर्ती

988. **श्री हरि सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974–75 में पर्यटन विभागों में उत्पन्न हुए रोजगार के अधिकतम अवसर महिलाओं को दिये गये; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार उनकी संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) और (ख). राज्यों के पर्यटन विभागों से सूचना की अभी प्रतीक्षा है। जहां तक केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है स्थिति यह है कि 1–4–1974 से 31–3–75 की अवधि में वर्ग ख, वर्ग ग और वर्ग घ के पदों पर कुल भर्ती किये गये 48 व्यक्तियों में से केवल 11 महिलायें थीं जो वर्ग ख (अराजपत्रित) और वर्ग ग के पदों पर नियुक्त की गयीं।

कलकत्ता होकर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

989. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूर्व की ओर से आने वाले पर्यटकों की यह आम शिकायत है कि दक्षिण-पूर्व और सुदूरपूर्व के देशों को कलकत्ता होकर जाने के लिये उन्हें पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने क्या प्रभावकारी उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस समय विदेशी एयरलाइन परिचालकों और एयर-इंडिया द्वारा बेंगकाक हांगकाग टोकियो, ओसाका, रंगून, सिंगापुर और मनीला के लिये 15 सीधी साप्ताहिक सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही एरोफ्लोट को कुआलालम्पुर अथवा सिंगापुर के लिये बरास्ता कलकत्ता परिचालन का अधिकार दे दिया गया है। सरकार का यह निरन्तर प्रयत्न रहता है कि और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिचालक कलकत्ता से होकर उड़ानें करें जहांकि आधुनिक विमानक्षेत्रीय और दिक्‌चालन सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्याज का निर्यात

990. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1975–76 में प्याज के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्याज का निर्यात 5–12–1975 से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है। फेडरेशन परम्परागत गंतव्य स्थानों के अलावा सोवियत संघ, युगोस्लाविया आदि जैसे नये बाजारों में प्रवेश करने के सभी प्रयास कर रहा है। 1975–76 के दौरान निर्यात 100,000 टन तक पहुंचने की आशा है।

पिछड़े क्षेत्रों में दिये गये बैंक ऋणों पर ब्याज की दरें

991. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री बैंक-ऋणों पर ब्याज की ऊंची दर के बारे में 23 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों, सीमान्त तथा छोटे किसानों और अन्य कमजोर वर्गों को 2 लाख रुपये की सीमा में दिये गये ऋणों पर ब्याज की दरें क्या हैं;

(ख) देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर बिहार के पिछड़े जिलों में प्राइवेट और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उपरोक्त कोटियों के व्यक्तियों को क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि दी; और

(ग) बिहार के सम्बन्धित पिछड़े जिलों में ऐसे आवेदकों की कुल संख्या कितनी है जिनकी बिहार के प्रत्येक पिछड़े जिले में मंजूरी दी गई है अथवा जिनके मामले अन्तिम रूप दिये जाने के लिये विचाराधीन हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) रिजर्व बैंक के न्यूनतम ब्याज दर विषयक निदेशों में व्यवस्था है कि, इन निदेशों में जिन कुछ वर्गों के अग्रिमों के लिए न्यूनतम ब्याज दर की शर्त से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर अन्य अग्रिमों पर बैंक 12.5 प्रतिशत से कम ब्याज नहीं लेंगे। छूट प्राप्त अग्रिमों में, छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को मंजूर किये गये ऋण गारण्टी योजना के अंतर्गत आने वाले 2 लाख रुपये तक के अग्रिम, और किसानों, छोटे व्यावसायिकों खुदरा व्यापारियों को एक सीमा तक मंजूर किये गये और भारतीय ऋण गारण्टी निगम की गारण्टी योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिये गये अग्रिम शामिल हैं। इन छूट प्राप्त वर्गों पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की निश्चित दरों में एक बैंक से दूसरे बैंक में थोड़ा-सा अंतर है और वे दरें अग्रिमों की मात्रा, सम्बन्धित अग्रिमों के प्रकार और अवधि, जिसके लिए मंजूर किये गये हैं उस प्रयोजन, जिसके लिए ऋणकर्ता की ऋण लेने की क्षमता के आकलन पर निर्भर होती हैं। निर्यात ऋण के रूप में मंजूर किये गये अग्रिमों के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा निश्चित है। आजकल, यह सीमा लदान पूर्व और लदान पश्चात् ऋणों पर कुछ निर्धारित अवधि के लिए 11.5 प्रतिशत है और आस्थगित अदायगी वाले निर्यातों के वित्त पोषण के लिए दिये गये ऋण पर 8 प्रतिशत है। विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत होती है। वाणिज्यिक बैंकों को 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक' से अथवा 'कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम' से पुनर्वित्त सुविधाओं के रूप में मिलने वाले अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज दर की शर्त लागू नहीं होती और अधिकतम ब्याज की दरें सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा निर्धारित शर्तों पर निर्भर होती हैं।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, विभेदी ब्याज दर योजना, नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रम और छोटे तथा सीमांतिक किसानों को ऋण के अंतर्गत दिये गये राज्यवार अग्रिमों के उपलब्ध आकड़े क्रमशः अनबन्ध 1, 2, 3 और 4 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 10481/76] में दिये गये हैं। जहां तक बिहार के पिछड़े जिलों का सम्बन्ध है, उपलब्ध आंकड़े जून, 1974 के अंत के बारे में उपलब्ध हैं और इन जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के अग्रिमों के क्षेत्रवार ब्यौरे के द्योतक हैं। इन्हें अनुबन्ध 5 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10481/76] में दिया गया है।

कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादन में कमी

992. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों ने मूल्यों का स्तर ऊंचा करने के विचार से जानबूझ कर अपना उत्पादन कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे कौन से उपाय किये जा रहे हैं या करने का विचार है जिनसे वे इस प्रकार की चालें न चल सकें; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1975 से कपड़ा उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। 1975 के दौरान उत्पादन में 1974 के उत्पादन की तुलना में मामूली-सी गिरावट आई, परन्तु इसका कारण प्रभावी मांग में गिरावट आना हो सकता है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कोई प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं, परन्तु राहत के तौर पर वित्तीय रूप से कमजोर एककों को एक वर्ष की अवधि के लिए कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन से छूट मिल सकती है। जनवरी, 1976 से ऐसी मिलों का कंट्रोल के कपड़े का दायित्व, जिन्होंने अपने कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत से अधिक भाग का निर्यात किया था, केवल घरेलू बिक्री के लिए पैकिंग पर आधारित होगा।

भारत में विदेशी] कम्पनियाँ

993. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनेक विदेशी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नये उपबन्धों का लाभ उठा कर नये उपक्रम चला कर अपने कार्यों में विविधता लाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और ख). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन सम्बन्धी निर्देशों के अन्तर्गत, जो 20 दिसम्बर, 1973 को सभा-पटल पर रखे गये थे, कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करने अथवा व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियो को ये विकल्प दिये गये हैं कि वे या तो अपनी विदेशी सामान्य शेयर पूंजी को घटा कर 40 प्रतिशत कर दें अथवा मुख्यत: औद्योगिक लाइसेंस नीति 1973 के परिशिष्ट 1 में शामिल वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करके अथवा मुख्यत: निर्यात-प्रधान उद्योग शुरू करके अपने क्रियाकलापों में विविधता लाकर अपनी कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल दें। इस प्रकार के विविधीकरण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है।

योरुपीय आर्थिक समुदाय के साथ पटसन का व्यापार

994. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योरुपीय आर्थिक समुदाय के साथ पटसन के व्यापार के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक नया पटसन करार करने के लिए प्रारम्भिक वार्ताएं की गई हैं परन्तु करार को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वाद्य यंत्रों का निर्यात

995. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास निर्यात के लिए अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्व मंडियों में इन वाद्य यंत्रों की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार ने उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हमारे निर्यातों के आंकड़ों से थोड़ी लेकिन बढ़ती हुई मांग का पता चलता है। जिन वाद्य यंत्रों की मांग है उनका पता लगाने के लिए अभी तक कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया है।

बाजपे हवाई अड्डा

996. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बाजपे हवाई अड्डा बढ़ते हुए विमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से बहुत छोटा है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक लम्बे धावन-पथ वाला एक बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). बाजपे, (मंगलौर) का वर्तमान विमान क्षेत्र एच० एस०–748 तथा एफ–27 प्रकार के विमानों के नियमित परिचालनों के लिए उपयुक्त है । यह बोइंग 737 के परिचालनों के लिए विकास करने योग्य नहीं है । बोइंग 737 सेवाओं के लिए एक नये स्थान पर एक दूसरे विमान क्षेत्र का विकास करने की संभावना की जांच की जा रही है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों की वृद्धि दरें

997. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इसके सहायक बैंकों, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों में वृद्धि की वार्षिक दर क्या-क्या थी; और

(ख) इन तीन श्रेणियों के बैंकों में प्रति शाखा जमा राशि की औसत क्या थी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). सम्बन्धित आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक समूह, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा में वृद्धि की दर तथा प्रति शाखा जमा का औसत प्रदर्शित करने वाला विवरण ।

बैंक /बैंक समूह का नाम	निम्नलिखित के दौरान वृद्धि की दर (प्रतिशत)			निम्नलिखित के दिसम्बर के अन्त में प्रति शाखा जमाओं की औसत (लाख रु०)		
	1973	1974	1975	1973	1974	1975
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी	16.2	22.9	14.7	58.58	65.44	68.21
2. 14–राष्ट्रीयकृत बैंक . .	22.1	11.8	17.1	65.34	66.88	70.28
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़ (1+2) . . .	20.2	15.4	16.2	63.02	66.39	69.57
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	21.4	12.2	16.9	54.91	54.51	53.37
सारी वाणिज्यिक बैंक व्यवस्था .	20.4	14.9	16.4	61.55	64.19	66.39

टिप्पणी : 1975 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र फीस तथा प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1976, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और औषध और प्रसाधन उत्पाद इत्यादि नियम, 1976।

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सा०सां०नि० 125 (ङ), जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 326, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई--**देखिए** संख्या एल० टी० 10468/76]

(2) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस तथा प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 143(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 10469/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सा० सां०नि० 115(ङ), जो दिनांक 9 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 232 (ङ), जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 10470/76]

(4) औषध और प्रसाधन उत्पाद (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषध और प्रसाधन उत्पाद (उत्पाद शुल्क) संदर्भ निर्माण नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 127(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 10471/76]

जीवन बीमा निगम का 31 मार्च 1975 तक का दसवां मूल्यांकन प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1975 तक के दसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 10472/76]

———

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

80 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 80 वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

———

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): आगामी सप्ताह में लिए जाने वाले कार्य का विवरण देने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं :—

प्रतिपक्षी दलों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है कि लोक सभा के वर्तमान सत्र की अवधि 22 मई तक बढ़ा दी जाए तथा 16 से 25 अप्रैल का अवकाश रखा जाए । बढ़ाई गई अवधि में प्रश्नकाल नहीं होगा ।

मैं लोक सभा में 22 मार्च 1976 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के कार्य का विवरण प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वर्ष 1976–77 के सामान्य बजट पर आगे सामान्य चर्चा ।

(2) वर्ष 1976–77 के लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए पेश करना ।

(3) (1) वर्ष 1976–77 के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(2) वर्ष 1975–76 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) वर्ष 1976-77 के तमिलनाडु बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) (1) वर्ष 1976-77 के लिये अनुदानों की मांगों (तमिलनाडु) पर चर्चा तथा मतदान।

(2) वर्ष 1975-76 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (तमिलनाडु) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा।

(1) नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976।

(विचार तथा पास करना)

(2) संघ लेखा विभागीकरण (कर्मचारियों का स्थानान्तरण) विधेयक, 1976।

(7) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा।

(8) वर्ष 1976–77 के गुजरात बजट पर सामान्य चर्चा।

(9) वर्ष 1976–77 के लिये अनुदानों की मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(विचार तथा पास करना)

(10) (क) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1976।

(ख) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1976।

(ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1976।

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1976।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1975-76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY), 1975-76

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1975-76 के बजट (रेलवे) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

तमिलनाडु बजट, 1976–77
TAMIL NADU BUDGET, 1976-77

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): अध्यक्ष महोदय, मैं, 1976–77 के वित्तीय वर्ष के लिए तमिलनाडु राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

2. सदन को मालूम कि है तमिलनाडु में किस परिस्थिति में 31 जनवरी 1976 से राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। इस दौरान हमें जो कुछ समय मिला, उसमें हमने राज्य की आवश्यकताओं और विकास की प्राथमिकताओं की गहराई से जांच की है। हालांकि पहली, दूसरी और तीसरी आयोजना की अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर तमिलनाडु आगे था किन्तु पिछले कुछ वर्षों में यहां विकास परिव्यय में कमी होती रही और साथ ही प्राथमिकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस संदर्भ में सब से पहल काम यह है कि हमें चाहिये कि राज्य के 1976–77 के आयोजना परिव्यय में विशेष वृद्धि करने की सुनिश्चित व्यवस्था करें जिस से तमिलनाडू को राष्ट्रीय विकास की गति के साथ फिर से कदम मिला कर चलने में सहायता दी जा सके। आयोजना परिव्यय की राशि में वृद्धि करते हुए हमें बुनियादी क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विद्युत, उद्योग और परिवहन पर ज्यादा जोर देने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक सेवाओं के लिये भी पर्याप्त रकमों की व्यवस्था करना जारी होगा। वास्तविक संसाधनों के मिल सकने तथा उन्हें जुटाये जाने के आधार पर आयोजना परिव्यय में वृद्धि करनी होगी। यहीं प्रमुख उद्देश्य हैं जिन के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है।

1976–77 की वार्षिक आयोजना

3. भूतपूर्व सरकार के साथ विचार विमर्श कर के राज्य के 1976–77 के आयोजना परिव्यय के लिये 177 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई थी। गहराई से समीक्षा करने पर, जिस का मैंने पहले उल्लेख किया है, हम ने यह अनुभव किया कि अपेक्षाकृत अधिक अनुशासित तरीकों से तथा सावधानी के साथ साधन जुटा कर परिव्यय की रकम बढ़ा कर 201 करोड़ रुपये करना जरूरी है और ऐसा करना सम्भव भी है। 24 करोड़ रुपये की यह वृद्धि मुख्यत: कृषि और सिचाई (6.77 करोड़ रुपये) विद्युत (5 करोड़ रुपये), उद्योग (1.05 करोड़ रुपये पीने के पानी की सप्लाई (2.14 करोड रुपये) गंदी बस्ती की सफाई (1.14 करोड़ रुपये) हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण (1.44 करोड रुपये) मदों के अन्तर्गत की जायेगी 201 करोड़ रुपये का यह आयोजना परिव्यय, चालू वर्ष के लिये अनुमोदित 143 करोड़ रुपये की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। आयोजना परिव्यय की इस राशि में से 111 करोड़ रुपये अथवा 56 प्रतिशत रकम बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित स्कीमों पर खर्च की जायेगी। विद्युत क्षेत्र को, वार्षिक आयोजना में एक बार फिर महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा और 1976–77 के लिये इस मद के परिव्यय को बढ़ा कर 70.18 करोड़ रुपये किया जा रहा है जब कि चालू वर्ष में इस के लिये 41 करोड़ रुपये रखे गये थे।

कृषि उत्पादन

4. मौसम के फिर से सामान्य होने लगने के कारण तमिलनाडू में खेती की पैदावार अच्छी खासी बढ़ गई है। आशा है कि चालू वर्ष में अनाज का उत्पादन 80.6 लाख टन

होगा और इसका स्तर 1976–77 में 83 लाख टन तक बढ़ जायेगा। उर्वरक अब आसानी से मिल जाता है। बीज फार्मों को दृढ़ बनाने तथा राज्य फार्म निगम के जरिये खेती योग्य बेकार पड़ी जमीन पर खेती शुरू करने के लिये पूंजी लगाई जाती रहेगी। सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे पशुपालन, मीन उद्योग और वन उद्योग के वार्षिक आयोजना परिव्यय पर भी उचित बल दिया जा रहा है।

सिंचाई

5. 1976–77 में कुल 12.64 करोड़ रुपये की लागत से मरुदानदी स्कीम, कोडणनार स्कीम, वाट्मलई करई ओडई स्कीम, पालार पुरुन्धलार स्कीम नामक चार बड़ी स्कीमें पूरी की जायेंगी और इन स्कीमों के अन्तर्गत 17,230 एकड़ नई जमीन में सिंचाई की जाने लगेगी तथा 13,100 एकड़ जमीन में, जहां पहले से सिंचाई होती थी और बेहतर तरीके से सिंचाई होने लगेगी वैगे सिंचाई नालीयों का आधुनिकीकरण करने के काम में पर्याप्त प्रगति की जायेगी। पेरियर सुधार परियोजना सहायता प्राप्त करने के लिये विश्व बैंक के पास भेज दी गई है। राज्य ने अपने यहां जमीन के ऊपर प्राप्त जल के भंडार को लगभग पूरी तरह उपयोग में ले लिया है। तमिलनाडू के कई क्षेत्रों में जमीन के नीचे जल भंडार की कमी होनी शुरू हो गई है। सिंचाई के प्रयोजन के लिये पानी का इस्तेमाल करने की कार्यकुशलता तथा उसके इस्तेमाल में मितव्ययिता पर जोर देते हुए राज्य में उपलब्ध पानी क भंडार के इष्टतम उपयोग की सम्भावना को सम्पूर्ण तंत्र के रूप में अध्ययन करना होगा, योजनायें बनानी होंगी और उन्हें क्रियान्वित करना होगा। इस पृष्ठभूमि में, पुरानी सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिये आयोजना परिव्यय को बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

6. सिंचाई आयोग ने तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, धर्मपुरी और कोयम्बतूर जिलों में 24 ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां अक्सर सूखा पड़ा करता है इन क्षेत्रों में बारानी खेती के बारे में अनुसंधान करने और इस से संबद्ध विस्तार कार्य तथा विकासात्मक प्रयासों की गति तेज कर दी जायेगी। तमिलनाडू के जिन जिलों में अक्सर सूखा पड़ता रहता है उन में स्थायी तौर पर राहत देने के एक उपाय के रूप में सिंचाई परियोजनायें तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

विद्युत

7. एन्नूर थर्मल प्लांट में पांचवें यूनिट (110 मेगावाट) के चालू हो जाने से तमिलनाडू में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़ कर 2364 मेगावाट हो गई है। नडूवटटम डाइवर्जन स्कीम जल्दी ही पूरी हो जायेगी जिस से प्रतिवर्ष 690 लाख यूनिट ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन होगा। एन्नूर इम्प्रूवमेंट स्कीम को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिये हर प्रकार के कदम उठा रहे हैं कि उत्पादन में विशेष रूप से थर्मल प्लाटों के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाये। केरल से कुछ विद्युत के मिलने लगने पर वर्ष में अब यहां पावर कट करना नहीं पड़ा करेगा बशर्ते कि दक्षिण पश्चिमी मौनसून सामान्य रहे।

8. वार्षिक आयोजना में तुतिकोरिन विद्युत परियोजनाओं के पहल दौर के लिये 34.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना से 1979–80 तक 420 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है। हमने तमिलनाडू में विद्युत विकास को जो

उच्च प्राथमिकता दी है, उस के अनुसार इस परियोजना के लिये 27 करोड़ रुपये की अग्रिम केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। बढ़ाये गये आयोजना परिव्यय में पांडियार पुन्नपुका जल विद्युत परियोजना (100 मेगावाट) के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उद्योग

9. आयोजना में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के लिये 4.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह निगम संयुक्त क्षेत्र की कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इस निगम ने अकियालूर में 16.5 करोड रुपये की लागत से सीमेंट के एक नए कारखाने के निर्माण का काम भी हाथ में लिया है। अरक्कोणम स्थित निरन्तर ढुलाई कारखाने में एक एक ब्लूमिंग मिल लगा कर वहां अनेक प्रकार का उत्पादन शुरू करने का विचार है। यह कारखाना तिरुचिरापल्ली की सीमलेस टयूब परियोजना का फीडर यूनिट होगा। इस टयूब परियोजना को हाल में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है।

अन्य कार्यक्रम

10. बजट में जिन अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था की गई है, मैं अब उन का संक्षेप में वर्णन करुंगा।

11. शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और कालेज शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने पर उस के प्रसार पर जोर दिया जाता रहेगा। 1976-77 में राज्य की 375 पंचायत यूनियनों में से प्रत्येक में नान फर्मल शिक्षा के लिये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

12. जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में बैडों की संख्या बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के स्तर में सुधार करने, अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति का संवर्धन करने के लिये स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिये व्यवस्था की गई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 6.3 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। और हमारा विचार इसकी गति को और तेज करने का है।

13. विशेष रूप से कोढ़ की रोकथाम करने, उसका शुरू में ही पता लगाने और उस पर काबू पाने के उद्देश्य से स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थय परीक्षा की एक नई स्कीम चेंगलपट, उत्तरी आरकाट दक्षिणी आरकाट और सेलम के जिलों में शुरू की जायेगी जहां इस रोग का भारी प्रकोप रहा है।

14. कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का विस्तार किया जायेगा, जिस से सभी रजिस्टर्ड कारखाने और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल, और रेस्टोरेन्ट, दुकानें सिनेमा, थियेटर और मोटर परिवहन प्रतिष्ठान इस के अन्तर्गत आ जाएं। इस फैसले से 3 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को लाभ पहुंचेगा, जो पहले कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते थे।

15. हरिजनों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये 17.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हरिजनों के लिये मकान बनाने के स्थान प्राप्त करने के लिये चालू वर्ष में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह बीस-सूत्री कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण मद है इस लिये अब इस रकम को बढ़ा कर 1976-77 में 50 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक तमिलनाडू की जनजातियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और उन की विशेष समस्याओं का हल ढूंढने के लिये कोई सुनियोजित नीति नहीं थी। हमने एक जनजाति विकास प्राधिकरण को स्थापित करने का निश्चय किया है जिसे जन-जातियों के कल्याण के कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये पर्याप्त धनराशि और अधिकार मिले होंगे।

16. गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये 3.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिस में मद्रास शहर में बकिंघम नहर के किनारे की गन्दी बस्तियों की क्रमिक सफाई की व्यवस्था में की गई वृद्धि की 60 लाख रुपये की रकम शामिल है। इस के अलावा गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार के लिये 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

17. सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिये कुल 30.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत आठ पुल 1976-77 में बन कर तैयार हो जायेंगे। केन्द्र से प्राप्त सहायता से मद्रास शहर और उस के आस-पास सड़क और पुलों में सुधार करने के लिये और पैदल चलने वालों के लिये खास-खास चौराहों पर सब-वे बनाने के लिये काफी बड़ा कार्यक्रम शुरु किया गया है।

18. माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि मद्रास राज्य में भंयकर सूखा पड़ने के बाद पिछली गर्मियों में मद्रास शहर में पानी की भारी कमी पैदा हो गई थी। वारंगाम जल पूर्ति परियोजना को, जो सात साल पहले शुरु की गई थी, दुर्भाग्य से बड़ी गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस पुर्नविचार के आधार पर, हम इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त कदम उठायेंगे कि जल-पूर्ति के मामले में मद्रास शहर को जल्दी ही राहत प्रदान की जाये। एक नई और महत्वपूर्ण घटना हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा मद्रास में की गई यह घोषणा है कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मद्रास शहर की जलपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं के लिये कृष्णा नदी से 15 टी एम सी जल देने के लिये राजी है। बढ़ाये गये आयोजना परिव्यय में हमने इस परियोजना के संबंध में प्रारम्भिक जांच करने के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

वित्तीय स्थिति

19. अब मैं बजट के वित्तीय पहलुओं की ओर आता हूं। 1975-76 के बजट अनुमान में यह अनुमान किया गया था कि 30.12 करोड़ रुपए का कम राजस्व प्राप्त होगा और कुल मिला कर 20.57 करोड़ रुपए का घाटा होगा। संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत 7.76 करोड़ रुपए के कम राजस्व प्राप्त होने तथा कुल मिला कर 6.26 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान था। यह स्थिति स्वेच्छा से अपनी आय तथा सम्पत्ति प्रकट करने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य को राजस्व प्राप्त होने की वजह से सुधर गई।

20. अनुमान है कि 1976–77 में 575.63 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा व राजस्व खाते से 587.95 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस तरह राजस्व में 12.32 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 1976–77 में पूंजी खाते के व्यय की राशि बढ़ा कर 60.40 करोड़ रुपए की जा रही है। जबकि इसकी तुलना में 1975-76 के बजट में इस मद के लिए 41.76 करोड़ रुपया रखा गया था। राजस्व, पूंजी और उधार खातों के लेनदेनों के प्रभाव के कारण कुल मिला कर 9.98 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

अतिरिक्त साधनों का जुटाया जाना

21. एक ओर हमारे सामने समस्या यह है कि विकास कार्यों के परिव्यय में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है वहां दूसरी ओर यह कि तमिलनाडु में सभी स्रोतों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा चुका है। हम इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि परिहार्य तथा अनावश्यक आयोजना-भिन्न व्यय में यथासंभव कटौती की जाय। राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाने से राजकोषीय प्रशासन में अनुशासन आ गया है और हम आशा कर सकते हैं कि अधिक करों की तथा सरकार को मिलने वाली अन्य रकमों की वसूली पहले से ज्यादा होगी। हालांकि खर्च में किफायत करना और पहले की अपेक्षा अधिक रकमों की वसूली करना दोनों ही संभव हैं फिर भी इन उपायों के बावजूद कुछ अतिरिक्त साधन जुटाना जरूरी हो गया है।

22. इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित उपाय अपनाने का प्रस्ताव है :—

(i) तमिलनाडु की भूतपूर्व सरकार ने बस का किराया बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। बस का किराया बढ़ जाने के कारण बस चालकों को प्राप्त होने वाली अधिक रकम में से अतिरिक्त राजस्व के तौर पर थोड़ी सी रकम प्राप्त करने के लिए मुफस्सिल सेवाओं के संबंध में प्रत्येक तिमाही में प्रति सीट के हिसाब से मोटर वाहन कर को 180 रुपए से बढ़ा कर 225 रुपए तथा एक्सप्रेस सेवाओं के संबंध में 200 रुपए से बढ़ा कर 240 रुपए करने का प्रस्ताव है।

(ii) कर देने से बच निकलने वालों पर नियंत्रण रखने और विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से अतिरिक्त बिक्री कर के ढांचे में संशोधन करना आवश्यक है। इस समय 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक बिक्री पर अतिरिक्त बिक्री कर लगता है। यह सीमा अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में निर्धारित 50,000 रुपए की सीमा की तुलना में अधिक है। इसलिए 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक की कर योग्य वार्षिक बिक्री खंड पर 0.4 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक की बिक्री खंड पर 0.5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की बिक्री खंड पर 0.6 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपए से अधिक की बिक्री पर 0.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव है। यह अतिरिक्त बिक्री कर उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ेगा।

(iii) तमिलनाडु में 1963 से लेकर अब तक सिंचाई की दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में कुल मिला कर लगभग 10

करोड़ रुपए की हानि हो रही है। इस हानि के कुछ भाग को दो उपायों के जरिए पूरा करने का विचार है। पहला उपाय तो यह है कि जिन जमीनों में प्रथम श्रेणी के जल साधन का उपयोग किया जाता है उन पर प्रति एकड़ 12 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त जल उपकर तथा जिन जमीनों में दूसरी श्रेणी के जल साधन का उपयोग किया जाता है उन पर 10 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त जल उपकर लगाने का प्रस्ताव है। इन जल-साधनों पर साल भर में आठ से लेकर बारह महीनों तक सिंचाई के लिए निर्भर रहा जा सकता है। जो किसान अस्थायी जल साधनों जैसे तीसरी, चौथी और पांचवीं श्रेणी में बरसाती तालाबों से सिंचाई करते हैं उन्हें कोई अतिरिक्त रकम नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा उपाय यह है कि वाणिज्यिक फसलों पर शुल्क लगाने की जो प्रणाली पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनाई जाती है उसी के आधार पर यहां पर वाणिज्यिक फसलों पर शुल्क लगाने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह विशेष शुल्क अंगूर, गन्ना, केला, नारियल, पान और हल्दी के संबंध में 25 रुपए प्रति एकड़ और तम्बाकू, मिर्च, सिंचाई किए गए क्षेत्रों से कपास व मूंगफली की पैदावार पर 15 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगाया जाएगा। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस शुल्क की रकम वाणिज्यिक फसलों को पैदा करने वाले किसानों की आय के जो उन्हें इन फसलों से होती है, अनुपात में बहुत थोड़ी रकम बैठती है।

23. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन उपायों में से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसका बोझ समाज के कमजोर वर्गों या सामान्य उपभोक्ता को उठाना पड़े। तमिलनाडु में मौजूदा ढांचा ऐसा है कि अगर कर का भार कृषि और कृषि क्षेत्र दोनों समान रूप से उठाएं तो विकास के कार्यों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इन अतिरिक्त साधनों से धन जुटाते समय हमने राज्य में साधनों के आधार को और ऊंचा करने की जरूरत को भी ध्यान में रखा है जिससे इस बजट में विकास की गति में जो वृद्धि की गई है उसे आगे के वर्षों में भी बनाए रखा जा सके। मैं चाहता हूं कि सदन इसी पृष्ठभूमि में मेरे सुझावों पर विचार करे।

24. बीस-सूत्री कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कापियों और पेंसिलों को मौजूदा 4 प्रतिशत के मल्टीप्वायंट बिक्री कर से मुक्त कर देने का प्रस्ताव है। एक व्यापार को छोड़कर दूसरा व्यापार शुरू करने की प्रवृत्ति को रोकने और संकटग्रस्त यूनिटों को फिर से चालू करने के उद्देश्य से कुछ अन्य रियायतें देने का प्रस्ताव है। राज्य से बाहर बेचे जाने वाले सूती धागे पर बिक्री कर को 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दिया जाएगा। टार्च की बैटरियों पर बिक्री कर को 15 प्रतिशत से घटा कर 9 प्रतिशत कर दिया जाएगा। पैसेंजर कारों पर बिक्री कर को 15 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया जाएगा और इसके साथ ही राज्य से बाहर भेजी जाने वाली पैसेंजर कारों और लाइट डीजल वेहिकलों को केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाएगा।

25. मोटर गाड़ी कर और अतिरिक्त बिक्री कर में संशोधन पहली अप्रैल, 1976 से लागू होगा। पानी पर अतिरिक्त उपकर तथा वाणिज्यिक फसलों का विशेष शुल्क अगले राजस्व वर्ष से लगाया जाएगा जो तमिलनाडु में पहली जुलाई 1976 से आरम्भ होता है। यह रियायतें तत्काल लागू की जाएंगी।

26. अनुमान है कि कर संबंधी इन अतिरिक्त उपायों से कुल 10.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जो रियायतें दी जा रही हैं उनकी वजह से राजस्व में 1.5 करोड़ रुपए की हानि होगी। अतः इन प्रस्तावों के निबल प्रभाव के कारण पूरे वर्ष में 9 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और इस तरह राजस्व का घाटा कम हो कर 3.32 करोड़ रुपया रह जाएगा और कुल मिला कर 0.98 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। इस थोड़े से घाटे को खर्च में कमी कर तथा करों की अधिक से अधिक वसूली कर पूरा किया जाएगा।

27. मुझे इस बात से सन्तोष है कि मैं 14 वर्ष के बाद आज तमिलनाडु का जो बजट पेश कर रहा हूं उसमें राज्य की आयोजना के लिए नियत राशि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तमिलनाडु अभी पीछे पड़ गया है वह निश्चित रूप से बीस-सूत्री कार्यक्रम के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सब से आगे रहेगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है और मैं समझता हूं कि यह क्षम्य भी है कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी सम्पत्ति है--उसके मेधावी और अथक परिश्रम करने वाले लोग। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्र के जीवन की प्रमुख धारा में तमिलनाडु के मिल जाने से वहां के लोग आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति करने के कार्य को आवश्यक समझ कर तथा उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसे पूरा करने के लिए फिर से जी जान से जुट जायेंगे।

28. इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु राज्य के 1976-77 के बजट अनुमानों का अनुमोदन करने की कृपा करे।

बजट (सामान्य), 1976-77--सामान्य चर्चा--जारी
BUDGET (GENERAL), 1976-77—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री पी० के० देव (कलाहांडी) : इस बजट का अवलोकन करने के पश्चात् मुझ पर पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि यह वास्तविक तथा विकासोन्मुख बजट है। इसमें अधिक योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है और कृषि को अधिक प्राथमिकता दी गई है जिसमें जनसाधारण में सुखद भविष्य का आशा जागृत हुई है। किन्तु साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारी अर्थ व्यवस्था भी अभी दबी हुई है। सरकार को इस सम्बन्ध में आत्म सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये। वित्तीय अनुशासन का कठोरता से पालन करना चाहिये। इस बजट में वित्त मंत्री ने 320 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है। शायद वित्त मंत्री ने केवल राजकोष के बीजकों को ही ध्यान में रखा और दीर्घावधि सरकारी ऋणों को ध्यान में नहीं रखा। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाये तो घाटे की यह राशि बहुत अधिक होगी।

हमें मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियो की आशंका है इन प्रवृत्तियों को केवल तभी रोका जा सकता है यदि हमारी अर्थव्यवस्था मूल्यों पर बिना किसी तरह का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव डाले आशानुकूल प्रगति दर बनाए रखे। हम गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बढ़िया कार्यकरण चाहते हैं ताकि अधिकाधिक सम्पत्ति अर्जित की जा सके।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है देश की 70 प्रतिशत जनता कृषि कार्य में लगी है। राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की देन है। जहां तक संसाधनों के आवंटन का प्रश्न है 65 प्रतिशत सरकारी उपक्रमों को 35 प्रतिशत कृषि और उद्योग को आवंटित किया जाता है। जब तक किसानों की दशा में सुधार नहीं किया जाता तब तक समूची अर्थव्यवस्था आगे

नहीं बढ़ सकती। यदि हम खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेते हैं तब भी हमें सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। हम खाद्यान्नों के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र को कुछ रियायतें दी गई हैं। उर्वरकों के मूल्यों में कुछ कमी की गई है। लेकिन किसान अभी भी उर्वरक खरीदने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनके दाम अभी भी बहुत अधिक हैं।

कृषकों को उनके उत्पादन के लिये समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है वहां किसानों को अपना उत्पाद वसूली मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है क्योंकि वह अपने स्टाक को जमा करके नहीं रख सकते। सरकार के चहेते लोग भी धान ो वसूली मूल्य पर नहीं उठा रहे। लाइसेंस परमिट कोटा प्रणाली से यह कृतिम स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अतः सरकार को जिला और राज्य सम्बन्धी सभी प्रकार के नियंत्रण हटा देने चाहिये। पूर्ति और मांग के स्वाभाविक नियम द्वारा खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित होने दिया जाये।

भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का स्वागत है। इस सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करनी ही है। अधिकतम सीमा हमेशा के लिए एक बार निर्धारित कर ली जानी चाहिए ताकि कृषकों को पता लग जाये कि उनकी स्थिति क्या है ताकि वह अपनी भूमि को सुधारने के लिए जी-जान से मेहनत कर सकें और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें।

जहां तक ऋण का सम्बन्ध है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के होते हुए भी कृषकों को ऋण के लिए महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारों द्वारा पारित सभी प्रकार के विधान केवल कागज़ी कार्यवाही के रूप में बनकर रह गये हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने का प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में आदिवासी और पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें ऋण और कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में गांवों और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निदेश जारी करे कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को निपटाने के लिए व्यवस्था करें।

बड़े उद्योगों की स्थापना मात्र से जनसाधारण की समस्या हल नहीं होती। अध्यक्ष महोदय आप बिहार क्षेत्र के हैं, छोटा नागपुर में सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उस क्षेत्र में काफ़ी उद्योग है लेकिन वहां जनसाधारण की स्थिति क्या है। इसी प्रकार उड़ीसा में सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उन क्षेत्रों तक पहुंच नहीं है। राज्य सरकार उन क्षेत्रों का विकास नहीं कर रही इसीलिए वहां के लोग पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें और अन्य संचार साधनों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना परिव्यय पर काफ़ी बल दिया गया है और इस राशि का उपयोग सिंचाई, बिजली, पैट्रोलियम, उर्वरक, इस्पात और कोयले इत्यादि पर किया जायेगा।

हमें अपने अतीत के अनुभव से पता चला है कि यदि अधिक वित्तीय परिव्यय किया जाये तो उससे अधिक प्राप्ति की जा सकती है और निवेश किये गये धन के बदले में पर्याप्त लाभ मिल सकता है। इसके लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और इसके लिए कुशल प्रशासनिक तंत्र भी अपेक्षित है। साथ ही विद्युत् परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इनसे देश के विकास में प्रचुर मात्रा में शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए उड़ीसा की इन्द्रावती परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाखड़ा या दामोदर घाटी निगम की तरह इसे केन्द्रीय परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो विश्व बैंक से धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यह परियोजना यथासंभव शीघ्र पूरी की जा सके।

वित्त मंत्री महोदय ने स्वेच्छया प्रकटन योजना की सफ़लता पर संतोष व्यक्त किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 करोड़ रुपया निकालने में सफ़ल रही है। किन्तु यह तो काले धन का एक छोटा सा अंश है। वांचू समिति ने सुझाव दिया है कि देश में काले धन की राशि 4 हजार से 6 हजार करोड़ रुपये तक है जोकिं एक समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। यह सारा धन राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है टेलिविजन, कार, जीप, फ्रिज इत्यादि टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोग खुश होंगे। सिले सिलाए वस्त्रों पर से उत्पादन शुल्क कम करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ेगा और इनका निर्यात भी बढेगा लेकिन पेटेंट औषधियों पर बढ़ाये गये उत्पादन शुल्क का मैं कड़ा विरोध करता हूं। देश में चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। वे लोग केवल पेटेंट औषधियों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादन शुल्क में की गई इस वृद्धि से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वित्त मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

समग्रत: यह एक अच्छा बजट है और मैं आशा करता हूं कि आगामी बजट भी इसी प्रकार के होंगे ताकि यह बजट चुनाव लक्षित बजट न प्रतीत हो।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : यह वास्तविक बजट है और देश की वर्तमान स्थिति में ऐसे ही बजट की अपेक्षा थी। जब देश में मंदी चल रही हो कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी हो रही हो तो ऐसे समय में देश को ऐसा बजट चाहिए जिसमें अधिकाधिक निवेश किया गया हो, कम से कम कर लगाये गये हों और कम से कम घाटा दिखाया गया हो। इससे आर्थिक प्रगति, बचत और उद्योगों तथा कृषि में अधिक निवेश संभव हो सकेगा।

प्रतिपक्षी दल के लोग ऐसे बजट की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कराधान उत्पादन शुल्कों इत्यादि की आलोचना की है। कुछ उद्योगों में उत्पादन शुल्क को घटाने का उद्देश्य केवल मध्यम वर्ग को ही सहायता पहुंचाना नहीं अपितु उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा भी करना है।

कृषि सिंचाई और विद्युत् पर योजना निवेश न्यायिक ढंग से वितरित किया गया है। यहां तक कि समाज कल्याण जैसे उद्देश्यों पर भी, जिनकी गत कुछ वर्षों से उपेक्षा की गई है, समुचित ध्यान दिया गया है। अतः यह एक सुनियोजित बजट है।

देश में किसानों की दशा बहुत शोचनीय है। किसान देश का आधार है। हमारी 60-70 प्रतिशत जनसंख्या खेती के कार्य में रत है और वह लोग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पत्ति अर्जित करते हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है।

मैं समझता था कि श्री सुब्रह्मण्यम को किसानों और कृषि का बहुत अनुभव है और इस कारण वे बजट में किसानों का ध्यान रखेंगे पर ऐसा नहीं हुआ है। कृषि उपज बहुत ही अनिश्चित होती है। कृषि का चक्र ऐसा रहता है कि 5 वर्ष में केवल एक वर्ष अच्छी फ़सल होती है और बाकी वर्षों में साधारण या खराब। आज यह स्थिति है कि किसानों के पास पैसा नहीं है क्योंकि उनकी उपज का मूल्य बहुत गिर गया है। योजना आयोग आरम्भ से ही राज्यों को यह सलाह देता आया है कि ग्रामीण क्षेत्र पर कर लगाया जाये। उनका ख्याल है कि वहां बहुत धनी लोग रहते हैं और उनसे कर लिया जाना चाहिए। कुछ समय पहले ऐसी स्थिति थी। भूमि सुधार अधिनियम के बाद ऐसी स्थिति नहीं रही है तथा वे लोग अब शहरों को चले गये हैं।

मेरे राज्य कर्नाटक में बिजली का सरचार्ज बढा दिया गया है तथा पानी की दर दुगुनी कर दी गई। आज से दस साल पहले श्री निर्जलिंगप्पा के जमाने में जल-कर सम्बन्धी एक कानून पास किया गया था। इतने दिनों तक तो उसकी वसूली नहीं हुई पर अब आपात स्थिति का लाभ उठा कर वह सब बकाया कर वसूल किया जा रहा है और कोई उसका विरोध नहीं कर सकता।

वित्त मंत्री ने उर्वरकों के मूल्य कुछ घटाये हैं पर यह घटोतरी पर्याप्त नहीं है। आज भी यह तीन वर्ष पहले के मूल्य से अधिक है।

कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है, कृषि उत्पाद पर कर लगा दिया गया है, बिजली की दरें घटा दी गई हैं तथा किसान को अपनी उपज का आधा मूल्य भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में वह अधिक उत्पादन कैसे कर सकता है? कृषि उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। यदि किसानों की उचित मदद नहीं की जाती तो देश बर्बाद हो जायेगा और सब ओर संकट के बादल छा जायेंगे। अतः देश को इस संकट से बचाने के लिए किसानों को राहत दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : इस बजट से समूचा राष्ट्र खुश है इसके लिए लोग वित्त मंत्री को बधाई दे रहे हैं। यहां तक कि एफ़० आई० सी० सी० आई० के प्रेजीडेंट से लेकर कार्मिक संघों के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है।

आज देश में बड़ी संख्या में रुग्ण मिलें हैं और उनके मालिक सरकार से कई प्रकार की रियायतें मांग रहे हैं। देश में एक धारणा है कि प्रबंधकों के कारण ही उद्योग रुग्ण होता है अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी उद्योग रुग्ण न रहे।

प्रायः किसी भी उद्योग की रुग्णता का कारण यह होता है कि उसकी प्रबंध व्यवस्था में क्षमता की कमी होती है। वित्तीय सहायता के उपबंधों के साथ-साथ सरकारी वित्तीय संस्थाओं को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे कि कम्पनी की प्रबंध व्यवस्था में सुधार हो। इन उद्योगों के प्रबंध बोर्ड में वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को किसी भी उद्योग के रुग्ण हो जाने के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योगों में शिथिलता आ रही है। किसान इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। इस वर्ष उन्हें गत वर्ष की तुलना में प्रति क्विटल एक रुपया कम मिल रहा है। जब साधनों की कीमतों में वृद्धि हो गयी है तो फिर मुझे इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता कि गन्ने के मूल्य नें कमी क्यों की गई है।

श्री कृष्णप्पा ने कहा है कि उर्वरक का मूल्य घटा कर 1500 रु० प्रति मी० टन किया जाये जिससे किसान को यूरिया कम मूल्य पर मिल सके।

जहां तक कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रबंध है, इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई जायें। इस समय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का केवल 9 प्रतिशत ही कृषि क्षत्र को दिया जाता है। यह बात ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है यह राशि बहुत ही कम है।

ग्रामीण क्षेत्र में वणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं देने के मामले में एक बाधा यह है कि उन्होंने दूरी सीमा निर्धारित कर रखी है। यह दूरी सीमा बैंक के मुख्यालयों से 8 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दूरी सीमा समाप्त की जानी चाहिए। श्री टी० ए० पाई वित्त मंत्रालय से इस के लिए आग्रह करने को सभा में राजी हों गये थे। बिहार में खुदरा व्यापार के लिए 10,000 लाइसेंस दिए गये परन्तु ऋण सुविधा के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सका है तथा वे लोग ऋण के लिए जगह-जगह मारे-मारे फिर रहे हैं।

निर्यात के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय ने जो सराहनीय काम किया है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। कई उद्योगों को रियायत देकर वित्त मंत्री ने अच्छा किया है। उन्हें निर्यात प्रधान उद्योगों को रियायतें और विकास छूट देने पर विचार करना चाहिए। सरकार को बहुराष्ट्रीय निगमों को 40 प्रतिशत निर्यात करने को बाध्य किया जाये।

बजट में ग्रामीण विकास हेतु केवल 150 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि बहुत कम है मंत्री महोदय इसे बढ़ाकर कम से कम 250 करोड़ रुपये कर दें।

बिजली उत्पादन की महत्ता पर ठीक ही बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में बिहार की आवश्यकताओं को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य में एक सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना की जानी चाहिए। इस बारे में कई बार आश्वासन दिया जा चुका है। भागमती परियोजना अभी निर्माणाधीन है। एक अंतिम तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए जब तक यह परियोजना पूरी कर दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा है कि आपात स्थिति और नए आर्थिक कार्यक्रम से देश के आर्थिक वातावरण में रचनात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

प्रतिक्रियावादी शक्तियां अभी भी सक्रिय हैं उनसे उन्हें सतर्क रहना चाहिए । यद्यपि उन्हें धक्का अवश्य पहुंचा है पर वे समाप्त नहीं हुई हैं। समाज के धनी वर्ग को दी गई विभिन्न रियायतों का उपयोग सरकार के लक्ष्यों को निष्फल करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना करना है। आशा है कि इस सम्बन्ध में सतर्कता बरती जायेगी।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुपत्ती) : मैं वित्त मंत्री को उनके बजट के लिए बधाई देता हूं। इस बजट ने देश की अर्थ-व्यवस्था को नया मोड़ दिया है। इससे सबको ला पहुंचा है, किसी पर कोई भार नहीं पड़ा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वित्त मंत्री ने इस बार किसी पर भी कर न लगा कर की भूमिका निभाई है। यह सब उस गतिशील नेतृत्व का परिणाम है जो आजकल देश को मिल रहा है। सदन में सब ओर से, साम्यवादी मार्क्सवादी को छोड़कर, बजट को सराहा गया है। अब तक करदाता पर हमेशा शक किया जाता था और उसे अपराधी माना जाता था। इस बार वह भावना समाप्त हो गई है और विश्वास की भावना जागी है। परन्तु वित्त मंत्री इस विश्वास के तोड़ जाने के खतरे से भी अनभिज्ञ नहीं हैं और उस दिशा में भी सतर्कता बरती जाएगी।

कर की दर कम किये जाने के पिछले वर्ष अच्छे परिणाम निकले हैं। स्वेच्छया प्रकटन योजना की खिल्ली उड़ाई गई पर उससे 1500 करोड़ रुपया प्रकाश में आया जो आशातीत है। इसका अर्थ हुआ कर कम करने पर लोग धन छिपाते नहीं वरन् ईमानदारी से उसका भुगतान करते हैं और इस प्रकार देश को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

यह कहना सही नहीं कि इस बजट से केवल धनी वर्ग को लाभ हुआ है। मध्यम वर्ग और ग्रामीण जनता को भी इससे लाभ पहुंचेगा।

पहली बार देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के प्रति आस्था प्रकट हुई है। अब तक दोनो में खींचातानी चलती रहती थी। अब दोनो ही समझने लगे हैं कि एक को दूसरे की आवश्यकता है।

देश में योजनाबद्ध रूप से कार्य हुआ है। पहले हमारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं थीं बाद में तीन वार्षिक योजनायें चलीं फिर चौथी योजना क्रियान्वित की गई। पांचवीं योजना को दो वर्ष पूर्व लागू किया जाना था, लेकिन वास्तव में यह दो

योजनाएं भी वार्षिक योजनाओं के समान ही थीं। यह पांचवीं योजना का अंग नहीं थी क्योंकि पांचवीं योजना को अभी सदन से स्वीकृति लेनी है। वित्त मंत्री 1976–77 के आशावान वर्ष को नई पांचवीं योजना का प्रथम वर्ष घोषित करें और योजना क्रिया जनहित के लिए प्रारम्भ की जाए।

परिवार नियोजन पर राज्य सरकारों ने बड़ी मात्रा में धन व्यय किया है और इस दिशा में बड़ा काम हो रहा है परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। परिवार नियोजन के आड़े एक बड़ी बात यह आती है कि जनसंख्या घटने पर उस राज्य की लोक सभा की सीटों को कम कर दिया जाता है। तमिलनाडु के साथ ऐसा ही हुआ है। अतः सरकार ऐसी नीति निर्धारित करे जिससे परिवार नियोजन में सक्रिय सहयोग देने पर लोगों का अहित न हो।

कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। एक तो यह कि हमारे कर्मचारी अब काफी प्रबुद्ध हैं तथा उनके नेता उनमें से ही होने चाहिए बाहर से नहीं। दूसरी बात यह कि कर्मचारियों का विभागीय स्तर पर ही सहयोग न लिया जाए वरन् उन्हें कम्पनी का अंशधारी भी बनाया जाये। ऐसा करने पर उन्हें सही मायने में प्रबन्ध में सहयोगी बनाया जा सकता है।

Prof. Sher Singh (Jhajjar) : The budget presented by the Finance Minister is a richman's budget. It cannot be said labourer's budget.

In the name of emergency farmer's have been taxed, without even giving any notice water charges and diesel rates have been raised. A 10 per cent decrease in the prices of fertiliser is simply an eye wash.

The prices of the agricultural inputs are increasing but those of his prcduce are decreasing.

It is also not correct to say that prices have not increased. The prices of fuel have increased by 14·9 per cent, of transport by 10·8 per cent and of chemicals by 12 per cent.

This budget is a rich man's budget the prices of the inputs being produced by capitalists are going up. But the prices of agricultural products are going down. During the last one year there has been considerable fall in the prices of foodgrains. In the case of cotton the fall in price was so steep that the farmer was compelled to think whether he should produce cotton at all. The cotton corporation also did not buy the adequate quantity of cotton and the government also instead of buying cotton from our own farmers bought cotton worth Rs. 25 crores from Pakistan. I don't have any objection to it but Pakistan should also reciprocate in the same manner. It buys iron ore from other countries whereas we have got iron ore in abundance.

As regard prices, while there has been a marked decline in the case of wholesale prices, it is not so in the case of retail prices. Even the Economic survey has stated that the decline is consumer prices have been less pronounced than in whole sale prices.

The Government has issued an order that the shopkeepers should display the prices on the packages. Does it mean that the shopkeeper can display any prices ? Have the government ever tried to find out as so what is the wholesale price and what is retail price charged by the shopkeepers.

As regards planning these days we are having a plan holiday. Two Annual Plans have been completed after the Fourth Plan but the Fifth Plan has not yet seen the eight of the day. Even in these two annual Plans the performance of the government has been far from satisfactory. Our objective was to achieve the target of 5½ per cent in the production in each plan but we were only able to achieve 2 per cent rise in production in the year 1974-75. Due to favourable monsoon the agricultural production has gone up. It is hoped that the pro-

duction will be about 11·4 crore tonnes. Actually this much production should have been obtained in the year 1974-75. Let us hope that the rains, this year also come in time and we don't have any difficulty.

These days much is being said about the 20-point Programme. It has become a habit with this Government to come forward with New Schemes without any care for the completiȯn of the previous ones. In the past we had the crash programme for rural employment, the scheme for intensive rural employment and the minimum needs programme. But all these programmes have been thrown to the winds and now we are faced with the New 20 Point Programme. How long can we go with such ad hoc schemes ? It is high time thus we have an integrated scheme.

The Finance Minister has circulated a scheme for the integrated development of farmers and villages and we deserves congratulations for it. But this scheme has not found any place in this budget.

Unemployment is growing day by day in rural areas. We have to provide employment to Fifteen crore people of rural areas. We talk of eliminating the poverty but nothing is being said in regard to removal of unemployment. How are we going to raise the consumption level of the poor how is the government going to provide jobs to the people who are either under employed or disguised unemployed. I would like the hon. Minister to throw some light on these matters.

Shri Natwar Lal Patel (Mehsana) : The Finance Minister deserves congratulations for persenting a progressive budget. Generally the prices used to rise or fall before the presentation of the budget but this year nothing of the sort happened. None was shocked to hear the budget proposals. Almost all sections of the society will be benefited to some extent by the present budget proposals. It is quite appropriate that an incentive or some relief is given to the industries with a view to combat the recession. But at the same time agriculture should also be run as an industry. No relief has been given in this budget to the small farmer the prices of fertilisers have no doubt gone down but the decline of Rs. 100 per ton in the case of urea will not much help the farmers.

I would like to give a suggestion in regard to equalisation fund scheme. This scheme is still inforce. Under this scheme the government obtains Urea at Rs. 265/- per ton. This scheme was started at a time when we used to import fertilisers. It has now been decided not to import fertilisers and now when we are not importing fertilisers here is no use of continuing this fun. Government should allow more relief for Urea. The Finance Minister should take an early action in this regard.

I would also like to submit, as the prices of agricultural produce have considerably declined it has become very essential to give price support to them. A definite policy should be evolved in this regard and the responsibility should not be shifted to the state Governments. In view of the present conditions a definite policy should be evolved to see that the prices of agricultural produce do not go down below a certain level.

In the present budget, those who should have been given greater relief have been given lesser relief whereas the affluent sections of the society have been given more concessions. People in upper slabs of income have been given greater relief in income tax whereas those in lowest income brackets have been given only as nominal reduction in income tax.

डा० **कैलास** (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय मैं वित्त मंत्री को एक बहुत संतुलित बजट पेश करने पर बधाई देता हूं । बजट का समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है । इस बजट ने निश्चय ही हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलु को प्रोत्साहन दिया है ।

मुद्रा स्फीति अब अतीत की बात बन कर रह गई है मंत्री महोदय अब कुछ क्षेत्रों से मंदी दूर करने पर तुले हैं । वह इसके द्वारा अर्थव्यवस्था का निर्माण करके श्रमिकों को मंदी के कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाना चाहते हैं ।

देश में कम से कम 5.5 प्रतिशत की विकास दर संबंधी आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं उचित रूप से ही निर्धारित की गई हैं देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु

न केवल अधिक गैर-सरकारी उद्योगों की स्थापना की गई है अपितु सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का भी विस्तार किया गया है ताकि अधिक लोगों को उसमें खपाया जा सके ।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है । इसे वर्षा की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा बिजली उत्पादन के लिए धन आवंटित किया गया है । आशा की जाती है कि इससे न केवल कृषि उत्पादन को अपितु औद्योगिक उत्पादन को भी लाभ होगा ।

माननीय सदस्य प्रो० शेर सिंह ने पाकिस्तान से कपास आयात करने के संबंध में कहा है । हमारे देश में लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित नहीं है । हमारी कपड़ा मिलों, हथकरघे और विद्युत करघे को जितनी कपास की आवश्यकता होती है उतनी कपास देश में नहीं होती इसलिए हम लम्बे रेशे वाली कपास का आयात करते हैं । पाकिस्तान से आयात करने का कारण यह है कि पड़ौसी देश होने के नाते हमें वहां से कपास यहां तक लाने में परिवहन का खर्चा अधिक नहीं उठाना पड़ता । इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है ।

यह ठीक ही कहा गया है कि थोक बाजार के भावों में स्थिरता आई है, लेकिन उनका प्रभाव खुदरा मूल्यों पर लक्षित नहीं होता । वित्त मंत्री ने अब तक ऐसी वितरण प्रणाली बनाई है जिसमें कि खुदरा भावों पर भी थोक भावों के अनुरूप प्रभाव पड़ेगा ।

निर्यात की अधिकता और आयात में कमी देश के लिए हितकर होती है । सिले सिलाए वस्त्रों पर से शुल्क हटा कर उचित कदम उठाया गया है ।

मेरा सुझाव है कि हमें कोयले और इस्पात, जिसका उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से अधिक हो रहा है, पर से भी शुल्क कम करना चाहिए । हमें इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात से भी अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए जहां तक प्रत्यक्ष कराधान का सम्बन्ध है । मैं यह महसूस करता हूं कि निगमित क्षेत्र में कर बहुत वैज्ञानिक ढंग से लगाए गए हैं और मुझे विश्वास है कि जो व्यापारी लेखों में हेराफ़ेरी करके काला धन बनाने की कोशिश करते थे अब सही रास्ते पर आजाएंगे ।

मध्यवर्ग को कुछ अधिक राहत दी जानी चहिए थी । आयकर छूट की सीमा 8000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपया की जाए । इस छूट से उन्हें अधिक राजस्व की हानि नहीं होगी लेकिन मध्यवर्ग के लोगों को बहुत राहत प्राप्त होगी ।

हिन्दु अविभक्त परिवार के नाम पर मिलने वाली राहतों का दुरुपयोग किया जाता था । मंत्री महोदय ने कर लगाकर इस भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में सही कदम उठाया है ।

जो मंत्रालय विभिन्न सरकारी उपक्रमों का नियंत्रण करते हैं, और उनके खर्चों पर निगाह रखते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने हेतु एक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए । देश में रेलवे, डाक तार विभाग दो बड़े सरकारी उपक्रम हैं । उनका समाज के प्रति कुछ दायित्व है कुछ कर्त्तव्य है, यह दुख की बात है कि बजट से एक दम पहले डाक दरों में विशेषकर मनीआर्डरों की दरों में वृद्धि की गई है । इसका श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है । क्योंकि श्रमिक वर्ग ही घर गांव से दूर रहकर शहरों में काम करता है । वे लोग ही अपने घरों को मनीआर्डर भेजते हैं । धनी-वर्गों द्वारा कम ही मनीआर्डर भेजे जाते हैं ।

'जल' शीर्षक के अन्तर्गत दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले जल के लिए केवल 1.28 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो कि कम है । दिल्ली की बढती हुई आबादी को देखते हुए इस राशि में वृद्धि की जाए । जहां तक पेटेंट दवाइयों का संबंध है सरकारी अस्पतालों को इसके लिए कुछ धन दिया जाए ताकि अस्पताल गरीब लोगों को यह दवाइयां बजट के पहले मूल्य पर बेच सकें । धनी लोग यह दवाइयां किसी भी मूल्य पर और कहीं से भी मंगवा सकते हैं ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को यह बजट पेश करने पर बधाई देती हूं । सभी लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है । इस बजट का श्रेय मैं प्रधान मंत्री को भी देती हूं उन्होंने आपातस्थिति की घोषणा करके तथा 'आंसुका' इत्यादि उपायों को अपनाकर सही समय पर सही कदम उठाकर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई है और तभी इस प्रकार का बजट पेश करना संभव हुआ है ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में कमी हुई है और सम्पत्ति कर में संशोधन करने से विदेशों में बसे भारतीय देश में पूंजी विनियोजन करने के लिए आकर्षित होंगे । सरकार को इस संबंध में पर्याप्त प्रचार करना चाहिए ताकि विदेशों में बसे भारतीयों को इसका पता चल जाए । यह कहना सही नहीं है कि यह बजट केवल सेठों का बजट है गरीबों का बजट नहीं है । इस बजट में किसानों को काफ़ी राहत दी गई है । उर्वरकों के मूल्य कम हो गए । फ़ास्फ़ेट की कीमतें कम की गई हैं जिन लोगों के पास 80 वर्ग गज का घर है उन्हें पांच वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा । फ़िर अल्यूमीनियम, संश्लिष्ट पदार्थों, प्लासटिक टायरों और ट्यूबों की कीमतों में कमी की गई है ।

आवश्यक पदार्थों में कमी के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है । अनिवार्य जमा योजना को एक वर्ष के लिए और बढाया गया है । यदि यह राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त हो सके तो बेहतर है । मुझे आशा थी कि इस बजट में शायद पैट्रोल के मूल्य में कमी की जाएगी जिसके फ़लस्वरूप टैक्सी और आटोरिक्शा तक एक आम आदमी की पहुंच हो सकेगी ।

आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर निर्भर करती है । उत्पादकों को यदि उत्पाद का उचित वसूली मूल्य नहीं दिया जाएगा तो वह कभी अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे । यदि अतिरिक्त उत्पादन सरकार द्वारा नहीं खरीदा जाएगा तो इससे उत्पादकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

वित्त मंत्री ने समेकित ग्रामीण विकास हेतु एक योजना चालू की है । यदि हम बड़े कारखानों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े कारखाने से संबद्ध छोटे कारखानों की स्थापना करें तो इससे ग्रामीण युवकों को रोजगार देने में सहायता मिलेगी । ग्रामीण युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और बजट में इस बात के लिए व्यवस्था की जाए ।

इस प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है । प्राथमिक मध्यम और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का उचित ध्यान नहीं रखा जाता । ये शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, उन्हें राहत दी जानी चाहिए । शिक्षा मंत्रालय को उनका उचित ध्यान रखना चाहिए ।

होम्योपेथी दवाइयों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाए तथा गरीब मरीजों को आवश्यक जीवन रक्षा दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं । मैं इस बजट का समर्थन करती हूं ।

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : The budget proposals of the current year have been widely welcomed by all sections of the society and the Finance Minister deserves congratu-

lations for presenting such a balanced budget. In the recent past due to political agitations there had been a lot of disturbances in the country. There was scarcity of consumer goods and there was instability in the prices.

This budget is based on the principles of mixed economy, and it is correct that through this budget we have not been able to improve the lot of the poor to a great extent who are leading life below the poverty line. Every mixed economy has got its own problems and those cannot be eliminated within a year or two.

There is world wide inflation and it is creditable achievement that one government has been able to contain it to a large extent. It is said that the prices of agricultural commodities has declined. My submission is this that no excise duty is imposed on the articles produced by the farmers whereas tariff and excise duty is imposed on the industrial goods. It, ultimately affects the consumers. We should try to bring equality in the prices of the goods manufactured in industries and the agricultural products.

Farmers are the back bone of the country, their number is largest in the country. The farmers should be paid adequately for their produce. But at the same time we should keep in our mind that when there is shortage of foodgrains in the country, the big landlords and farmers exploit the situation and they sell their produce like wheat and rice at three fold price.

The working of Food Corporation of India is not satisfactory and their agents in collusion with local traders exploit the poor small farmers. It is, there fore, desirable that shops for purchasing wheat be opened right now and wheat be purchased from the farmers giving them the support price for it.

Government have not been doing any thing for the development of backward regions. They should make a rule that licences for opening new factories would be granted only to those enterpreneurs who agree to start their factories in economically backward areas. It is therefore essential that industries are started in villages and employment opportunities are provided for the rural youths.

The prices of consumer goods should be fixed statutorily and efforts should be made to see that those goods are sold at the fixed prices. The prices of medicines should be drastically reduced. Government should give grant or subsidy for that purpose so that medicines could be available to the poor people.

The present emergency has contributed a lot in bringing about the economic stability in the country and so it must be continued with a view to checking the smuggling and tax evasion.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यह बजट इस ढंग से तैयार किया गया है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इसका समर्थन करेगा। इस बजट के प्रत्येक प्रस्ताव का कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य है। इनका उद्देश्य आर्थिक तथा देश की विकास गति को बढ़ाना है।

इस बजट के प्रस्तावों के पांच उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य वांचू आयोग के सिद्धान्तों के आधार पर करढांचे का युक्तियुक्तकरण करना है। अब प्रस्तावित करों की दरें वांचू आयोग द्वारा सुझाये गये स्तरों पर निर्धारित किये गये हैं। इसका पालन किया जाना चाहिये। सरकार ने अनिवार्य बीमा योजना को चालू रखने तथा ब्याज की दरों को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किये हैं। विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार को संसाधन उपलब्ध करने हेतु ही वांचू समिति ने यह प्रस्ताव पेश किया था। किन्तु अब सरकार राशि के निवेश को प्रोत्साहन नहीं देती है।

अब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरतती है कि यह राशि निवेश की छूट तभी उलब्ध की जाएगी यदि इसे नई मशीनों और संयंत्रों के लिये उपयोग में लाया जाए। दूसरा प्रस्ताव यहहैकि धनराशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में ही जमा करायी जानी चाहिये। और जितनी राशि इन बैंकों में जमा कराई जाएगी उस पर अधिभार से छूट दी जाएगी। यह

कदम भी सोद्देश्यपूर्ण हैं। इसके द्वारा अतिरिक्त धन का निवेश किया जाएगा। हमारी नीति है कि अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाये किन्तु यह सुनिश्चत किया जाना चाहिये कि इस प्रोत्साहन का उपयोग वास्तविक रूप से देश के विकास के लिये किया जाये। वांचू समिति ने एक प्रस्ताव यह किया है कि एक राष्ट्रीय विकास निधि की स्थापना की जाये। दूसरा प्रस्ताव यह किया कि पुनर्निर्माण तथा स्थिरीकरण आरक्षित निधि की स्थापना की जाये। सरकार राशि निवेश निधि बनाने और इसमें राशि जमा कराने हेतु कर दाता को प्रोत्साहन देने तथा इस निधि में जमा किये जाने वाले धन पर करदाता को छूट देने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं। इसके लिए सरकार को संसथान उपलब्ध हो जायेंगे और करदाता अथवा उद्यमी को कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरा भवन निर्माण सम्बन्धी है। अतीत में कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये केवल 10,000 रुपये दिये जाते थे। वांचू समिति ने जोरदार सिफारिश की कि धनकर का अनुमान लगाते समय अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये उन्हें कुछ छूट दी जानी चाहिये। सन्तोष की बात है कि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त आवास बोर्डों को चन्दा देने में छूट दी गई है।

अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। यदि किसी विशेष सीमा से अधिक उत्पादन किया गया हो तो उसमें कुछ प्रतिशत तक उत्पादन शुल्क में छूट दी जा सकती है। इस सिद्धान्त को प्रयोगात्मक उपाय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

अनिवार्य जमा को एक वर्ष के लिये चालू रखने में मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। यह प्रस्ताव बिल्कुल अनैतिक है और तत्सम्बन्धी तर्क भी समझ से बाहर है। सरकार कर्मचारियों की आय में से कटौती करके अपने वचनों से मुख मोड़ रही है। यदि जीवन निर्वाह सूचकांक कम हो गया है तो फिर इस कटौती को जारी रखना व्यर्थ है। सरकार को इस जमा राशि को वापस कर देना चाहिये और अब आगे किसी तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिये और न ही जमा राशि को भविष्य निधि में डालना चाहिये। क्योंकि इस पर केवल 9 प्रतिशत ब्याज मिलता है जब कि उस पर साढ़े ग्यारह प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।

भविष्य निधि का यह सिद्धान्त है कि मालिक को भी समान रूप से अंशदान करना होता है। किन्तु मालिक से समान अंशदान लेकर कर्मचारियों का धन भविष्य निधि में डाला जा रहा है। कर्मचारी तो अंशदान करने के लिये तैयार हैं, किन्तु इसके लिये उसे कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अतः साढ़े आठ प्रतिशत की दर से अंशदान की वर्तमान दर स्थायी रूप से बढ़ा कर दस प्रतिशत की जाये। किन्तु मालिक को भी इतना ही अंशदान करना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : एक ओर सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है जो कि महंगाई भत्ते के रूप में उन्हें देय है। महंगाई भत्ते की यह राशि लगभग 700-800 करोड़ रुपये हो गई है। दूसरी ओर उसने अधिकतम आयवर्ग में कर भार 77 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया है। यदि सरकार नकद छूट न देती और इसे एकत्र करके इसे बचा कर रखती तो वह 476 करोड़ रुपये से भी अधिक वसूल कर लेती और सारा घाटा पूर हो जाता। (व्यवधान)

जहां तक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, लगभग 18 सूत्री कार्यक्रम तो राज्य के क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय योजना बजट 3154 करोड़ रुपये से बढ़ कर 4090 करोड़ रुपये हो गया है जिससे परिव्यय में 936 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है। लेकिन राज्यों के मामले में यह 105 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1412 करोड़ रुपये हो गया है जिससे केवल 358 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है।

अब राज्यों से कहा गया है कि वे अपने संसाधन जुटायें। उनकी बहुत सी सीमायें हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं देगी उनके पास धन की कमी हो जायेगी जिससे वे 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं कर पायेंगे।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर) : ये बजट प्रस्ताव वास्तविक हैं। इन बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय उद्योगपतियों, श्रमिकों, कृषकों तथा जनसाधारण, सभी प्रकार के लोगों को ध्यान में रखा गया है। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करने के पश्चात् देश में कोई जमींदार नहीं रह जायेगा। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है। और जब भूमिहीन श्रमिकों को अतिरिक्त भूमि वितरित की जाएगी तो इसकी संख्या में और भी वृद्धि हो जाएगी।

किसानों द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ गई है। इसका अर्थ यह है कि किसान को अपने उत्पादित वस्तुओं के बदले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम पैसा मिल रहा है।

अब हम इस ओर भी ध्यान दें कि किसान को क्या-क्या वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं और उनकी मूल्य स्थिति क्या है। दो वर्ष पूर्व उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का मूल्य दुगना हो गया था। अब उर्वरक के मूल्य में 100 रुपये प्रति टन की कमी कर ली गई है। किन्तु क्या छोटे किसान इस दर पर उर्वरक खरीद पायेंगे? क्या इस राहत से उन्हें वास्तव में कोई लाभ पहुंचेगा? दो वर्ष पूर्व जब उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि की गई थी तो किसानों में उर्वरकों की खरीद बन्द कर दी जिससे उर्वरकों का स्टाक जमा हो गया। अतः गृह मंत्री को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि उन्होंने जो राहत दी है क्या वह पर्याप्त है।

किसानों को उर्वरक के अतिरिक्त अन्य चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं। किन्तु उनमें उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गई है। इस्पात, कीटनाशक दवाइयों तथा लकड़ी के मूल्य में बहुत वृद्धि हो गई है। ये सारी वस्तुएं किसानों के काम आती हैं। यहां तक कि बिजली की दरों से भी तेजी में वृद्धि की जा रही है। अतः वित्त मंत्री को किसानों को अधिक राहत देनी चाहिये ताकि कृषि लाभप्रद सिद्ध हो।

देश में लाखों लोग अशिक्षित हैं। अनुमान है कि देश में इस समय 3500 लाख लोग अशिक्षित हैं। किन्तु वित्त मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। क्या 3500 लाख अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिये यह राशि पर्याप्त होगी? वित्त मंत्री को इस विकट समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये और यह प्रयास करना चाहिये कि देश में निरक्षरता पूर्ण रूप से समाप्त हो।

मैं अपनी इन दो बातों की ओर पुन: वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह किसान को अधिक राहत दें अन्यथा देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। दूसरे देश में शिक्षा के विस्तार तथा विकास पर भी समुचित ध्या न दें और इस उद्देश्य के लिये अधिक धन की व्यवस्था करें।

श्री के० के० शेट्टी (मंगलौर) : प्रगतिशील बजट पेश करने के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। वर्तमान स्थितियों में यह एक अच्छा बजट है। विरोधी पक्ष के लिये बजट की आलोचना हेतु कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसकी चार मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, इसमें अधिक उत्पादन की व्यवस्था की गई है। दूसरी, इसमें बचत और निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। चौथी विशेषता यह है कि इससे मूल्यों पर नियंत्रण किया गया है।

वित्त मंत्री ने योजना परिव्यय को 31.6 प्रतिशत बढ़ा कर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। यह आपात स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का परिणाम है। सभी को पता है कि आपात स्थिति से पूर्व देश में अराजकता का वातावरण बन गया था। जनता राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण से निराश हो गई थी। ताला बन्दी, हड़तालों, जबरन छुट्टी के कारण अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। उत्पादन घट रहा था किन्तु आपात स्थिति के पश्चात् देश में अनुशासन की भावना पैदा हुई और अब हमें चारों ओर विकास की लहर नजर आ रही है। उत्पादन में वृद्धि हो गई है।

20 सूत्री कार्यक्रम देश के लिये एक वरदान है। क्योंकि इस कार्यक्रम से जनता की सभी प्रकार की आकाक्षायें पूरी होती हैं। सभी राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम को पूरी क्षमता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन ही हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र उपाय है।

जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, नये वर्ष में यह सन्तोषजनक रहा है और इससे मूल्य स्थिरता बनाये रखने में सहायता मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि आपात स्थिति के बाद देश में अच्छा वातावरण पैदा हुआ है। उत्पादन बढ़ाने के लिये केवल निवेश की ही जरूरत नहीं पड़ती अपितु इसके लिये कठिन परिश्रम, अनुशासन भी आवश्यक होता है।

सिचाई और बिजली परियोजनाओं पर पर्याप्त धन लगाये जाने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में अनुशासन की भावना पैदा हो गई है। प्रधान मंत्री द्वारा आपात स्थिति घोषित किये जाने के बाद विवादों का निपटारा शान्ति पूर्ण ढंग से हो रहा है। कार्मिकों को प्रबन्ध में भाग लेने के अवसर दिये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार आया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। आज देश की जनसंख्या 60 करोड़ है और 2000 तक इसके 93 करोड़ हो जाने की आशा है। इस बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। युवकों की विवाह की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष तथा युवतियों की 21 वर्ष की जानी चाहिये। दूसरे किसी को भी एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करने वाला पुरुष बड़ा दृढ़ व्यक्ति होगा।

श्री के० के० शेट्टी : मेरा निवेदन है कि जिनकी एक से अधिक पत्नियां भी हैं उन्हें भी दो या तीन बच्चों से अधिक पैदा नहीं करना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पादनों के मूल्यों का उल्लेख किया है । कृषि उत्पादनों का लागत मूल्य बढ़ गया है परन्तु उनके उत्पादनों पर अधिक मूल्य नहीं मिलता । यदि ऐसा जारी रहा तो किसान लोग वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन नहीं करेंगे । कच्चे माल तथा निर्मित माल, विशेषत: रुई तथा कपड़े के मूल्य में सम्बन्ध रखा जाना चाहिये ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मूल्यों के स्तर को सामान्य रूप से बनाये रखने तथा अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य घटाने का यत्न किया है । वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका कार्य कर एकत्रित करना ही नहीं है उन्हें जहां आवश्यक लगे वहां छूट भी देनी पड़ती है । उन्होंने गैर-सरकारी, निगमित क्षेत्र को रियायतें भी दी हैं तथा पूंजी लगाये जाने पर प्रोत्साहन भी दिये हैं ।

एक साधारण व्यक्ति चाहता है कि वस्तुओं के मूल्य उचित हों, उनकी कोटि बढ़िया बनाई जानी चाहिये । गैर-सरकारी क्षेत्र में दी गई रियायतों का मैं स्वागत करता हूं । पिछले 5–6 वर्ष के बजटों का अवलोकन करने से पता चलता है कि 300—400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परोक्ष कर लगते रहे हैं । जब कि इस बजट में केवल 50 करोड़ रुपये के कर लगाये गये हैं । देश की गरीब जनता के लिये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू किये जाने का वातावरण तैयार किया गया है ।

इस समाजवादी बजट में विज्ञान तथा तकनीक को उचित स्थान दिया गया है । इस्पात, सीमेंट आदि वस्तुओं पर कोई नये कर नहीं लगाये गये अपितु कुछ रियायतें ही दी गई हैं । और इन रियायतों को बजट में शामिल कर लिया गया है । 80 वर्ग मीटर वाले विनिर्मित क्षेत्र वाले नये निर्माणों पर, धनकर नहीं लगाया जाएगा । सरकार को ऐसे लोगों के लिये जो कि किसी विशेष कम्पनी में काम नहीं करते उनके लिये आवास की सुविधाएं दी जानी चाहियें । देश की भारी संख्या को आवास की आवश्यकता है । खाद्यान्नों के उत्पादन तथा भारी उद्योगों को दृढ़ किया जाना बड़ी महत्वपूर्ण बात है । इसका परिणाम होगा कि भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं रहेगा ।

कुछ राज्यों में अभी भी सिंचाई की सुविधाए उपलब्ध नहीं करायी गयीं । कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, जिन में सिंचाई की अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए । असम, बिहार तथा बंगाल में बाढ़ें आती रहती हैं । वहां पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये उदारता से धन दिया जाना चाहिए । ब्रह्मपुत्र बाढ़ आयोग को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाने के लिये एक विधेयक तैयार किया गया था, परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसे छोड़ दिया गया । मैं वित्त मंत्रालय से सिंचाई आदि कार्यों के लिये उदारता से धन दिये जाने की सिफारिश करता हूं ।

जोन 3 में चाय पर उत्पादन शुल्क घटा दिया गया है । असम का अधिक भाग जोन 5 के अन्तर्गत आता है । मंत्री महोदय जोन 5 में भी चाय का मूल्य घटाएं ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : वित्त मंत्री द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक विकास तथा ग्रामीण गरीब जनता के उत्थान की कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों ने इस बजट को अधिक समाजवादी एवं अधिक लोकप्रिय बताया है। यह सही है। सरकार की आर्थिक नीति आर्थिक उन्नति, बचत, पूंजी लगाने तथा मूल्य स्तर बनाये रख कर उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना है। प्रस्तुत बजट में इसके पर्याप्त उपाय बरते गये हैं। इससे न केवल विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा अपितु लोगों में विकास कार्यों में स्वयं भाग लेने की भावना भी पैदा होगी। योजना पर व्यय होने वाली 1700 करोड़ की राशि में से 480 करोड़ रुपया नौकरी करने वालों के बचत के धन से लगाया जायेगा। इससे मूल्यों के स्तर को बनाने में सहायता मिलेगी। उर्वरकों में रियायतों से किसानों को उर्वरकों के उपयोग में बढ़ावा मिलेगा जिससे अनाज का उत्पादन बढेगा।

बिहार उड़ीसा तथा आसम आदि कुछ राज्यों में बाढ़ों से भयंकर समस्या बनी हुई है। उनके संसाधन निरन्तर घटते जा रहे हैं। यदि सरकार बाढ़ नियंत्रण द्वारा नदियों पर नियंत्रण नहीं करती तो इन राज्यों की स्थिति अत्यन्त विषम बन जायेगी। छठे वित्त आयोग ने सिफ़ारिश की है कि इन्हें बाढ़ों एवं सूखे पर काबू पाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाये। यदि उन्हें सहायता न दी गई तो यह राज्य आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः केन्द्र पर निर्भर करने लगेंगे। मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा की परियोजनाओं विशेषतः भीम कुण्ड परियोजना को सहायता दी जाये। वहां की नदियों को नियंत्रण करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विनेश चन्द्र गोस्वामी (माहाटो) : मैं वस्तुपरक बजट प्रस्तुत करने के लिये वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि देश के हालात को देखते हुए इससे अच्छा बजट नहीं लाया जा सकता।

श्री नायक ने कहा कि इस बजट द्वारा कार्मिक वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग से भेदभाव बरता गया है। कहा गया है कि धनी वर्ग पर लगने वाले आयकर 77 प्रतिशत से घटा कर 66 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने इस बारे में बताया है कि कई मामलों में आयकर तथा धन कर मिला कर 100 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इसीलिए इसे 77 प्रतिशत से 66 प्रतिशत घटाने का प्रस्ताव है।

श्री स्टीफ़न ने कहा कि महगाई भत्ते के मामले में सरकार को अपने वचन का पालन करना चाहिए। सरकार ने केवल इसी वर्ष के लिये वचन दिया है अगले वर्षों के लिये नहीं। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि एक तो सरकार ने अपना वचन नहीं तोड़ा है और दूसरे कर्मचारियों को बजट में ही योगदान देने का अवसर दिया गया है। अब तक देश के विकास कार्यों में कार्मिक वर्ग का योगदान श्रम तक ही सीमित था परन्तु अब पूंजी के रूप में भी उसका योगदान लिया गया है। उन्हें अपनी बचत को देश की प्रगति में लगाने का अवसर मिला है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।

वास्तव में हमारा देश मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास रखता है। सच तो यह है कि पिछले 4-5 वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी नियोजन नहीं किया गया। यदि उनसे पूंजी विनियोग नहीं लिया जाता तो इससे विकास कार्य रुकेगा। बेरोजगारी इस देश को सबसे बड़ी बुराई है। वित्त मंत्री को अपने बजट प्रस्तावों में रोजगार के लिये अधिक से अधिक साधन जुटाने चाहिएं।

खेद का विषय है बजट प्रस्तावों में रोजगार की स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया। आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों में बजट पर की गई चर्चा में रोजगार की स्थिति पर बजट के प्रभाव को चर्चा नहीं की गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र को वित्त मंत्री ने जितनी भी रियायतें दी है उनका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। रियायतों का उद्देश्य यह भी है कि छटनी, जबरी छुट्टी आदि से कर्मचारियों को राहत मिल सके। जब तक ऐसे व्यक्तियों को उसी उद्योग में विकल्पी कार्य नहीं दिया जाता हमारी अर्थ व्यवस्था विफल हो जायेगी। इसी लिए वित्त मंत्री ने उन्हें कुछ राहतें दी हैं। वित्त मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि उद्योग उनके परामर्श का पालन करते हैं। इन उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिये एक तंत्र की स्थापना भी की जाये।

बजट में प्रगति के स्रोत 20 सूत्री कार्यक्रम की झलक मिलती है। इसमें मूल्य स्थिरीकरण और जन सामान्य को महत्व प्रदान किया गया है। इसलिए मैं बजट का स्वागत करता हूं।

Shri Mulki Raj Saini Dehradun: I support this Budget which has been rightly termed as a budget aimed at social justice. It has been said that there would not be any landlord in the Country. But today there are industrialists and big business men. When we shall march towards socialism then only the budget could be called a socialist budget.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

60 वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन से, जो 17 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन से, जो 17 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्तवा स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted.)

(संविधान में परिवर्तनों के बारे में सांविधिक संकल्प)

RESOLUTION RE: CHANGES IN THE CONSTITUTION

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा 30 जनवरी, 1976 के रखे निम्न संकल्प पर आगे विचार किया जायेगा :—

"गत 25 वर्षों के दौरान भारत के संविधान के कार्यकरण के अनुभव तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस सभा की राय है कि

देश के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह संविधान में, विशेषतया सम्पत्ति के अधिकारों के स्वरूप में, संशोधन करने के लिए और संसद् की प्रभुसत्ता, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, हरिजनों तथा देश के अन्य शोषित वर्गों के उचित अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट सिद्धान्तों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को यथार्थ रूप देने के लिए कदम उठाए ।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): न्यायाधीश होम्स ने कहा है कि विधि का आधार तर्क नहीं है वरन् अनुभव है। अनुभव संघर्ष से प्राप्त होता है, फिर चाहे वह कैसा ही संघर्ष क्यों न हो।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]
[Shri Ishaque Sambhali in the chair]

श्री के० सी० हेर ने कहा है कि किसी देश का संविधान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियों के चतुष्कोण का परिणाम होता है ये शक्तियां संविधान में परिवर्तन करती हैं, शक्तियां परिस्थितियों का निर्माण करती हैं और संविधान का निर्माण उसके बाद होता है। हमारा संविधान इसका अपवाद नहीं हो सकता? यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान अनुभवातीत या अपरिवर्तनीय या ऐसी कोई वस्तु जिसे छुआ ही नहीं जा सकता। यह समाज का एक दस्तावेज है, यह एक विशेष पीढ़ी के उन लोगों की इच्छा का प्रकटन या निरूपण है जिन्होंने साम्राज्यवादी जूए से छुटकारा पाने की मांग की थी। इसे चिरन्तन नहीं माना जा सकता। यह बात पंडित नेहरू और डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दी थी। यह बात संविधान सभा के कई अन्य महानुभावों ने भी स्पष्ट कर दी थी।

कुछ लोगों का दावा है कि इंडिया अधिनियम, 1935 पर भारतीय संविधान का ढांचा आधारित है। वह इस रूप में सही हो सकता है कि कुछ खण्डों में समान शब्दावली का उपयोग किया गया है। परन्तु ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का मूल नहीं है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम से स्फूर्त है।

संविधान समाज के आशय और प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रारूप मात्र है इससे अधिक कुछ नहीं। संविधान का मुख्य उद्देश्य मात्र कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं है वरन् सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है यह सामाजिक परिवर्तन लाने और इसे सफल बनाने का एक प्रयत्न है।

अब हमें संविधान पर नए सिरे से दृष्टिपात करना चाहिए क्योंकि 26 वर्ष बीत गये हैं। इन 25 वर्षों में सामाजिक संघर्षों और लोकतंत्र के कार्यकरण के द्वारा जनता द्वारा प्रकट किए गये अपने उद्गारों तथा रोजाना बढ़ती हुई हमारी आकांक्षाओं के कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि हम संविधान पर नए दृष्टिकोण से विचार करें। फिर अनेकों समस्याएं उठ खड़ी हैं। मूल प्रश्न के अतिरिक्त केन्द्र राज्य सम्बन्ध, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद् के आपसी संबंध, राष्ट्रपति के अधिकार, राज्यपालों के अधिकार आदि अनेकों प्रश्न गत 25 वर्षों में सामने आए। इन संविधानिक समस्याओं के अलावा हमारे सामने समाज के पुनर्निर्माण और समाजवादी समाज की स्थापना का प्रश्न भी है। देश की अधिकतर जनता समाजवादी अर्थव्यवस्था की ही समर्थक नहीं है वरन् वह उस विचारधारा की पोषक है। हमें समाज के पुनर्निर्माण के इस कार्य को आगे बढाना है। निदेशक सिद्धान्तों में की गई घोषणाओं को मूर्त रूप देना है, इसके लिए हमें जी जान से

प्रयत्न करना होगा। परन्तु हमारी न्यायपालिका के एक अंग ने अपने निर्णयों में क्या किया यह हम जानते हैं। कुछ विधिवेत्ताओं का भी यही कहना है कि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा 1950 में वह जैसा था वह सदैव वैसा ही रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह स्थायी और मूलभूत है।

परन्तु हम जानते हैं कि इस देश की जनता बदलती हुई आवश्यकताओं को इन तथाकथित विधिवेत्ताओं से अधिक पहचानती है।

इस तथ्य के बावजूद कि कुछ प्रबुद्ध न्यायाधीश संविधान की भावना को समझते हैं, हमने देखा कि संसद् द्वारा पारित अनेकों अधिनियमों की अलग-अलग व्याख्या की गई। अतः हमारे सामने अब प्रश्न यह है कि कुछ मूल प्रश्नों की व्याख्या को न्यायपालिका पर छोड़ा जाए अथवा नहीं।

न्यायाधीश हिदायतुल्ला का कहना है जबकि अभिव्यक्ति, पूजा, धर्म आदि की स्वतंत्रता एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है मैं सम्पत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को भी उसी आधार पर नहीं रख सकता। सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में रखना एक भूल है। एक विद्वान न्यायाधीश के यह कहने के बाद अन्य लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसे मूल अधिकारों से निकाल दिए जाने पर देश में कुछ भीषण बात हो जाएगी।

पं० जवाहरलाल ने एक बार कहा था कि मूलतः सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। अतः यह नहीं कहा जा सकता यह एक अपरिवर्तनीय अधिकार है। परन्तु खेद है इस देश में बहुत से लोगों का यही दावा है।

जिन न्यायिक दबावों, परिस्थितियों और शक्तियों के कारण हमें परिवर्तन करने को कहना पड़ा है, संसद् के लिए यह आवश्यक है संविधान पर फिर से दृष्टिपात किया जाए और उसके विभिन्न उपबन्धों की समीक्षा की जाए जिससे 1950 में की गई प्रतिज्ञा को पूरा कर सकें। सरकार विशेष रूप से अनुच्छेद 32, 141, 226 और 311 पर विचार करें। संसार भर में इस बात को माना गया है कि सम्पत्ति इकट्ठा करने, बेचने और सुरक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार सरकार का है और भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता। यदि हम अपने वायदे पूरे नही करते तो हम आने वाली पीढियों के प्रति अपना कर्त्तव्य नहीं निभाते।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (आसेराम) : हमारा साम्यवादी-मार्क्सवादी दल संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के पक्ष में है। यह तभी किया जा सकता है जबकि जनतांत्रिक लोकतंत्र के नेता मजदूर वर्ग के हों न कि सामन्ती लोग। हमारे सामने इस समय जो प्रश्न है वह यह है कि समय को देखते हुए संविधान में क्या परिवर्तन किए जाएं।

आज कल देश दोहरी आपातस्थिति से गुजर रहा है। सभी मूलभूत अधिकार समाप्त कर दिए गये हैं। बिना कारण बताए नेताओं को जेल में डाल दिया गया है उन्हें न्याय देने से मना कर दिया गया है। अतः सबसे पहले तो हम यह चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निहित अधिकारों को लोगों को दिया जाए।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali).

जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का सम्बन्ध है ग्रामीण और शहरी भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने सम्बन्धी कानून पास किए गये हैं पर अब भी अधिकतर भूमि पर जमींदारों और अमीरों का अधिकार है ।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने यही सब करने का प्रयत्न किया तो उच्च न्यायालय उसके आड़े आ गया और उसने जमीदारों के पक्ष में रोकादेश जारी कर दिया । और जब मोर्चा सरकार ने काश्तकारों के आन्दोलन का आह्वान किया तो सभी कहने लगे कि मोर्चा सरकार न्याय-पालिका का अपमान कर रही है । परन्तु आज जो कुछ सरकार कर रही है वह वही है जिसकी आधारशिला मोर्चा सरकार ने रख दी थी । यद्यपि भूमि सुधारों का बहुत राग अलापा जा रहा है परन्तु वास्तव में सरकार इस सम्बन्ध में अधिक उत्सुक नहीं है । जब तक सम्पत्ति का अधिकार रहेगा इस दिशा में किए गये सभी प्रयत्न बेकार जाएंगे । भूमि सुधारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 19 (च) और 31(झ) का संशोधन किया जाए ।

देश के सभी भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिकतर भूमि पर निर्वाह करते हैं परन्तु उनके पास ही सबसे कम भूमि है । इतना ही नहीं उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती । मेरा अनुरोध है कि इन जातियों के हित साधन के लिए यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाए ।

आपात स्थिति लागू करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति को ही नहीं होना चाहिए । संविधान संशोधन के समान आपात स्थिति का निर्णय भी दो तिहाई के संसद के बहुमत से किया जाय । राज्यपालों की नियुक्ति न कर उनका सम्बन्धित विधान सभाएं और विधान परिषदें चुनाव करें । राष्ट्रपति को किसी मंत्री को निकालने का अधिकार नहीं होना चाहिए ' यह अधिकार मंत्री परिषद् को होना चाहिए । आया राम और गया राम की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संविधान में सदस्य को वापिस बुलाए जाने का उपबन्ध होना चाहिए । केन्द्र सरकार तब तक किसी राज्य सरकार को बर्खास्त न करे जब तक सत्ताधारी दल का राज्य में बहुमत है । तमिलनाडु में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केन्द्रीय कार्यवाही की हम कड़ी निन्दा करते हैं । केवल भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप पर विधिवत निर्वाचत सरकार को भंग नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के आरोप केवल विपक्षी दलों की सरकार पर ही नहीं लगाये जाते बल्कि कांग्रेस दल द्वारा गठि सरकारों और केन्द्रीय मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं । सभी राज्यों में भ्रष्टाचार को जांचने की कसौटी एक ही होनी चाहिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये आप कुछ अधिक समय दें ।

Mr. Chairman : Just now Mr. Deputy Speaker had told me that extention of time on this resolution can be considered because it is a very important resolution. I know that a large number of Members want to speak on it. We can definitely look into the matter. I have got Mr. Speaker's directions which permit half-an-hour for the mover and 10 to 15 minutes to other speakers.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस समय सारी शक्ति केन्द्र के पास है जिससे राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों में तनाव आता है । हम अनुभव करते हैं कि राज्य सूची में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में केवल राज्य ही कानून बनाएं । इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी और केन्द्र भी शक्तिशाली रहेगा । संविधान में संशोधन अवश्य होना चाहिये ताकि प्रत्येक नागरिक को कार्य करने का

अधिकार मिले, उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क हो सभी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलें और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिले ।

निहित स्वार्थों को जड़ से मिटाये बिना हम यह सब नहीं कर सकते । यह भी जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा लगाई गई सभी विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण किया जाये । भूमि का मालिक वह हो जो हल चलाता है और फालतू भूमि को बिना मुआवजा दिये सरकारी अधिकार में ले लिया जाना चाहिये । यह फालतू भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में वितरित की जाये ताकि लाखों लोगों को राहत मिले ।

Shri Syed Ahmed Aga (Baramulla) : Sir, I don't want to drag myself in the discussion which is useless. I represent the common man. He had certain expectations. When India got independence, you had given certain assurances. We have to see whether those assurances have been fulfilled. I am sorry to state that the standard of life of the common man has remained unchanged. Even today he find it difficult to make both ends meet.

The Common man is not interested in legal discussions. Legal luminaries may pass their time in justifying a certain law or anything. It will not make much difference to him. When constitution was framed you had promised to orgainse better society in which exploitation, unemployment, inequality and other evils will not exist. The state shall strive to make a welfare state. Therewill be an equality of opportunities.

But after 27 years of independence we have not been able to provide all these things to the common man. So our constitution should be suitably changed to provide relief to the people. Right to property should go for all times to come. The poor of the country wants to get rid of his property. Let us do something for him.

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे खुशी है कि यह संकल्प एक कांग्रेसी सदस्य द्वारा पेश किया गया है ।

पिछले शुक्रवार को 8 वक्ताओं में से 3 ने सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार माने जाने पर जोर दिया था । मैं संविधान को कोई दोष नहीं देना चाहता। संविधान के निर्माण के समय परिस्थितियां अलग थीं । अब समय के साथ-साथ हमें संविधान में बहुत से संशोधन करने पड़े हैं और जरूरत इस बात की है कि सम्पूर्ण ढांचे पर पुनर्विचार किया जाये और इस प्रयोजनार्थ संसद को कुछ आवश्यक परिवर्तन करने हैं । देश में कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं, भूतपूर्व राजे हैं, एकाधिकारी गृह हैं और बड़े जमींदार हैं जिनके न्यायांग में प्रतिनिधि कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

संविधान के मूलभूत ढांचे को जहां तक न बदलने का प्रश्न है तो संसदीय प्रणाली ही मूलभूत ढांचा है । व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न है । इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है क्योंकि भारत में राष्ट्रपतीय सरकार प्रणाली की चर्चा की जा रही है । लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी प्रणाली सबसे अच्छा लोकतांत्रिक ढांचा है ।

संसद की प्रभुसत्ता, देश का संघीय ढांचा राज्यों की स्वायत्तता तथा अल्प संख्यकों के लिए संरक्षण हमारे संविधान का मूल ढांचा होना चाहिये ।

हमारे लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं—न्यायांग, कार्यांग और विधानांग । लेकिन पिछले कई वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि न्यायांग धनवानों के साथ है । यह निहित स्वार्थों का पक्ष लेता है । हमें ऐसी स्थिति को नहीं पनपने देना चाहिये । न्यायांग के गठन में व्यापक तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है । इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के साथ परामर्श करके करते हैं। यह अलोकतांत्रिक है। इसके स्थान पर संसद द्वारा न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया जाये और उसी पैनल में से नियुक्तियां की जायें। चूंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं अतः हमें यह अधिकार मिलना चाहिये। आज वकील चोरों, तस्करों तथा कालाबाजार करने वालों की वकालत करते हैं क्योंकि उनसे अधिक पैसा मिलता है। ऐसा होने पर न्याय प्रणाली के गठन में परिवर्तन होना जरूरी है। ऐसे वकीलों की संख्या कम नहीं है जो लोकतंत्र के लिए, जनहित के लिए अपने हितों का बलिदान कर सकते हैं। गांधी जी, सी०आर० दास और मोतीलाल नेहरू ऐसे ही नाम हैं। इसीलिए पैनल बनाना जरूरी है।

इस पर प्रश्न उठता है कि संसद द्वारा बनाये गये कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कौन करेगा? न्यायाधीशों की जांच की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कानून की व्याख्या करने के लिए विधानमंडल है इसलिये न्यायांग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या कानूनों को लागू किया जा रहा है और न्यायांग कोई अड़चन तो नहीं डाल रहा। कानूनों की वैधानिकता की जांच करने हेतु संसद द्वारा निर्वाचित संविधान समिति गठित की जानी चाहिये।

न्याय सस्ता बनाया जाना चाहिये। आज हमें अत्यधिक फीस देनी पड़ती है। आज तो न्याय बिक रहा है। यह तो सरासर न्यायांग का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम विधि व्यवसाय द्वारा इतनी अधिक फीस लिये जाने पर प्रतिबंध लगायें।

जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं तो न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाने की संविधान में व्यवस्था होनी चाहिये। कई मामलों जैसे नरेशों के प्रिवीपर्स के मामले पर जनता की भावना के विरुद्ध अपना फैसला दिया। पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के बारे में दो वर्ष तक का रोकादेश दे दिया। इस लिए लोकतंत्र के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के तथा अपने कर्त्तव्यों के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिये। योजनाओं तथा कानूनों के क्रियान्वयन में अधिक व्यवहारिक होना चाहिये।

हमारे कार्यांग को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाये। हम लोग योजनाएं तो बना लेते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नौकरशाही के हाथ में है। लोगों को काम कराने के लिए इधर से उधर दौड़-धूप करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को गाली दे सकता है। इसलिए लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि अधिक उत्तरदायी होने चाहियें। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को प्रशासनिक एकक बना दिया जाये। अंग्रेजों की तरह हमें सब डिवीजन या तालुके बनाये रखने की जरूरत नहीं। प्रत्येक प्रशासनिक एकक में जन समितियां हों जिनका प्रत्येक का अध्यक्ष, संसद सदस्य और विकास अधिकारी सचिव हो। ये समितियां योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। इस प्रकार लोकतंत्र वर्तमान परिस्थितियों में अधिक कारगर सिद्ध हो सकेगा।

संविधान में निहित निदेशक सिद्धान्तों का हमने उल्लंघन किया है इसलिए देश को प्रगति रूक गई है। यदि कोई कहे कि जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इन निदेशक सिद्धान्तों के परिपालन हेतु हमें संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिये तो उसे शर्म आनी चाहिये। निदेशक सिद्धान्त मात्र कागज के टुकड़े न रह जाये इसलिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। संविधान में यह भी उपबंध किया जाये कि निदेशक सिद्धान्तों के परिपालन हेतु विभिन्न उपबंधों की संसद प्रतिवर्ष पुनरीक्षा करे। यह उपबंध मानने के लिए सरकार बाध्य हो।

अनुच्छेद 31ग, 32 और 226 में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि निहित स्वार्थ उनका दुरुपयोग न कर पायें और जनता की आकांक्षाओं को कुचल न दें ।

चुनावों पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है । इन्हें सस्ता बनाया जाये । कोई भी सदस्य दो से अधिक जीपों का प्रयोग न करे . . (व्यवधान) . . .

दल बदल रोक विधेयक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है । सत्तारूढ़ दल नहीं चाहता कि यह विधेयक पास हो क्योंकि दल बदलवाकर सर्वाधिक लाभ ही उठा रहा है । आशा है कि अब आप इस ओर अधिक ध्यान देकर इसे सभा के समक्ष पेश करवा देंगे ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): महोदय, कभी कभी मुझे लगता है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं । संविधान में 25वें संशोधन के बाद सम्पत्ति का अधिकार केवल कागजी शेर रह गया है उसका वास्तविक रूप कुछ नहीं रहा है ।

सभापति महोदय : श्री भट्टाचार्य, आप प्रत्येक वक्ता को बीच में क्यों टोकते हैं ।

श्री बी० वी० नायक : अब तो जैसा कि श्री फ्रैंक एंथनी ने भी कहा है, हमारे संविधान में सम्पत्ति का अधिकार रह ही नहीं गया है । मैं श्री भोगेन्द्र झा या श्री उन्नी कृष्णन की भांति नहीं बोल सकता । मैं तो सिविल सर्वेंट या भूतपूर्व नौकरशाह रहा हूं । मेरा जीवन अनुशासित रहा है, मैंने आन्दोलनों में भाग नहीं लिया है । यहां आकर जरूर मैं आन्दोलनकारी बन गया हूं । महोदय, सम्पत्ति की परिभाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और उचित आर्थिक मूल्य को देखते हुये की जानी चाहिये । सम्पत्ति या तो भूमि या पूंजी के रूप में हो सकती है क्योंकि पूंजी तो उत्पादन का साधन है ।

सम्पत्ति श्रम के रूप में भी हो सकती है जब कि इसे वस्तु के रूप में लिया जाये । सम्पत्ति को सक्रिय रूप में भी लिया जा सकता है जिसका तात्पर्य है ऐसी सम्पत्ति जिसका लाभ उठाया जा सके । मैं समझता हूं कि हमारे समाज की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उसमें से सम्पत्ति के अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये । ऐसा कराना बुद्धिमता नहीं होगी । मैं समझता हूं कि गरीब तथा दलित लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखने वाले श्री बी० आर० अम्बेडकर ही थे क्योंकि वह स्वयं उस वर्ग से सम्बन्धित थे । अतः उन्होंने सम्पत्ति के अधिकार का महत्व समझते हुये ही संविधान में इसी व्यवस्था की थी । हां, मैं सम्पत्ति पर सीमा लगाने के पक्ष में अवश्य हूं । सम्पत्ति का अधिकार हमारी वर्तमान नीति के अनुसार ही रखा जाना चाहिये । हम यह नहीं चाहते कि कुछ लोगों के पास तो बहुत अधिक सम्पत्ति हो तथा कुछ लोग बेचारे भूखों मरते रहें । हम एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं ।

हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली है । इस प्रणाली में कल्याणकारी राज्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा समाजवादी राज्य के लिये तो यह और भी आवश्यक है । इसकी सब से बड़ी कमजोरी है राज्यों का भाषा के आधार पर होना । मैं चाहता हूं कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिये । हमारा केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिये परन्तु इसके साथ ही हमारे राज्य भी शक्ति सम्पन्न हों ।

श्री फ्रैंक एन्थनी: प्रस्तुत संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु यह आश्चर्य की बात है न तो सदन में ही सदस्यों की संख्या अधिक है और न ही प्रेस दीर्घा में पत्रकारों की ? खैर, जहां तक इस संकल्प के मसौदे का सम्बन्ध है, वह काफ़ी परिश्रम से तैयार किया गया है। यह कहना उपयुक्त ही होगा कि प्रस्तुत संकल्प में सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। मैं आरम्भ से ही इस बात का पक्षपाती रहा हूं कि संसद् के पास संविधान में संशोधन करने की संविधानिक शक्ति निहित है।

जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरा विशेष मतभेद नहीं रहा है। मैं यह मानता हूं कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया जाना चाहिये। सम्पत्ति के अधिकार पर कुछ सीमा भी लगा दी जाये तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

हमारा देश संविधानिक लोकतंत्र है। सांविधिक लोकतंत्र का मूल तत्व है कि विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हों। परन्तु इसके साथ ही यह भी व्यापक रूप से माना गया है कि संसद् की प्रभुसत्ता सर्वोपरि नहीं है। हमारे संविधानिक लोकतंत्र में संसद को सर्वोच्चता को कहीं स्वीकार नहीं किया गया है। विधान मंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के ही अंग हैं। इन तीनों पर संविधान का अंकुश रहता है। हमें ब्रिटेन की बात यहां नहीं करनी चाहिये क्योंकि वहां तो लिखित संविधान ही नहीं है। हम संविधानिक लोकतंत्र को बनाये रखने के साथ-साथ संविधान के आधारभूत तत्वों में फ़ेर-बदल करने की बात भी नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक ही है।

आज कल मेरे कुछ मित्र प्रायः इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि हमें संसद की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो विधानों की त्रुटियों का पता लगाये। हमारे देश में स्थिति बहुत भिन्न है। यहां अनेक प्रकार की विषमतायें हैं जिन्हें दृष्टिगत रखते हुये ही हमारे संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण और सन्तुलन की प्रणाली अपनाई।

अल्प संख्यक तथा मूल अधिकारों सम्बन्धी नियंत्रण और सन्तुलन न्यायपालिका की समीक्षा में निहित है। विधान मंडल में बहुसंख्यक लोग या दल मनमाने ढंग से विधान न बना पाये, इसलिये संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका का तथा विधान मंडल के कार्यों की समीक्षा का अधिकार दिया गया। अतः संविधान की व्याख्या करना हमारी न्यायपालिका का मुख्य कार्य है : न्यायाधीश किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से संविधान की व्याख्या नहीं करते अपितु वह अपना कार्यकरण शपथ के अनुसार ही करते हैं। उन्हें यह कार्य महज इसलिये सौंपा जाता है कि वह तथ्य परक तथा निष्पक्ष होते हैं, तथा कभी भी किसी धर्म जाति या अन्य समुदाय से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते। परन्तु तथ्य यह है कि राजनीतिज्ञ सर्वथा इसके विपरीत होता है। मैं समझता हूं कि संसद् सदस्यों को न्यायपालिका का कार्य करने के लिये कहना, अल्पसंख्यकों तथा अन्य नागरिकों के हितों की हत्या करने के समान होगा। उदाहरणार्थ मैं गत 3 वर्षों से एंग्लो-इंडियन तथा क्रिश्चियन स्कूलों की संस्थाओं द्वारा अपनी भाषा के अनुरूप शैक्षणिक संस्थायें चलाने के विचार का समर्थन करता चला आ रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्प संख्यकों की ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। आज अगर हम अल्पसंख्यकों की ऐसी संस्थाएं जिंदा हैं तो केवल इसलिये कि हमारी न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से उनके बारे में विचार कर सकती है। अल्पसंख्यकों से मेरा तात्पर्य इसाइयों, मुसलमानों, सिखों तथा अन्य इसी प्रकार के सभी समुदायों से है।

अतः हमें इस मामले में ईमानदारी से कार्य करना चाहिये। संसद सदस्यों से न्यायपालिका का कार्य करने को कहना अल्पसंख्यकों अपितु सामान्य नागरिकों हितों की हत्या के समान होगा।

Shri Bibhuti Mishra : How the question of minority comes in. We are talking of amending the constitution. As my friend did not take part in the freedom struggle, so he is not awaire of the fact that partition of the country was a game of Britishers.

श्री फ्रेंक एन्थनी : मैं समझता हूं कि मैं साम्प्रदायिकतावाद के काफ़ी परे हूं। तथ्य तो यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक नहीं हो सकता जब कि बहुसंख्यक सदैव ही सुद्रढ़ स्थिति में होते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : This is wrong. We are treating all the Christians like our brothers.

श्री फ्रेंक एन्थनी : मुझें खेद है कि मैं अपने मित्र को अपनी बात समझाने में असमर्थ हूं।

मैं कह रहा था कि दिल्ली शिक्षा अधिनियम उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी पारित किया जा रहा है। यदि उच्चतम न्यायालय भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा न करे तो ऐसा कौन करेगा ?

न्यायिक समीक्षा का प्रश्न अल्प संख्यकों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका द्वारा की गई किसी कार्यवाही को यदि न्यायिक समीक्षा न हो तो क्या होगा ? मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि न्यायिक समीक्षा के बिना राजनैतिक पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

न्यायिक समीक्षा के बिना कोई भी संवैधानिक प्रजातंत्र सफ़ल नहीं हो सकता। न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती। यह अल्पसंख्यकों के लिये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मेरे विचार में इस संकल्प पर चर्चा करने का समय बढ़ा दिया गया है। अतः नियम 9क के अन्तर्गत मेरे संकल्प को आगे के लिये स्थगित किया जाये।

Mr. Chairman : It will not lapse and will we discussed on a next date.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूं की संकल्प के लिये नियत समय 2 घंटे बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :—

"कि संकल्प के लिये नियत समय 2 घंटे बढ़ाया जाये।"

प्रस्तवा स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : यह बात ठीक है कि संविधान हमारे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह बात भी सच है कि संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों के लक्ष्यों को पूरा करके हम हर नागरिक को उसके हक के अनुसार नहीं दे पाये हैं जो कि उसे देय है। इसके अतिरिक्त संविधान गरीबों को हटाने में भी पूर्णतः सफ़ल ही हुआ है। अतः हमें संविधान का पुनर्वालोकन करना चाहिये।

संविधान के प्रति मुझे अपार श्रद्धा है लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा संविधान राष्ट्रीय जीवन के अनुरूप हो तथा निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र तथा बेहत्तर ढंग से प्राप्त कर सके तो हमें सावधानी तथा गहन अध्ययन के उपरांत ही इसमें संशोधन करने चाहिये।

देश को आज जिन बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिये संविधान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है।

हर लिखित संविधान में विधान मंडल, न्यायपालिका तथा सरकार के अन्य निकायों को संविधान के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि संविधान का उल्लंघन किया गया। यदि इस बात का निर्णय करने वाले हमारे पास नहीं हैं तो हमें यह कार्य उन लोगों को सौंपना होगा जिनमें जनता की आस्था तथा सम्मान हो। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड का हाउस आफ़ लार्डज़ देश का उच्चतम न्यायालय है। यह हमेशा निष्पक्ष रूप से न्याय करता है तथा उसने सभी न्यायिक संस्थाओं की उच्चतम परम्पराओं को कायम रखा है।

कल्पना कीजिये कि संसद् कानून बना कर विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाती है अथवा संविधान के भाग 12, जिसके उपबन्धों के अनुसार नागरिकों को सारे देश में व्यापार करने का अधिकार है, का उल्लंघन करके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न कर लगाती है तो ऐसे कानून की वैधता का निर्णय कौन करेगा ?

प्रश्न न्यायिक समीक्षा को समाप्त करने का नहीं है बल्कि न्यायिक समीक्षा को इसके सही संवर्धन के अन्तर्गत लाने तथा इसके क्षेत्राधिकार की परिभाषा देने का है। यदि यह पता चलता है कि स्वछन्द न्यायिक समीक्षा से हमारी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होगा तो न्यायिक समीक्षा को बिल्कुल समाप्त करना भ्रांतिपूर्ण तथा संघीय ढांचे के लिये घातक सिद्ध होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि केन्द्र तथा राज्य के बीच विवादों का निर्णय कौन करेगा ? इसी कारण से संघीय ढांचे में उस न्यायिक समीक्षा प्रणाली की अत्यन्त आवश्यकता होती है जिसमें सरकारी निकायों तथा उनके क्षेत्राधिकारों का भली प्रकार रेखांकन होता है।

इस बात से मैं सहमत हूं कि संविधान की समीक्षा आवश्यक है। पर साथ ही उन क्षेत्रों का पता लगाने की भी आवश्यकता है जहां इसका क्रियान्वयन दोषपूर्ण रहा है। यही नहीं, न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने की बात भी आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न निकायों तथा विभिन्न संघटक, क्षेत्रों ने अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कार्य किया है तथा वे एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकार के विभिन्न निकायों का कार्य सही समुचित तथा समन्वयकारी हो तथा न्यायपालिका और संसद् अथवा कार्यपालिका के बीच कोई विवाद खड़ा न हो।

जहां तक लिखित संविधान का प्रश्न है, इसमें संसदीय सर्वोच्चता का एक विशिष्ट अर्थ है। इसके अनुसार संसद् तथा विभिन्न राज्य सभाओं को विधान के भाग 4 को निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी शक्तियां प्राप्त होनी चाहियें।

संविधान में सभी संशोधन किसी उद्देश्य से निष्पक्ष ढंग से करने चाहियें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरु) : ख्यातिप्राप्त वकीलों तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे सिद्ध होता है कि सभी वर्ग संविधान में संशोधन के पक्ष में हैं। इस संकल्प का उद्देश्य संविधान में संशोधन करना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बैठक में जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 मार्च, 1976/ 2 चैत्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई :

The Lok Sabha then Adjourned Till Eleven of the Clock on Monday, March 22, 1976, Chaitra 2 1898 (Saka)

GMGIPNDMR—LSIII—970 (ai) LS—21-7-76—200

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—लो० स० III—970 एल एस—21-7-76—200